खण्ड ९ — अंक १३
३० नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७
दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८
दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४
दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८
दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

	पृष्ठ
अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८	३३३–५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ...	३५३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५	३६५–८४
दैनिक संक्षेपिका	३८५–८८
अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६	३८९–४१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७	४१०–२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५	४२०–३८
दैनिक संक्षेपिका ...	४३९–४२
अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६	३४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९	४६५–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ...	४८३–९६
दैनिक संक्षपिका	४९७–५००
अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६	५०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७	५२३–४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६	५४१–६४
तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि	५६४
दैनिक संक्षेपिका	५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संश्लेषित तेल संयंत्र

+

†*६३२. { **श्री गिडवानी** :
श्री चट्टोपाध्याय :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक संश्लेषित तेल संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अब किस अवस्था पर है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग उस मामले की परीक्षा कर रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या इसके लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, और यदि हां तो, क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां । एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । अब, योजना आयोग में उसी प्रतिवेदन के आधार पर इस मामले पर और आगे चर्चा की जा रही है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार हमें उस समिति की सिफारिशें बता सकती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वह एक बहुत ही प्रविधिक प्रकार का प्रतिवेदन है और उसमें विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गई है, जैसे कि उत्पादन के लिये किन-किन चीज़ों को लिया जा सकता है और उनकी लागत क्या होगी, इत्यादि । मैं समझता हूं कि संसद् सदस्यों के लिये वह कोई बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या योजना आयोग को उसमें अधिक समय इसीलिये लगाना पड़ रहा है कि संश्लेषण पद्धति से उत्पादित तेल अन्य प्रकार से प्राप्त तेल की अपेक्षा कहीं अधिक महंगा होता है ?

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी इन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी तक की गई प्रारम्भिक जांच-पड़तालों से यह पता लगा है कि इस देश में संश्लेषित पेट्रोलियम का उत्पादन लाभकर हो सकता है। यह सब कच्चे माल, कोयले, शक्ति और अन्य चीजों के मूल्य पर निर्भर है। क्योंकि भारत में कोयले के उत्पादन की लागत बहुत कम है, इसलिये यह एक लाभकर प्रस्थापना सिद्ध हो सकता है।

†**श्री बंसल** : क्या मैं·····

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं और मैं फिर से दोहराता हूं कि माननीय सदस्य तभी बोलना शुरु करें जब उनका नाम लिया जाये। श्री विट्ठल राव।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : संश्लेषित तेल संयंत्र स्थापित करने का यह प्रश्न मूल रूप में प्रस्तावित किया गया था और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे त्याग दिया गया था। क्या अब योजना आयोग इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही सम्मिलित करने के दृष्टिकोण से इसकी परीक्षा कर रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि मूल योजना पर चर्चा की गई थी और इसकी लागत बहुत अधिक होने के कारण इसे योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। इसके सम्बन्ध में किया गया प्राक्कलन ५० करोड़ रुपयों के आसपास का था। अब जिस वैकल्पिक योजना और एक अपेक्षाकृत छोटी योजना पर चर्चा की जा रही है, वह वास्तव में २० करोड़ रुपयों की लागत की एक कच्चे कोक सहित संश्लेषित पेट्रोलियम परियोजना है। योजना आयोग में इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इसके लिये किया जानेवाला वित्तीय आवंटन आय-व्ययक संसाधनों और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को देखकर ही किया जायेगा।

†**श्री बंसल** : क्या यह सच है कि इस योजना को प्राथमिकता-क्रम में नीचे रखने का कारण प्राकृतिक तेल के पाये जाने की सम्भावना ही है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन विभिन्न उपोत्पादों के सम्बन्ध में विचार कर लिया है जो इस देश में संश्लेषित पेट्रोलियम का उत्पादन करने के साथ-साथ उत्पादित किये जायेंगे, और जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के उद्योगों के विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक ही प्रश्न में सुझावों और कई अन्य बातों को सम्मिलित कर दिया गया है। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि आसाम में क्रूड ऑयल के पाये जाने और अन्य स्थानों पर भी उसके मिलने की संभावना के कारण, इस योजना को प्राथमिकता क्रम में नीचा स्थान दे दिया गया था। लेकिन, जैसा कि इससे पहले भी प्रधान मंत्री और उत्पादन मंत्री द्वारा इस सभा में कई बार बताया गया है कि संश्लेषित तेल परियोजना की स्थापना के फलस्वरूप रासायनिक पदार्थों के कई अन्य उद्योगों का भी विकास हो सकता है। और, उसी दृष्टिकोण से यह अत्यावश्यक समझा गया है कि रासायनिक पदार्थों के उद्योगों के अग्रेतर विकास के लिये ऐसी कोई योजना अत्यावश्यक है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†*६३३. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम कृमि-पालन से सम्बन्धित अपनी पुस्तिकाओं और अन्य उपयोगी सामग्री को सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने के कार्य को आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). बोर्ड के कार्यालय में अंग्रेजी हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ब्रोशरों, पैम्फलेटों और पुस्तिकाओ को प्रकाशित करने के लिये एक प्रचार शाखा संगठित की जा रही है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या सरकार ने इन पुस्तकों को, उन स्थानों पर जहां कि रेशम कृमि-पालन को एक पाठ्य विषय की तरह पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों के लिये उपयुक्त रूप में प्रकाशित करने का भी कार्यक्रम बनाया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सुझाव केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास भेज दिया जायेगा ।

कपड़े पर उत्पादन शुल्क

†*६३४. + **श्री बंसल** :
डा० रामा राव :
श्री हेमराज :
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :
श्री च० र० चौधरी :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) संसद् के पिछले सत्र में सूती कपड़ों पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की कितनी मात्रा को कारखानों ने अपने ऊपर रखा है और कितनी मात्रा को उन्होंने उपभोक्ताओं पर डाल दिया है;

(ख) अब खुदरा बाजार में सूती कपड़े के मूल्य इस अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के लगाये जाने के पहले के मूल्यों की तुलना में अधिक हैं या कम; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). निश्चित तौर पर यह बता सकना कठिन होगा कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का कितना भाग कारखानों ने अपने ऊपर लिया है और उसका कितना भाग उपभोक्ताओं पर डाल दिया है । यदि समूचे तौर पर देखा जाये, तो अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के लगाये जाने के बाद से कपड़े के मूल्यों में लगभग २ प्रतिशत की कमी हो गई है ।

†**श्री बंसल** : यह दो प्रतिशत की कमी, किस काल में और कपड़े की किन किस्मों में है ?

†**श्री करमरकर** : यह तो एक औसत निकाला गया है । विभिन्न किस्मों के कपड़ों के मूल्यों में विभिन्न मात्रा में कमी हुई है । यदि माननीय मित्र चाहते हैं और यदि आप अनुमति दें, तो मैं उसका ब्यौरा भी बता दूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सभा में नहीं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : यह उत्पादन शुल्क अधिकतर महीन और बहुत ही महीन कपड़े पर लगाया गया था । क्या उनके मूल्य भी गिरे हैं, या बढ़े हैं ?

†**श्री करमरकर** : सभी किस्मों के कपड़ों पर एकरूपता से शुल्क बढ़ाया गया था । कुछ मामलों में मूल्य बढ़ गये हैं, और कुछ में गिर गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हेडा·····श्री शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कुछ प्रचार·····

श्री हेडा उठे--

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मने जब माननीय सदस्य का नाम पुकारा था, तब तो श्री हेडा उठे नहीं थे, और वे अब खड़े हो रहे हैं ।

†**श्री हेडा** : मैंने सुना नहीं था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्रालय ने कपड़े की विभिन्न किस्मों के मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रचार सामग्री जारी की थी । वह परीक्षण कहां तक सफल रहा है और क्या वह परीक्षण अब भी चल रहा है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे विचार से मेरे सम्माननीय सहयोगी वित्त मंत्री ने बहुत अधिक मूल्यों वाले कपड़ों के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया था, और हम समझते हैं कि जनता पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और उसने इसके प्रति काफी उत्साह दिखाया है ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने कहा कि मूल्यों में २ प्रतिशत की कमी हुई थी । क्या उन्होंने इस शुल्क के लगाये जाने से पहले के मूल्यों को या उन दिनों मूल्यों की बढ़ती के रुझान के फलस्वरूप उनकी सम्भावित वृद्धि को ध्यान में रखा है ?

†**श्री करमरकर** : हमने सम्भावनाओं पर विचार नहीं किया था, हमने वास्तविकताओं पर विचार किया था । यह २ प्रतिशत एक वास्तविकता है ।

†**श्री ग० ध० सोमानी** : क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि कारखाने इस समय अपने विक्रेताओं को माल बेचने में इस समूचे अतिरक्त उत्पादन शुल्क अर्थात् समूचे १०० प्रतिशत शुल्क को अपने ही ऊपर ले रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : हो सकता है, लेकिन मेरा अपना उत्तर भी मूल उत्तर में ही सम्मिलित है ।

छाड़ बेट

†*६३५. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने छाड़ बेट, कच्छ के पास पाकिस्तानी सीमा को पार करके २३ सितम्बर, १९५६ को भारत में प्रवेश किया था;

(ख) क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) भारत में प्रवेश करने का उनका मंशा क्या था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). भारतीय अधिकारियों ने २३ सितम्बर, १९५६ को कच्छ के छाड़ बेट के निकट एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन को यात्रा सम्बन्धी पत्रों के बिना भारतीय प्रदेश में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया था । पारपत्र नियमों के अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाया गया था और उसे २७ सितम्बर को दो महीनों का सश्रम कारावास दंड दिया गया था ।

†**श्री गिडवानी** : क्या वह व्यक्ति अकेला ही था, या उसके साथ कुछ और भी थे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमारी सूचना के अनुसार तो केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की थी कि यहां आने का उसका मंशा क्या था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : स्वाभाविक ही है कि हमने यह पूछताछ की थी। लगता है कि उसने अपने देश की कड़ी विधियों से बचने के लिये ही अपना देश छोड़ा था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पाकिस्तान सरकार ने इस छाड़ बेट क्षेत्र के लिये कुछ दावे किये थे। क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार भी हुआ है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान से कुछ व्यक्तियों ने हमारे प्रदेश में आकर यहां से १४ भैंसों का अपहरण किया था और हमारी सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न तो केवल एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन के इधर आने से सम्बन्धित था।

†**श्री गिडवानी** : माननीय मंत्री ने कहा था कि वह व्यक्ति यहां उस देश की कड़ी विधियों से बचने के लिये आया था। मैं इसे समझ नहीं पाया हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सम्भव है कि उसके विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन रहा हो।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां, यही बात है।

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम

†*६३६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** २० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नवम्बर १९५६ के अन्त समाप्त होने वाले अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम १९४९ की अवधि को और बढ़ा देने का निर्णय किया है; और

(ख) पाकिस्तान से अब भी कितनी अपहृत महिलाओं की पुनः प्राप्ति करना शेष है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां; एक वर्ष तक के लिये, ३० नवम्बर, १९५७ तक।

(ख) भारत और पाकिस्तान से इस समय पुनः प्राप्त किये जाने वाले अपहृत व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या के आंकड़े बताना सम्भव नहीं है। यह कार्य दो उच्चाधिकारियों को सौंप दिया गया है और उनका प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार पाकिस्तान या भारत में रह रहे अपहृत व्यक्तियों की संख्या का एक मोटे तौर पर अनुमान लगाने का कोई प्रयास करने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो क्या वह इस कार्य के लिये किसी व्यवस्था का उपयोग करने जा रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ये सुझाव अभी दो दिन पहले इस विषय पर हुये वाद-विवाद के समय क्यों नहीं दिये थे, जबकि अन्य सभी सुझाव रखे गये थे और उनके उत्तर दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं उन्हें यह सूचना दे सकता हूं। दो उच्चाधिकारी, एक भारत का और एक पाकिस्तान का, इस कार्य में लगे हुये हैं।

पुराना किला, दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

†*६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री ६ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराना किला, दिल्ली के निवासियों को उस स्थान से कब तक हटाया जायेगा इस विषय में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिये कोई उपयुक्त स्थान चुन लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितना धन खर्च होने की आशा है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) अभी नहीं, किन्तु एक स्थान विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कौन-कौन से स्थान विचाराधीन हैं, और वे पुराने किले से कितनी दूर हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रभावित व्यक्तियों ने हमें जिस स्थान का सुझाव दिया है वह पुराने किले के बहुत समीप है, यह जंगपुरा में है।

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७

†*६३९. **श्री साधन गुप्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७ लागू किया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जी, नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार को यह विदित है कि वास्तविक प्रतिनिधिक कार्मिक संघों को मान्यता देने से इनकार करने और कठपुतली संघों को प्रोत्साहन देने के अनुचित श्रम तरीके तथा वास्तविक कार्मिक संघों के सदस्यों को तंग करने की बातें बहुत फैली हुई हैं, और उन परिस्थितियों में, क्या सरकार इस अधिनियम को शीघ्र लागू करना वांछनीय नहीं समझती है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : जहां तक कि अनुचित श्रम तरीकों और तंग करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, तंग किये गये व्यक्तियों को सरकार के पास शिकायत करने की अनुमति है और उस प्रश्न को निर्णय के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। प्रचलित विधि के अधीन भी, यदि अनुचित तरीकों का कोई प्रश्न है, तो इसे न्यायालय में भेजना ही पड़ेगा। उस विधि के पारित होने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि किसी कार्मिक संघ को अनिवार्य रूप से मान्यता देने से ठोस कार्मिक संघ आन्दोलन को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। ऐच्छिक रूप से मान्यता प्राप्त करना मजदूरों और मालिकों दोनों के हितों के लिये लाभदायक होगा और यह रीति बहुत अच्छी सिद्ध हो रही है। इस विधि के कार्यान्वित न किये जाने से ठोस कार्मिक संघ आन्दोलन के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ी है, सभा को आंकड़ों से पता चलेगा कि इसने बहुत प्रगति की है। सन् १९४६–४७ में ९८० संघ थे और आज ३,०७१ संघ हैं। यह उनके लिये बाधक नहीं हुई। इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार का निर्णय सभी संबद्ध व्यक्तियों के हित में है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय का परस्पर अन्तर स्पष्ट है क्योंकि औद्योगिक न्यायालय को किसी मामले को भेजना या न भेजना केवल सरकार पर ही निर्भर है, जबकि श्रम न्यायालय के सम्बन्ध में, कार्मिक संघ अधिकार के रूप में वहां तक पहुंच सकते हैं। क्या यह सच है कि इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये, अधिनियम को लागू नहीं किया गया है और संसद् के निर्णय को ठुकरा दिया गया है क्योंकि सरकार अब यह अनुभव करती है कि अधिनियम को लागू करने से अब कोई लाभ नहीं है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो प्रश्न पूछा गया है उसमें एक लंबा विवरण है। लंबे विवरण का क्या आशय है यह जानना कठिन है। प्रश्न सरल और स्पष्ट होना चाहिये ताकि उसका उत्तर दिया जा सके।

†**श्री साधन गुप्त** : सरल प्रश्न यह है कि क्या इसको इस कारण लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो चुका है और वह कर्मगारों को सत्तारूढ़ दल के पीछे लाने में सफल नहीं हुआ है और क्योंकि·····

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

†**श्री साधन गुप्त** : यह उसी प्रश्न का भाग है—और इस कारण भी क्योंकि, यदि अधिनियम को लागू किया गया, तो कर्मचारियों का गठबंधन हो जाने और निर्वाचन विधि पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैंने उत्तर दे दिया है। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रम नीति सम्बन्धी अध्याय में यह निर्धारित कर दिया गया है कि मान्यता देने के सिद्धांत निर्धारित करने के लिये विधि बनाई जानी चाहिये, और यदि हां, तो वह विधान कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री खंडूभाई दसाई** : जहां तक विधि के सामने मान्यता का सम्बन्ध है, औद्योगिक न्यायाधिकरण और समझौता प्रबन्ध व्यवस्था के सामने प्रत्येक संघ को मान्यता दी जाती है।

†**श्री वेलायुधन** : इस अधिनियम को लागू न करने के लिये क्या मालिकों का रवैया उत्तरदायी है या श्रम मंत्रालय ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला ?

†**श्री आबिद अली** : यह सर्वथा गलत है।

†**श्री वेलायुधन** : यह उत्तर मंत्री महोदय की ओर से मिलना चाहिये।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। उत्तर नकारात्मक है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या माननीय मंत्री के पास यह दिखाने के लिये आंकड़े हैं कि पिछले वर्ष कितने संघों ने मान्यता मांगी थी और कितने संघों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

प्रधान मंत्री के भाषण

*६४२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है जिससे कि प्रधान मंत्री द्वारा देश और विदेश में दिये गये भाषणों की प्रतिलिपियां ग्रामीण जनता को कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकें;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है;

(ग) उसे कब लागू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). इस प्रकार की एक योजना पहले ही आरम्भ की गयी है। जिसके अनुसार कुछ समय के लिये हर महीने १६ से २४ पन्ने तक का एक पैम्फलेट एक आने के सस्ते मूल्य पर प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें प्रधान मंत्री का हिन्दी में एक मुख्य भाषण तथा दूसरे भाषणों के कुछ भाग शामिल किये जाते हैं। अब तक ऐसी दो पुस्तिकायें निकल चुकी हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भाषण गांवों के स्कूलों में, गांवों के अस्पतालों में या और लोक सहायक संस्थाओं में भेजने के लिये क्या सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ?

डा० केसकर : जी हां, इसका प्रबन्ध किया गया है और इसी उद्देश्य से यह जो पैम्फलेट छापे जा रहे हैं यह मोटे अक्षरों में हैं और उनका दाम नाममात्र के लिये रखा गया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस प्रांत में कितनी-कितनी प्रतियां अब तक भेजी जा चुकी हैं ?

डा० केसकर : यह तो अभी हाल ही में प्रकाशित हुये हैं और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस-किस जगह कितनी-कितनी भेजी जायेंगी, इसमें कुछ समय लगेगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या केवल प्रधान मंत्री के ही भाषण छपवाने का इंतजाम हुआ है या और मंत्रियों के भी भाषणों के छपवाने का इंतजाम हुआ है ?

डा० केसकर : ऐसे लोगों के भी भाषण, जो कि हमारे देश के बड़े नेता हैं, बाद में छापने का प्रबन्ध किया जायगा। इस वक्त तो प्रधान मंत्री जी के भाषण का इंतजाम किया गया है।

श्री हेडा : क्या कोई ऐसा समय अथवा अवधि निश्चित की गई है कि भाषण होने के बाद उतने समय के भीतर वह प्रकाशित हो जाये ?

डा० केसकर : नहीं, हर एक भाषण के लिये नहीं किया जाता, सिर्फ ऐसे ही भाषण प्रकाशित किये जायें जो सचमुच लोक कल्याण के लिये और साधारण समाज की प्रगति के लिये आवश्यक हों। सब भाषणों के लिये वैसा इंतजाम नहीं किया गया है।

गुआ की मैंगनीज खानें

†*६४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गुआ, जिला सिंघभूम की इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की मैंगनीज खानों के कार्मिक शिशु-गृह खान कार्मिक शिशु-गृह नियमों के अनुसार नहीं बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) लोहा अयस्क खानों के बारे में एक शिकायत मिली है, मैंगनीज खानों के बारे में नहीं।

(ख) मुख्य खान निरीक्षक ने एक पदाधिकारी को इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त कर दिया है।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दो महीने पहले गुआ मैंगनीज खान कर्मचारियों के संघ द्वारा एक प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है कि कार्मिक शिशु-गृह नियमों के अनुसार नहीं बनाये गये हैं, इस दृष्टि से, सरकार ने तथ्य जानने और इस बात को देखने के लिये कि खानों के मालिक इन नियमों का पालन करते हैं क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री आबिद अली** : यह शिकायत अक्तूबर के प्रारम्भ में प्राप्त हुई थी और, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुख्य खान निरीक्षक ने एक पदाधिकारी को मामले की जांच के लिये नियुक्त कर दिया था। समवाय को स्थिति के बारे में बताने के लिये एक पत्र भी भेजा गया था। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह कौन-सा उपाय है जिसके द्वारा सरकार इस बात का सुनिश्चय करती है कि इस संसद् द्वारा पारित की गई विधियां वास्तव में कार्यान्वित की जाती हैं ? क्या पिछले कुछ वर्षों में इन पदाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निरीक्षण किया गया था और केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां पारित की गई विधि अक्षरशः तथा भावना में कार्यान्वित की जाती है, इसका निश्चय करने के लिये किस उपाय या अभिकरण का उपयोग किया जाता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हों, तो वह उत्तर दे सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह कार्मिक शिशु-गृहों के सम्बन्ध में एक बहुत ही निश्चित प्रश्न है।

†**श्री आबिद अली** : अधिनियम में इसके लिये निरीक्षणालय का उपबन्ध किया गया है। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, प्रबन्धकों पर अभियोग चलाया जाता है, उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और दण्ड दिया जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह है। क्या उक्त अभिकरण ने इस नियम विशेष के सम्बन्ध में कार्मिक शिशु-गृहों के सम्बन्ध में, इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है ? क्या पिछले इतने वर्षों में सरकार को कोई प्रतिवेदन मिला है ?

†**श्री आबिद अली** : हमें न केवल इन खानों के बारे में, अपितु दूसरी खानों के बारे में भी समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हमें यह समझना चाहिये कि निरीक्षणालय में न केवल कार्मिक शिशु-गृहों के बारे में, अपितु खान अधिनियम के दूसरे विविध उपबन्धों के बारे में सरकार को कभी यह सूचित नहीं किया है कि वे नियमों के अनुसार नहीं हैं ? क्या ऐसा कोई प्रतिवेदन कभी भी केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा गया है ?

†**श्री आबिद अली** : यदि माननीय सदस्या पूर्व-सूचना दें, तो मैं फाइलें देख कर उनको बता सकता हूं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार एक श्रम कल्याण निधि स्थापित करना चाहती है ? मैंगनीज अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाते समय, क्या इस लोहा अयस्क को भी उस श्रेणी में लाया जायेगा अथवा यह पृथक् रहेगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसके बारे में कुछ दिन पूर्व एक पृथक् प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं लौह-अयस्कों के बारे में जानना चाहता हूं । क्या उस विधान में लौह-अयस्क भी आयेगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसको आपस में कैसे मिलाया जा सकता है ? मैंने कुछ दिन पहले ही उत्तर दिया है ।

†**श्री बोस** : क्या यह विशिष्ट शिशु-गृह सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं से किसी प्रकार कम हैं, और यदि हां, तो किस दृष्टि से ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि निरीक्षणालय से अभी तक कोई प्रतिवेदन हमारे पास नहीं आया था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि जब निरीक्षक इन खानों का निरीक्षण करने के लिये जाते हैं, तो ठीक उनके निरीक्षण के समय, कुछ अस्थायी उपाय कर लिये जाते हैं, इसलिये निरीक्षण प्रतिवेदन से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है ? यह खान बिल्कुल अन्दर की ओर है । क्या सरकार निरीक्षण की पद्धति को कड़ा बनाने और विभिन्न कार्मिक संघों को निरीक्षक के सामने जब वह उन खानों में आये, तो अपनी मांगें रखने के लिये कहने का विचार करती है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : मैं प्रश्न के पहले भाग में लगाये गये आरोप का खण्डन करता हूं । निरीक्षक खानों में जायेंगे और यदि तथ्य इन शिकायतों के अनुसार हुए तो स्वभावतः विधि के अधीन कार्रवाई की जायेगी ।

तिब्बत और नेपाल के बीच यात्रा

†*६४४. **श्री ब० द० पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन और नेपाल के बीच हुये करार को दृष्टि में रखते हुये तिब्बत और नेपाल के बीच यात्रा के लिये पासपोर्ट और वीसा प्रणाली का प्रयोग पहली बार आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस करार से हमारा सीमान्त क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जनवादी चीन के गणतंत्र और नेपाल राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और चीन के तिब्बत-प्रदेश तथा नेपाल के बीच व्यापार और सम्पर्क बनाये रखने के लिये दोनों देशों ने एक करार किया है । इस करार के अनुसार सीमा व्यापारियों के अतिरिक्त, दोनों देशों के राष्ट्रजनों, सीमान्त जिलों के निवासियों और यात्रियों को अपनी अपनी सरकारों द्वारा जारी किये गये और जैसा कि भारत तथा चीन के जनवादी गणतंत्र के बीच हुये १९५४ के करार में उपबन्धित है, दूसरी सरकार द्वारा वीसा किये गये वैध पासपोर्ट रखने होंगे । इस करार से हमारा सीमान्त क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या कुमाऊं डिवीजन के लोगों को जो व्यापार के लिये तिब्बत जाते हैं, पासपोर्ट और वीसा लेने होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : भारत और चीन के बीच जो सन्धि हुई थी वह सभा-पटल पर रख दी गई थी । यदि माननीय सदस्य इसे देखें, तो उन्हें तिब्बत में जाने वाले भारतीयों की आवश्यकतायें मालूम हो जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि नेपाल और तिब्बत के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें पहले भारत और तिब्बत के बीच में जो समझौता हुआ था उसके कारण नेपाल के व्यापारियों को भारत

†मूल अंग्रेजी में ।

के व्यापारियों की बनिस्बत अधिक सुविधायें दी गई हैं और क्या भारत सरकार प्रयत्न करेगी कि उसी प्रकार की सुविधायें भारतीयों को भी तिब्बत में मिलें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह नेपाल और चीन के बीच हुई एक निश्चित सन्धि है । यह नेपाल और चीन के परस्पर सम्बन्धों के बारे में है । हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब मंत्री महोदय शायद समझ नहीं पाये, मेरा मतलब यह है···

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** नेपाल और चीन के बीच हुई सन्धि भारत और चीन के बीच हुई सन्धि के ढंग पर ही है ।

झांसी की रानी शताब्दी उत्सव

+

†*६४५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री संगण्णा :

क्या **संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी की रानी की शताब्दी के अवसर पर उसके चित्र वाले डाक टिकट जारी करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) सन् १८५७ के आन्दोलन के वीरों के सम्मान में उचित समय पर टिकट जारी किये जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट विचार कर रही है कि सन् १९५७ में झांसी की रानी के समान अन्य वीरों की भी स्मृति के रूप में कुछ इस प्रकार के टिकट निकाले जायें ?

श्री राज बहादुर : जी हां, ऐसा ही विचार किया जा रहा है और इस कार्य के लिये हम एक समिति नियुक्त करने जा रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस बारे में कौन-कौन से वीरों के सम्बन्ध में समिति ने अब तक निर्णय कर लिया है ?

श्री राज बहादुर : यह तो नहीं कहा जा सकता किन-किन के बारे में निर्णय कर लिया गया है या किया जा रहा है । समिति का निर्णय होने के बाद प्रमुख वीरों के नाम आयेंगे और आशा की जाती है कि जो वीर इस योग्य होंगे उन्हें जरूर इसमें लिया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कुंअर सिंह का भी नाम आया है ।

श्री राज बहादुर : वह भी हैं, तथा तांतिया टोपे हैं, नाना साब हैं, इनके साथ और नाम भी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरस्वामी ।

श्री ब० द० पांडे : उसमें मंगल पांडे का नाम भी है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मंगल पांडे का नाम भी विचाराधीन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि जब किसी सदस्य को न बुलाया जाये और वह कोई अनधिकृत प्रश्न पूछे तो उन्हें उत्तर नहीं देना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मुझे इस ओर से सहयोग मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या संचार मंत्रालय उन व्यक्तियों के चित्रों के टिकट जारी करने की प्रस्थापना पर विचार कर रहा है जो भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, उदाहरणतः दक्षिण के कट्टा बोमन ।

†**श्री जगजीवन राम :** १८५७ के सभी नेता उसमें होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह नहीं कहा जा सकता कि किसी वीर विशेष का चित्र होगा अथवा नहीं ।

दक्षिणी कोरिया का आरोप

*६४६. { +**श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री शिवनंजप्पा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २४ अक्तूबर, १६५६ को संयुक्त राष्ट्र में दक्षिणी कोरिया के प्रतिनिधि ने भारत के विरुद्ध विश्वास भंग करने का आरोप लगाया था कि भारत ने दक्षिणी-कोरिया के एक युद्ध-बन्दी को गैर-कानूनी तौर पर उत्तरी कोरिया को सौंप दिया ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : यह बिल्कुल ठीक तो नहीं है । संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी कोरिया के प्रतिनिधि ने भारत द्वारा पानमुनजोन समझौतों को खुले तौर पर भंग करने के बारे में एक बयान जारी किया था । यह बयान संयुक्त राष्ट्र के किसी दस्तावेज या प्रेस बंटन (प्रेस रिलीज) की शक्ल में न था, और इसलिये इसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता न थी । संयुक्त राष्ट्र में दक्षिणी कोरिया के प्रेक्षक ने २४ अक्तूबर, १६५६ को हमारे स्थायी प्रतिनिधि को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें मुख्य रूप से वही इल्जाम दुहराये गये थे । यह कहने की जरूरत नहीं कि ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनयाद हैं ।

२. कोरिया के युद्धबन्दियों के भेजने के बारे में, पानमुनजोन में जो समझौते किये गये थे, उनके मुताबिक, भारत सरकार ने फरवरी, १६५४ में भारत लाये गये ८८ भूतपूर्व युद्धबन्दियों में से उन बंदियों को वापस भेज दिया है जो अपने-अपने देशों को जाना चाहते थे । सिर्फ दो दक्षिणी कोरियाई युद्धबन्दी भारत लाये गये थे और उनमें से कोई भी उत्तरी कोरिया नहीं भेजा गया है । बहरहाल, भारत लाये गये ७४ उत्तरी कोरिया के लोगों में से ६ को उनकी मर्जी के मुताबिक उनके देश को वापिस भेज दिया है । ऐसे किसी भी देश को कोई पूर्व युद्धबन्दी नहीं भेजा गया है जो उसका अपना देश न हो, यद्यपि कुछ को करार की शर्तों के मुताबिक, उनकी अपनी इच्छा पर तटस्थ देशों को भेजा गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया में भारतीय सेना द्वारा किये गये कार्य की सराहना की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे विश्वास है कि ऐसा किया गया है ।

लिगनाइट योजना नाईवेली

†*६४७. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाईवेली लिगनाइट की खान खोदन की परियोजना को चलान के लिये सरकार द्वारा अधिकृत एक गैर-सरकारी लिमिटेड समवाय को पंजीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त समवाय के निदेशक नामनिर्दिष्ट किये गये हैं; और

(ग) क्या नये समवाय ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां । नाईवेली लिगनाइट कारपोरेशन (गैर-सरकारी) लिमिटेड नाम का एक समवाय मद्रास में १४ नवम्बर १९५६ को पंजीबद्ध किया गया है ।

(ख) और (ग). आशा की जाती है कि निदेशकों के नाम अधिसूचित कर दिये जायेंगे और समवाय ६-१२-५६ से कार्य आरम्भ कर देगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : सरकार को किन कारणों ने इस परियोजना को एक गैर-सरकारी लिमिटेड समवाय के आधार पर चलाने को प्रेरित किया ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : उन्हीं कारणों ने जिन्होंने कि हम को राज्य औद्योगिक समवायों के प्रबन्ध के लिये इतने समवायों को पंजीबद्ध कराने के लिये प्रेरित किया ।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सरकार की इच्छा है कि उस प्रत्येक राजकीय औद्योगिक समवाय के लिये जो आरम्भ किया जाना है एक नया समवाय चलाया जाये ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : हां, श्रीमान् । सरकार की वर्तमान नीति मुख्यत: यही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस समवाय की अधिकृत पूंजी कितनी है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : समवाय की वर्तमान अंशपूंजी २५ करोड़ रुपये है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या अंश केन्द्रीय सरकार के अधिकार में होंगे या राज्य सरकार के ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन** : यह समवाय किन-किन कार्यों को करेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : लिगनाइट को खान से निकालना और उसे कई प्रयोजनों के लिये काम में लाना ।

औद्योगिक आवास

†*६५४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में नियुक्त कर्मकारों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन आवास व्यवस्था का उपबन्ध करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना मुख्यत: गैर-सरकारी उद्योगों के औद्योगिक कर्मकारों को वित्तीय सहायता देने का उपबन्ध करती है । तो भी, ऐसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के उपक्रमों में, जिनकी समूची आय पर अथवा आय के कुछ अंश पर आयकर लगता है, नियुक्त कर्मकर भी इस योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अन्य सरकारी उपक्रमों में सम्बन्धित परियोजना के ही भाग के रूप में अपनी अलग आवास योजनायें हैं ।

योजना के सितम्बर, १९५२ में लागू होने के पश्चात् २२ नवम्बर, १९५६ तक योजना अधीन ८५,२६६ मकानों के लिये स्वीकृत कुल २३.६८ करोड़ रुपये (१२.२८ करोड़ रुपये ऋण के रूप में और ११.४० करोड़ रुपये सहायता के रूप में) की कुल वित्तीय सहायता के मुकाबिले में ऐसे उपक्रमों को ३,२३२ मकान बनाने के हेतु ४२.२१ लाख रुपये (१६.५० लाख रुपये ऋण के रूप में और २५.७१ लाख रुपये सहायता के रूप में) की वित्तीय सहायता की मंजूरी उक्त तिथि तक दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक कर्मकारों की उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही आवास सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोई क्रमिक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे कि उनके लिये समय पर आवास स्थानों का निर्माण किया जा सके ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हां श्रीमान्, हमारे पास कार्यक्रम है। जैसा मैंने अपने मूल उत्तर में बताया, सरकारी क्षेत्र के वह औद्योगिक उपक्रम, जो अपनी आय पर आयकर और अन्य कर देते हैं, इस योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अन्य सरकारी उपक्रमों में सम्बन्धित परियोजना के ही भाग के रूप में अपनी अलग आवास योजनायें हैं। जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है हमने गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये पहले ही २३ करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कर्मकारों के लिये बनाये गये या बनाये जा रहे मकानों में सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये या बनाये जा रहे मकानों की प्रतिशतता कितनी है और कर्मकारों अथवा श्रमिकों द्वारा स्वयं बनाये जा रहे मकानों की प्रतिशतता कितनी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जहां तक कि उन औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जोकि इस योजना के अधीन निवास स्थान प्राप्त करने के अधिकारी हैं, मैं सहकारी समितियों आदि द्वारा बनाये गये मकानों के पृथक्-पृथक् आंकड़े नहीं दे सकता हूं। मुझे इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

भारत का आयात और निर्यात व्यापार

+

†*६५६. **श्री काजरोल्कर :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री साधन गुप्त :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री संगण्णा :
डा० रामा राव :
श्री मोहन राव :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेज नहर के संकट के कारण देश के आयात और निर्यात व्यापार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) सरकार यह देखने के लिये कि स्वेज नहर के अस्थायी रूप से बंद होने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव न पड़े क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है;

(ग) क्या सरकार स्वेज नहर को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्यों को पुनरीक्षित करने का कोई विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस समय कोई निश्चित अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। माल के आने और जहाज द्वारा भेजे जाने में कुछ देरी होना और भाड़े में कुछ वृद्धि होना तो अनिवार्य है।

(ख) से (घ). यदि, जैसी कि आशा है, स्वेज नहर अधिक देर तक बंद न रही तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्यों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विषय पर

†मूल अंग्रेजी में।

अभी कोई अन्तिम राय व्यक्त नहीं की जा सकती है । तो भी, सरकार प्रयत्न कर रही है कि उपलब्ध नौवहन स्थान को यथासम्भव अत्युत्तम प्रयोजन के लिये काम में लाया जाये ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार, जब तक कि नहर साफ नहीं हो जाती है और स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, आयात तथा निर्यात को आशा अंतरीप होकर आरम्भ करना सुकर समझती है, और यदि हां, तो हमें क्या अतिरिक्त भार देने पड़ेंगे ?

†**श्री करमरकर** : मैं सादर कहना चाहता हूं कि सुकारता का प्रश्न नहीं है । केवल यही विकल्प है कि लम्बे रास्ते से जाया जाये और अधिक भाड़ा दिया जाये । लम्बे रास्ते से विदेशों को किये जाने वाले निर्यात की लागत में २४ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है, अर्थात् लगभग ६ प्रतिशत की वृद्धि होगी । आयात की कुल लागत में ५-१/२ प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के सामान्य व्यापार मार्ग और सम्भरण मार्ग बन्द हो गये हैं, क्या भारतीय व्यापारियों ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मंडियों का लाभ उठाया है, और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री करमरकर** : क्या मूल्य बढ़ा कर ? मुझे और अधिक स्पष्टीकरण चाहिये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मूल्य बढ़ा कर नहीं । मेरा प्रश्न यह था, कि स्वेज नहर के बंद होने के कारण पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के सामान्य संभरण के बंद हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुये—क्योंकि वे देश अपना माल यूरोप की मंडी से आयात कर रहे थे—क्या भारतीय व्यापार ने स्वेज नहर के मार्ग के बंद होने से कुछ लाभ उठाया है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने प्रश्न को समझने का प्रयत्न किया है, और मेरा उत्तर दोहरा है । पहले तो जहां तक हमारे आयात का सम्बन्ध है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह आयात के बारे में नहीं कह रही हैं । वह यह जानना चाहती हैं कि क्या कोई देश ऐसे भी हैं जो कि पश्चिम के देशों से माल आयात कर रहे थे, और अब वे वहां से माल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी वस्तुओं को उन देशों में बेचने का प्रयत्न कर सकते हैं ?

†**श्री करमरकर** : अब मैं प्रश्न को पूरी तरह समझ गया हूं । मैं समझता हूं कि उत्तर बहुत सरल है । हमारे व्यापारी किन्हीं भी अन्य व्यापारियों जैसे ही सक्षम हैं । इस तरह पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से वे लाभ उठाने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : आशा अंतरीप के मार्ग से आने के लिये जहाजों को कितना अधिक समय चाहिये, और दूरी में वृद्धि होने के कारण नौवहन में कितनी कमी होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बताना कठिन है ।

†**श्री करमरकर** : मेरे सहयोगी संचार मंत्री ने मुझे यह बताने के लिये कहा है कि ९ से २१ दिन तक की देरी होगी । मैं समय सारणी देख कर आवश्यक उत्तर दूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी हमारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिये जिस भारी मशीनरी और अन्य उपसाधनों की आवश्यकता है उनके यहां आने में अब तक क्या कोई कठिनाई हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री करमरकर** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य का आशय नहर के वास्तव में बन्द हो जाने तक के विलम्ब से है। जहां तक हमारे आयात और निर्यात का सम्बन्ध है, कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ था। उदाहरण के लिये, दो मामलों को छोड़ कर जिनमें कि नहर के बन्द होने से पूर्व मेसर्स इंडियन शिप कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के दो जहाजों में १६ और २६ अक्तूबर १९५६ को २४ घंटे से अधिक का विलम्ब हो गया था, हमारे माल के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय विलम्ब नहीं हुआ था। वह अभी से नहीं कहा जा सकता कि यदि नहर बहुत लम्बी अवधि तक बन्द रही तो क्या होगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : परिष्कृत तथा अपरिष्कृत तेल के निर्यात पर नहर के बन्द होने का क्या प्रभाव हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो हमारा अधिकतर परिष्कृत तेल पश्चिम देशों को निर्यात होता है। किन्तु मैं मालूम करूंगा।

†**डा० रामा राव** : इंगलैंड के कार्यवाहक प्रधान मंत्री, श्री आर० ए० बटलर के हाल के इस वक्तव्य की दृष्टि में कि अंग्रेजी सेना मिस्र से पूर्णतया नहीं हटायी जायेगी, क्या अन्य सूत्रों से माल आयात करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न वाणिज्य से सम्बन्धित नहीं है। मेरा सादर निवेदन है कि यह प्रश्न राजनीतिक दलों को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि यदि स्वेज नहर कुछ और समय तक बन्द रहे तो क्या हमारे पास अन्य साधन होंगे ? उसका उत्तर एक अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में दिया गया था।

†**श्री करमरकर** : मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं कि नहर कुछ समय से बराबर बन्द है, चाहे इसका कारण सेना का हटाया या न हटाया जाना हो या कुछ और। यदि कोई अन्य परिस्थिति पैदा होगी, तो हमें उस पर विचार करना होगा। इस समय यह कल्पना करना सम्भव नहीं है कि क्या होगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री की भारतीय व्यवसाइयों की सराहना के अतिरिक्त .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह अपना प्रश्न सीधा पूछें।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : स्वेज नहर बन्द हो जाने के बाद से भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में निर्यात मंडियां ढूंढने के लिये क्या विशिष्ट पग उठाये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीया सदस्या से असहमत हूं। इस प्रश्न के उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या विशिष्ट पग. .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीया सदस्या को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न।

†मूल अंग्रेजी में।

मद्रास निगम की प्रस्तावनायें

†*६५८. **श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य सरकार के ज़रिये इनके सम्बन्ध में कोई प्रस्तावनायें भेजी हैं :

(१) गन्दी बस्तियों का सुधार,

(२) पटरियों पर रहने वालों के लिये गृह-व्यवस्था,

(३) जल-सम्भरण,

(४) नालियों की व्यवस्था, और

(५) सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजनायें; और

(ख) सरकार इन पर क्या पग उठा रही है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) केवल गन्दी बस्तियों के सुधार तथा पटरियों पर रहने वालों के सम्बन्ध में प्रस्तावनायें प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय गन्दी-बस्ती सफाई योजना से संगत प्रस्ताव बनाने की दृष्टि से मद्रास में अगस्त, १९५६ में भारत सरकार के गृह-व्यवस्था परामर्शक ने उस मामले पर निगम के अधिकारियों से चर्चा की थी। निगम की प्रस्तावनाओं को इस चर्चा के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा। पुनरीक्षित प्रस्तावनाओं की प्रतीक्षा है ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या मैं जान सकता हूं कि अपनी गन्दी बस्तियों के सुधार इत्यादि की प्रस्तावनाओं की क्रियान्विति के लिये मद्रास निगम ने कुल कितनी राशि मांगी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : निगम की कुल मांग लगभग २ करोड़ रुपये है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या सरकार को विदित है कि जब तक कि निगम की अपेक्षायें पूरी नहीं की जायेंगी, नगर की विकास कार्यवाही को बहुत धक्का पहुंचेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य राज्य सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकार की एक गन्दी बस्ती सफाई योजना है जिसके अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग १५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस प्रक्रम पर यह कहना सम्भव नहीं है कि मद्रास निगम को वहां की सरकार के जरिये अपनी योजनाओं के लिये कितनी राशि दी जायेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय सभा सचिव ने कहा कि गन्दी बस्तियों की सफाई तथा पटरियों पर रहने वालों की गृह-व्यवस्था के लिये योजनायें प्राप्त हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावनाओं में क्या यह बतलाया गया है कि कितनी गन्दी बस्तियों का सुधार किया जायेगा और कितने पटरियों पर रहने वालों को मकान दिये जायेंगे ?

†**श्री पू० श० नास्कर** : जी हां। गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तावनाओं में कहा गया है कि ६७ गन्दी बस्तियां साफ की जायेंगी तथा पटरियों पर रहने वालों के २,००० परिवारों के लिये गृह-व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री वेलायुधन** : गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना की घोषणा के बाद, क्या किन्हीं स्थानों से निकासी हो रही है ? इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है । मुख्यतः इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है ।

†**डा० रामा राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त, निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय गन्दी बस्तियों के सुधार, नाली व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिये राज्य सरकारों को ऋण देता है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय गन्दी बस्तियों को साफ करने का प्रबन्ध करता है ।

†**श्री वीरस्वामी :** पहली पंचवर्षीय योजना से पहले गन्दी बस्तियां कितनी थीं, और इस अवधि में कितनी साफ या सुधारी गईं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी साफ की जायेंगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को गन्दी बस्तियां साफ करने की चिन्ता है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों से संभवतः यह प्रकट हो जाता है कि सरकार इस के लिये उत्सुक है या नहीं । मैं नहीं कह सकता कि सभासचिव इन सब बातों का उत्तर अब दे सकते हैं या नहीं ।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** यह एक बड़ा प्रश्न है । गन्दी बस्तियों की संख्या इस समय मेरे पास नहीं है । किन्तु मेरा निवेदन है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि संसाधन सीमित थे और अन्य विकासात्मक योजनाओं पर भी खर्च करना था ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : दिल्ली में स्लम को हटाने के बारे में और क्या-क्या स्टेप्स (पग) लिये गये हैं, क्या मैं जान सकती हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन् :** प्रश्न की मद (५)––राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजनाएं––के अन्तर्गत मद्रास निगम ने कितना रुपया मांगा है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मद्रास निगम से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

निष्क्रांत सम्पत्ति

*६६१. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, अम्बाला छावनी और जालन्धर में ऐसी कितनी सम्पत्तियों को नीलाम किया गया जिनका मूल्य दस हजार रुपये से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के अनुसार दस हजार रुपये या उससे कम कीमत के मकान और दुकान, तथा पचास हजार या इससे कम कीमत की औद्योगिक सम्पत्तियां जो शरणार्थियों के कब्जे में हैं उन्हें दी जा सकती हैं । जिन सम्पत्तियों की कीमत इस सीमा से अधिक है उन्हें नीलाम किया जाता है । लेकिन ऐसी जायदाद भी जिसकी कीमत इन हदों के अन्दर है, यदि वह खाली है या गैर-शरणार्थी के कब्जे में है, या नाजायज तौर से कब्जा की गई है या उसमें रहने वाला, दावेदार या गैर-दावेदार हो, उसको खरीदने को तैयार नहीं है तो वह भी नीलामी से बेची जा सकती है । मुमकिन है कि दस हजार से कम कीमत वाली इस तरह की कुछ जायदादें उन शहरों में नीलाम की गई हों । उनकी संख्या मालूम नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० सत्यवादी : इस किस्म की जायदादों में या मकानों में जो १०,००० रुपये कीमत से कम हैं, अगर रहने वाला गैर-शरणार्थी है और वह उसको लेने के लिये तैयार है तो क्या वह जायदाद या मकान उसे फिक्स्ड प्राइस पर या एस्टिमेटिड प्राइस पर देने के लिये गवर्नमेंट तैयार है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं। पिछले साल सितम्बर के महीने में इस हाउस में जब कम्पेन्सेशन रूल्स पास हुये थे, तो यह फैसला हुआ था कि जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है, जो शरणार्थी नहीं हैं, अगर वे उस मकान को खरीदना चाहते हैं, जिसमें वे रह रहे हैं, या जो कि खाली हैं, तो उस मकान को नीलाम किया जायगा ।

डा० सत्यवादी : क्या सरकार से इस प्रकार की कोई माँग की गई है कि दस हजार रुपये से कम की उन जायदादों को नीलाम न किया जाय, जिसमें हरिजन आबाद हैं—जिसमें वे पचास-पचास साल से आबाद हैं, क्योंकि उन की हालत अच्छी नहीं है और वे नीलाम में नहीं जा सकते हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है, रूल्ज के मुताबिक कार्यवाही हो रही है और जहां तक रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हम हरिजनों या गैर-हरिजनों में—जहां तक शरणार्थियों का ताल्लुक है—कोई इमतियाज नहीं करते हैं ।

राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की स्थापना

+

†*६६३. **श्री गिडवानी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कामत :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री जेठा लाल जोशी :
मुल्ला अब्दुल्ला भाई :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय उन भूतपूर्व राज्यों की राजधानियों में स्थापित किये जायें, जो राज्यों के पुनर्गठन के कारण राजधानियाँ नहीं रहीं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से कार्यालय वहां ले जाये जायेंगे और कहां कहां पर ?

†**निर्माण आवास और सम्भरण मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को ऐसे नगरों में ले जाने के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य-सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है। तथापि स्थान की उपलब्धता की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें अपनी-अपनी आवश्यकताओं पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री गिडवानी :** क्या नागपुर शहर के बारे में बम्बई सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैंने कहा है, स्थान की उपलब्धता की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। राज्य-सरकारें अपनी आवश्यकताओं पर विचार कर रही हैं। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते ।

†**श्री गिडवानी :** क्या मैं यह समझ लूं कि किसी राज्य-सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पू० शे० नास्कर :** निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने स्थान की उपलब्धता की स्थिति जानने के लिये राज्य-सरकारों को लिखा है और हमारे पदाधिकारी भी विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं । मैं और कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्रीमति सुषमा सेन :** क्या कोई कार्यालय शिमला में स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो कौन से कार्यालय ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है, वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना संभव नहीं है कि कौन सा केन्द्रीय कार्यालय किस स्थान पर ले जाया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार ने उन दफ्तरों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें वह दिल्ली में सरप्लस समझती है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** हमने केन्द्रीय-सरकार के अन्य मंत्रालयों से कहा है कि वह यह बतायें कि उपयुक्त स्थान के मिलने की सूरत में उनके लिये अपने कुछ कार्यालय नये स्थानों पर ले जाना किस हद तक संभव है ?

†**श्री कासलीवाल :** यह प्रश्न पहले भी सदन के सामने कई बार आ चुका है । हर बार यही उत्तर दिया गया है कि योजना विचाराधीन है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह योजना कब से विचाराधीन है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** इसका सम्बन्ध केन्द्रीय-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से है । मैं कुछ कह नहीं सकता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि और कितना समय लगेगा और यह नहीं कि पहले क्या किया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैंने कहा है, राज्य पुनर्गठन के बाद हम यह जानने के लिये पग उठा रहे हैं कि भूतपूर्व राज्यों की राजधानियों में कितना स्थान मिल सकता है । राज्य-सरकारों को हमें बताना चाहिये कि उनके पास कितना स्थान फालतू है । साथ ही हम केन्द्रीय मंत्रालयों से पूछ रहे हैं कि वे अपने कौन से कार्यालय वहां स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** यह प्रश्न राज्यों के पुनर्गठन के कारण उत्पन्न नहीं हुआ । इस पर बहुत समय से विचार किया जा रहा है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कुछ कार्यालय स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों ने दिल्ली से बाहर जाने का तीव्र विरोध किया है । यदि हां, तो उस विरोध को समाप्त करने के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि केन्द्रीय सरकार विरोध कर रही है । हमारा मंत्रालय इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

†**श्री जांगड़ :** मंत्री के सभा-सचिव ने बताया था कि विभिन्न राज्यों ने अभी अपनी-अपनी आवश्यकतायें नहीं बताई हैं और यह भी नहीं बताया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये कितना आवास उपलब्ध हो सकता है । क्या यह सच नहीं है कि अनेक क्षेत्रों और राज्य-सरकारों के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नागरिकों ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष निवेदन किया है और मंत्रियों ने उनको आश्वासन दिया है कि कुछ कार्यालय नागपुर और ग्वालियर जैसे स्थानों में भेज दिये जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार कौन सी निश्चित कार्यवाही कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

श्री सिंहासन सिंह : जब से भारत आजाद हुआ है और बहुत सी देसी रियासतों का मर्जर[1] हो गया है, तब से नई दिल्ली में सेक्रेटेरियेट[2] के कितने नये आफिसेज बने हैं और उन मुकामों को, जो कि देसी रियासतों से खाली हुये हैं इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया ?

†**श्री पू० श० नास्कर** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

मुल्ला अब्दुल्ला भाई : आनरेबुल पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी[3] ने बताया है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि नागपुर में और और जगहों में कितनी एकामोडेशन[4] है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गवर्नमेंट को इसकी इत्तिला नहीं है कि नागपुर पहले कैपिटल[5] था और वहां पर बहुत एकामोडेशन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मगर वह स्टेट-गवर्नमेंट से इत्तिला चाहते हैं, मेम्बरों से नहीं ।

उर्वरक कारखाने

†*६६५. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :
श्री विश्वनाथ रेड्डी : }

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल और निवेली में उर्वरक के उत्पादन हेतु स्थापित की जाने वाली फैक्टरियों के सम्बन्ध में कितना कार्य हो चुका है; और

(ख) रासायनिक उर्वरक की वर्तमान मांग पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त की अनुमानित मांग उस समय तक पूरी होने की आशा है जब नंगल, निवेली और रूरकेला स्थित फैक्टरियां १९६१-६२ में पूरी तरह काम करने लग जायेंगी ।

किन्तु हाल के प्राक्कलन से प्रतीत होता है कि उत्पादन क्षमता में और अधिक वृद्धि करनी होगी ।

†**डा० रामा राव** : आंध्र देश, रामगुण्डम अथवा बैजवाड़ा में प्रस्तावित उर्वरक फैक्टरी की क्या स्थिति है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जब और उर्वरक फैक्टरियां स्थापित की जायेंगी तो इन स्थानों पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१. विलय, २. सचिवालय

३. माननीय सभासचिव, ४. स्थान

५. राजधानी

दिल्ली में दुकानों का आवंटन

†*६६६. **श्री वेलायुधन :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्लेजर गार्डन मार्केट की दुकानें आवंटित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो आवंटन किस आधार पर किया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां, कुछेक को छोड़कर ।

(ख) लाजपतराय मार्केट के उपयुक्त स्टॉल होल्डर्स और एसप्लेनेड रोड के उन इने-गिने स्टॉल होल्डर्स को दुकानों का आवंटन अस्थायी रूप से किया गया है जिनके स्टॉल से मार्केट के दृश्य अथवा मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है ।

†**श्री वेलायुधन** : प्लेजर गार्डन माकट में कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं और इनका आवंटन क्या लाटरी डाल कर किया गया था अथवा उनके वितरण का क्या आधार था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा विचार है कि नये मार्केट में दुकानों की संख्या ४०० से कुछ अधिक है । लगभग ३७१ दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि लाटरी डाली गई थी अथवा किसी अन्य विधि का उपयोग किया गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसके लिये मैं पुराने लाजपतराय मार्केट का उल्लेख कर दूं । हम इसे गिरा कर नये सिरे से बना रहे हैं । इसका निर्माण तीन निश्चित अवस्थाओं में विभक्त है । हम इन लोगों को वहां से हटाकर नये मार्केट में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनके व्यापार में गड़बड़ी न हो । जैसा मैंने कहा था, यह आवंटन अस्थायी आधार पर है ।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा प्रश्न यह है कि दुकानों के आवंटन का क्या आधार है—सामने की कतार अथवा पीछे की कतार—क्या कोई लाटरी डाली गई थी कि अमुक दुकानदारों को अमुक विभाग दिया जाये, क्या लाटरी डालने के लिये कोई दंडाधीश नियुक्त किया गया था और क्या शरणार्थियों से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि लाटरी समुचित रूप से नहीं डाली गई है अथवा इसमें कोई गोलमाल किया गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आवंटन राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है और यह दिल्ली राज्य-सरकार द्वारा किया गया था । यदि माननीय सदस्य पूर्वसूचना दें तो निस्सन्देह ही इसका उत्तर दिया जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : एसप्लेनेड रोड और लाजपतराय मार्केट में दुकानों की दोनों कतारों के अतिरिक्त, क्या इन दोनों मार्केट में कुछ व्यक्तियों के हितों की अवहेलना करते हुये नये दुकानदारों को भी प्लेजर गार्डन में दुकानें दी गई हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि हमारे पास दूकानों की संख्या कम है और दावेदार बड़ी संख्या में हैं । परन्तु यदि किसी निश्चित मामले के बारे में निश्चित सूचना दी गई तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†*६३७. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कार्यपालक इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों को सन् १९५४–५५ से अभी तक संविदा मध्यस्थता, परिसीमन और मजदूर प्रतिकर से सम्बन्धित लेखा और विधि के सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था; और

(ग) उनमें से कितनों ने परीक्षा पास की और कितने नये पदों पर लगाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** :

(क) (१) **लेखा का प्रशिक्षण**—

कार्यपालक इंजीनियर	१०८
सहायक इंजीनियर	४००

(२) **विधि प्रशिक्षण**

कार्यपालक इंजीनियर	१०८

(ख) लेखा और विधि का प्रशिक्षण क्रमश: इस विभाग से सम्बद्ध वित्तीय सहायक और स्थायी वकील के व्याख्यानों द्वारा किया गया था। इस वर्ष यह व्यवस्था बंद कर दी गई है और अधिकारियों को अब स्वत: तैयारी करनी पड़ती है।

(ग) (१) **विधि**—

कार्यपालक इंजीनियर	९५

(२) **लेखा**

कार्यपालक इंजीनियर	५३
सहायक इंजीनियर	१२७

उनको नये पदों पर नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये परीक्षायें इस विभाग के अधिकारियों के लिये हैं।

बिहार में उच्च शक्ति विसंवाहक[1] कारखाना

†*६४१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक उच्च शक्ति विसंवाहक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किस जगह और किस जिले में ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां। २,००० टन उच्च शक्ति विसंवाहक बनाने के कारखाने को खोलने की बिहार सरकार की योजना स्वीकार कर ली गई है।

(ख) संयंत्र को स्थापित करने का स्थान अभी तक तय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] High tension insulator

विदेशों में इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†*६४८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०८८–क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे जाने वाले उम्मीदवारों का चुनाव अब तक हुआ है; और

(ख) यदि हुआ है, तो उनके चुनाव का आधार क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वियतनाम

†*६४९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी वियतनाम की नई सरकार ने जिनेवा समझौते की शर्तों और अनुबन्धों को अपनाने के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त की है;

(ख) यदि की है, तो उसके पहले के रुख में क्या कुछ फेर बदला हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). दक्षिणी वियतनाम की सरकार आयोग को प्रभावपूर्ण सहयोग दने को तैयार है परन्तु वह जिनेवा समझौते को अपनाने की जिम्मेदारी इस तर्क पर लेने के लिये तैयार नहीं है कि वह उसकी हस्ताक्षरकर्ता नहीं थी ।

मेगनेशियम निकालने का संयंत्र

† ६५०. **श्री सै० वें० रामस्वामी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटूर बांध स्थित अलूमीनियम संयंत्र के साथ एक मेगनेशियम निकालने का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जो कि सलेम के मेगनेशियम स्थल से मेगनेशियम धातु निकाले;

(ख) भारत में मेगनेशियम धातु की आवश्यकता और तत्सम्बन्धी प्रयोजन क्या है; और

(ग) मेगनेशियम की प्रति टन क्या कीमत है और उसके निर्यात की क्या संभावनायें हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) मैगनेशियम धातु की देश की वर्त्तमान आवश्यकता ५० टन प्रतिवर्ष है ? इस धातु का उपयोग अलूमीनियम— मेगनेशियम की एक ऐसी हल्की मिश्र धातु बनाने के लिये होता है जिसका वायुयान उद्योग में बहुतायत से उपयोग होता है और इसका उपयोग धातु कार्मिक कार्यों में अयस्क को धातु में बदलने के लिये तथा प्रतिरक्षा सेवाओं में भड़काने वाली चीजों के लिये भी होता है ।

(ग) डले के रूप में इस धातु की कीमत लगभग ३,५०० रुपये प्रति टन है । चूंकि देश की आवश्यकता ही पूर्णतया आयात से पूरी हो रही है, अतएव निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मद्रास राज्य में गन्दी बस्तियों का हटाना

†*६५१. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में गंदी बस्तियों को हटाने तथा उनका सुधार करने के लिये कोई पुनरीक्षित योजना भेजी है ; और

(ख) यदि भेजी है, तो मद्रास सरकार द्वारा भेजी गयी योजना की विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां। राज्य-सरकार ने गंदी बस्तियां हटाने की केन्द्रीय योजना को ध्यान में रखते हुये गंदी बस्तियां हटाने का प्रस्ताव भेजा है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

लौह-मैंगेनीज संयंत्र

†*६५२. **श्री तुलसी दास** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह-मैंगनीज संयंत्र स्थापित करने की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या संयंत्र स्थापित करने में प्रगति संतोषजनक है ; और

(ग) क्या अतिरिक्त एककों की अनुज्ञप्तियां देने का विचार है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). लौह-मैंगनीज तैयार करने के लिये ७ फर्मों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। इनमें से ६ ने "प्रभावपूर्ण" कार्यवाही की है। और उनके द्वारा की गई प्रगति सामान्यतया संतोषजनक है ।

(ग) १९६०–६१ तक प्राप्त की जाने वाली लक्ष्य क्षमता १,६०,००० टन है और अब तक १,३३,८०० की क्षमता के लिये अनुज्ञप्ति दे दी गई है। शेष क्षमता के लिये जैसे-जैसे आवेदन पत्र आते रहेंगे वैसे-वैसे उन पर विचार किया जायेगा ।

नेपाल के प्रधान मंत्री का दौरा

†*६५५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत आना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दौरा कब होगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वह ३ दिसम्बर, १९५६ को आ रहे हैं और इस देश में लगभग १७ दिन तक रहेंगे ।

किसानों के लिये बुलेटिन (समाचार)

†*६५७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी से किसानों के लिये जो बुलेटिन (समाचार) प्रसारित किये जाते हैं उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या होती हैं ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : किसानों के लिये मौसम के समाचारों में मौसमी फसलों के लिये मौसम को ध्यान में रखते हुये अगले ३६ घंटों के लिये जिलावार मौसम की हालत बताई जाती है और साथ ही अगले दो दिनों के लिये भी मौसम की संभाव्य स्थिति बताई जाती है ।

दक्षिण पटेल नगर

†*६५९. **श्री टेक चन्द** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २८ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पटेल नगर में ईंटों के भट्टों तथा गढ़ों के कारण नीची जमीन में बनाये गये ३६ मकानों की बुनियादों को गहरी तथा चौड़ी करने में कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

निर्यात संवर्धन परिषद्

†*६६०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** :
श्री तुलसी दास :

क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष में स्थापित की जाने वाली निर्यात संवर्धन परिषदों में से कोई परिषद् स्थापित की है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : अभ्रक तथा चमड़े के सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन सम्बन्धी परिषदें स्थापित की गई हैं । लाख तथा खेल के सामान के बारे में निर्यात संवर्धन परिषदें शीघ्र ही स्थापित की जायेंगी ।

डी० डी० टी० का कारखाना

†*६६४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूव त्रावनकोर-कोचीन राज्य में डी० डी० टी० का कारखाना खोलने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि १९५८ के मध्य में वहां उत्पादन शुरू हो जायेगा ।

कपड़े का अभ्यंश

†*६६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े के अभ्यंश बढ़ाने तथा विभिन्न खंडों में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिये कीमतें घटाने की कोई विशेष योजना बनाई है; और

---

†मूल अंग्रजी में ।

(ख) यदि हां, तो अभ्यंश कितने प्रतिशत बढ़ाये जायेंगे और कपड़े की कीमतों में कितनी कमी होगी ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वेलन उद्योग सम्बन्धी समिति

†*६६८ { **श्री तुलसी दास** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री हय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पुनर्वेलन उद्योग विकास सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक ।

मोटर साइकिलों का निर्माण

†*६६९ **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल एनफील्ड मोटर साइकिल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी भारत में मोटर साइकिलें बनाने का काम प्रारम्भ कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपक्रम भारतीय पूंजी से बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें भारतीय तथा विदेशी पूंजी का कितना अनुपात है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मैसर्स एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, मद्रास ने ब्रिटेन की मैसर्स एनफील्ड साइकिल कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से रायल एनफील्ड मोटर साइकिलें बनाना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) साधारण अंशों में अब तक भारतीय तथा विदेशी पूंजी में ९·१ का अनुपात है।

व्यापार चिन्ह जांच समिति

†*६७० { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री वीरस्वामी :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार चिन्ह जांच समिति के प्रतिवेदन की अब तक कहां तक जांच की जा चुकी है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : व्यापार चिन्ह जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रथमत: एक विशेष कार्यायुक्त पदाधिकारी ने जांच की थी। इसके पश्चात् समिति की सिफारिशों तथा उन पर विशेष कार्य पदाधिकारी के विचारों का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किया था। समिति की सिफारिशों पर पुनरीक्षण करने वाले न्यायाधीश के विचारों के आधार पर विचार किया गया है

†मूल अंग्रेजी में ।

और व्यापार चिन्ह अधिनियम में संशोधन करने के विशिष्ट प्रस्ताव बनाये गये हैं। यह प्रस्ताव देश के वाणिज्यिक संगठनों को उनके विचार जानने के लिये परिचालित किये जा रहे हैं।

अखबारी कागज के कारखाने

†*६७१ { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : शंकरनगर (हैदाराबाद) में अखबारी कागज का एक कारखाना बनाने का विचार है जिसकी वार्षिक क्षमता ३०,००० टन कागज की होगी। समय आने पर क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

निष्क्राम्य सम्पत्तियां

†*६७२ **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है बम्बई राज्य में कितनी ही निष्क्राम्य सम्पत्तियां हैं जिन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई के अभिरक्षक विभाग ने इन पर कब्जा नहीं किया है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि कुछ मामलों में यह सम्पत्तियां विस्थापित व्यक्तियों को दे दी गई थीं तथा इन व्यक्तियों ने उसके लिये निर्धारित धन भी जमा कर दिया था परन्तु फिर भी उनको अभी तक उनका कब्जा नहीं मिला है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई और आदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह आदेश किस प्रकार के हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). समस्त बम्बई राज्य में १ नवम्बर, १९५६ तक निष्क्राम्य सम्पत्ति के अनधिकृत रूप से कब्जे के १४० मामले हैं। १३४ मामले गोधरा के हैं जहां उपद्रवों क पश्चात् १९४८ में जो व्यक्ति बेघरबार के हो गये थे, उन्होंने इन मकानों पर कब्जा कर लिया था। सामान्य नीति के अनुसार, अनधिकृत कब्जे को नियमित किया जा रहा है क्योंकि आठ वर्ष के पश्चात् इनको वहां से निकालना संभव नहीं है। बम्बई में अनधिकृत कब्जे के ६ मामले हैं तथा उनमें से पांच का कब्जा लेने पर महाभिरक्षक अथवा उच्च-न्यायालय ने रोक लगा दी है।

(ग) इस प्रकार का एक मामला था परन्तु जिस व्यक्ति को यह सम्पत्ति आवंटित की गयी थी अब उसे कब्जा दिला दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति

†*६७३. **श्री बंसल** : क्या **श्रम** मंत्री प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति की उन मुख्य सिफारिशों के ब्योरे का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जो लागू की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति की उन मुख्य सिफारिशों के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जो लागू की गयी हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

डाक तथा तार विभाग का संग्रहालय

†*६७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक तथा तार विभाग के संग्रहालय की स्थापना के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). डाक तथा तार के संग्रहालय की स्थापना के प्रश्न पर बहुत अधिक विचार किया जा रहा है। परन्तु अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि निर्णय क्या होगा।

डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना

*६७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरी-आन-सोन (डालमियानगर) के सीमेंट के कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है ;

(ख) कारखाने का दैनिक उत्पादन क्या है और उसे अधिक से अधिक कितना बढ़ाया जा सकता है ; और

(ग) वहां जो सीमेंट तैयार किया जाता है वह किस तरह का है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य का मतलब शायद डालमिया नगर में बने अशोक सीमेंट लि० के नये कारखाने से है। इस कारखाने में इस समय करीब ५५० टन सीमेंट हर रोज बनता है। जो लाइसेंस दिया गया है, उसके अनुसार इस कारखाने की क्षमता साल में २,८०,००० टन अर्थात् करीब ८५० टन सीमेंट प्रतिदिन बनाने की है। इस उत्पादन क्षमता को और भी बढ़ाकर ५,६०,००० टन सालाना कर लेने की अनुमति इस फर्म को दे दी गई है।

(ग) इस कारखाने में बना हुआ सीमेंट "१९५१ के आई० एस० एस० २६९" स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगा।

स्नेहक तेल

†*६७६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना में, स्नेहक तेल की प्रतिवर्ष की कितनी आवश्यकता होगी ;

(ख) तेल शोधनशालाओं की स्थापना की बातचीत के समय किन कारणों से स्नेहक तेल तथा पैट्रोलियम कोक को इनमें शामिल नहीं किया गया था ; और

(ग) क्या भारत सरकार के पास निकट भविष्य में देश में स्नेहक तेल बनाने की योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५६–५७ में ग्रीस तथा स्नेहक तेल की वार्षिक अनुमानित आवश्यकतायें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) मोटरों का पैट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आयल तथा इंजनों में जलने वाले तेल के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी ।

(ग) स्नेहक तेल उत्पादन की संभावनाओं की जांच, देश की तेलशोधन क्षमता बढ़ाने की नई योजनाओं के साथ-साथ होगी ।

अफ्रीका में भारतीय

†४७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों में से प्रत्येक देश में कितने भारतीय हैं ; और

(ख) वे कौन-सा पेशा करते हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). यथासंभव उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

काम दिलाऊ दफ्तर

†४७३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित पंजाब में इस वर्ष कितने अतिरिक्त काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंगे; और

(ख) वे किन-किन क्षेत्रों में खोले जायेंगे ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) दो ।

(ख) पंजाब में भटिंडा और यमुनानगर में ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†४७४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगान सरकार द्वारा भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभाव के सम्बन्ध में भारत-अफगान वाणिज्य मंडल, दिल्ली और भारत-विदेशी वाणिज्य मंडल अमृतसर के अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : वह शिकायत जो भारत में आयात के सम्बन्ध में है, अब दूर हो गयी है ।

बागान जांच समिति

†४७५. **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तुलसीदास :
श्री का० प्र० त्रिपाठी :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान जांच समिति के प्रतिवेदन पर तब से विचार किया है; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). बागान जांच समिति के चाय सम्बन्धी प्रतिवेदन का अन्य मंत्रालयों, राज्य-सरकारों, उत्पादक संथाओं, चाय बोर्ड आदि के परामर्श से परीक्षण हो रहा है। अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया।

आयोग ने कहवा के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन अभी हाल में प्रस्तुत कर दिया है और उसका प्रारम्भिक परीक्षण अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है।

रबड़ के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाना अभी बाकी है।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†४७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक सिलाई की कुल कितनी मशीनों का प्रत्येक देश को निर्यात किया गया है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : आवश्यक जानकारी उस विवरण में दी हुई है जो सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

काम दिलाऊ दफ्तर, बीकानेर

†४७७. **श्री करणी सिंह जी** : क्या **श्रम** मंत्री १४ मार्च, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९५६ से ३० अक्तूबर, १९५६ के बीच कितने व्यक्ति बीकानेर काम दिलाऊ दफ्तर (राजस्थान) में पंजीकृत किये गये हैं ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया है; और

(ग) ऐसे कितने पंजीकृत व्यक्ति हैं जिन्हें १९५६ में एक अवसर भी नहीं दिया गया और उसक क्या कारण हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) ४,२२३।

(ख) २७४।

(ग) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

हरी चाय का बाजार

†४७८. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में हरी चाय के बाजार की दशाओं का अध्ययन करने के लिये अफगानिस्तान में एक शिष्टमंडल भेजने के लिये कांगड़ा चाय बागान मालिकों की संथा और कांगड़ा घाटी छोटे चाय उत्पादकों की संथा की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड ने, जो चाय उद्योग की देखभाल कर रहा है, स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक शिष्टमंडल भेजने का निश्चय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कच्चा कोक

†४७९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में सालाना कितने कच्चे कोक की आवश्यकता का अनुमान है;

(ख) इसमें से कितना नैवेली लिग्नाइट परियोजना से पूरा किया जायगा ; और

(ग) क्या कच्चे कोक की आवश्यकता पूरी करने के लिये केरल राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट का उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कच्चे कोक की अनुमानित वार्षिक मांग निम्न प्रकार है :

वर्ष	अनुमानित आवश्यकतायें (लाख टनों में)
१९५६–५७	१८·६
१९५७–५८	२१·७
१९५८–५९	२४·८
१९५९–६०	२७·९
१९६०–६१	३०·०

(ख) कोई नहीं, क्योंकि वाणिज्यिक स्तर पर कार्बनयुक्त लिग्नाइट की ईंटों का उत्पादन केवल १९६१ के उत्तरार्ध में ही करने का निश्चय किया गया है ।

(ग) केरल राज्य में वरकलाई क्षेत्र में लिग्नाइट निक्षेपों का सर्वेक्षण और उचित ढंग से नकशे बनाने का काम भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के १९५६–५७ के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यदि सर्वेक्षण आशाजनक सिद्ध हो तो विस्तृत खोज की जायेगी और इन निक्षेपों से लाभ उठाने की वांछनीयता और उसके आर्थिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में निश्चय करना संभव होगा ।

संश्लिष्ट औषधियां

†४८०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें संश्लिष्ट औषधियों के निर्माण की नवीनतम स्थिति निम्न ब्योरे सहित दी गई हो:

(क) भारत में (१) प्रमुख मूल कार्बनयुक्त रसायनों, (२) मध्यवर्ती उत्पादों और (३) उपान्त उत्पादों से कौन-कौन-सी संश्लिष्ट औषधियां तैयार की गई हैं; और

(ख) उपर्युक्त (१) और (२) मद में से प्रत्येक प्रकार की औषधियां कितनी मात्रा में तैयार की गई हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

डाक के डिब्बे

†४८१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक खंड में डाक के कितने डिब्बे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) वह कार्यक्रम क्या है जिसके अनुसार डाक के छोटे डिब्बों को या तो बड़ा कर दिया जायेगा अथवा उनके स्थान पर बड़े डिब्बे चलाये जायेंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मानक अथवा नमूना निश्चित किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

(१) पश्चिम रेलवे		२०
(२) पूर्वी रेलवे		६
(३) दक्षिण-पूर्व रेलवे		२६
(४) उत्तर रेलवे		२१
(५) मध्य रेलवे		२८
(६) पूर्वोत्तर रेलवे	...	११
(७) दक्षिण रेलवे		११
योग		१२३

(ख)

१९५६–५७		२०	इस कार्यक्रम में शीघ्रता करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।
१९५७–५८		१९	
१८५८–५९ से १९६०–६१	...	८४	
योग		१२३	

(ग)

एस० ओ०	डाक का डिब्बा	१	सार्टर
एस० एच०	डाक का डिब्बा	२–३	,,
एस० टी०	डाक का डिब्बा	३–४	,,
एस० डब्ल्यू०	डाक का डिब्बा	६–७	,,
एस० डब्ल्यू० १/२	डाक का डिब्बा	७–८	,,
बोगी	डाक का डिब्बा	९–१०	,,

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पाद

†**४८२. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री सम्भरण और उत्सर्जन महा-निदेशक द्वारा १९५५–५६ में बिहार से प्रत्येक प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग का कितने मूल्य का उत्पाद क्रय किया गया है, इसका ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : सम्भरण और उत्सर्जन महानिदेशक प्रचार करके प्रतिद्वंदिता के आधार पर टेण्डर द्वारा मूल्य कथन मांगने के पश्चात् छोटे पैमाने के उद्योग उत्पादों के लिये आदेश देता है ।

बिहार में १९५५–५६ में सम्भरण और उत्सर्जन महा-निदेशक ने छोटे पैमाने के उद्योग के उत्पादों के लिये कोई आदेश इस कारण नहीं दिया था कि उस समय तुलनात्मक आधार पर टेण्डर नहीं आये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

रूस से हवाई जहाज खरीदना

†४८३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री गिडवानी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :

क्या **संचार** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इस्तेमाल के लिये सरकार ने रूस से अब तक कुछ हवाई जहाज खरीदे हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इस्तेमाल के लिये रूस से कोई हवाई जहाज इस कारण नहीं खरीदा गया है कि प्रविधिक सम्बन्धी पूरे आंकड़े अभी हमें प्राप्त नहीं हुये हैं ।

राज्य व्यापार निगम

†४८४. **श्री बंसल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तुलसी दास :
डा० रामा राव :
श्री मोहन राव :
श्री विश्व नाथ रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के बनने से लेकर अब तक कुल कितने मूल्य के पक्के संविदा किये गये हैं;

(ख) अब तक कुल कितने मूल्य के संविदा पूरे हो गये हैं; और

(ग) इन संविदाओं की देशवार और वस्तुवार अलग-अलग संख्या कितनी है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १७,३६,७१,२०७ रुपये ।

(ख) १,०३,१०,९३३ रुपये ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५**]

कुछ पदाधिकारियों को बिना किराये का निवास स्थान

†४८५. **श्री वेलायुधन** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले कुछ कर्मचारियों को बिना किराये के और सुसज्जित मकान तथा अन्य भत्ते देने के सम्बन्ध में उन्हें मंत्रियों के समकक्ष समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वे लोग कौन से हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) तथा (ख). कुछ उच्च अधिकारियों, जैसे योजना आयोग के उप-सभापति और सदस्यगण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभापति, वित्त-आयोग के सभापति तथा समवाय विधि मंत्रणा बोर्ड के सभापति—को बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान रियायत के रूप में दिया जाता है । उनको दौरे के समय यात्रा और दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता ।

†मूल अंग्रेजी में ।

भारत-लंका विमान-करार

†४८६. **श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-लंका विमान-करार के पुनर्विचार सम्बन्धी प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारत-लंका विमान परिवहन करार पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों से वाणिज्यिक लेन-देन

४८७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार पश्चिमी गोलार्द्ध तथा यूरोप के किन-किन देशों के साथ भारतीय रुपयों में वाणिज्यिक लेन-देन करती है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वजर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रुमानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया ।

मंडी में सेंधा नमक की खानें

†४८८. **श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में मंडी की सेंधा नमक की खानों के विकास-कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अभी तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जून, १९५५ से अभी तक कोई भी भूमि में सुराख करने का कार्य नहीं हुआ है ।

(ख) २,१७,४२० रुपये ।

टेलीफोनों का लगाना

†४८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में अभी तक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अतिरिक्त टेलीफोन लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) उन स्थानों पर इस समय कुल कितने टेलीफोन लगाये जा चुके हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) टेलीफोनों के लिये २९,८८५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

	१९५५–५६	१९५६–५७	कुल
बम्बई ...	२,८५९	४,५८८	७,४४७
कलकत्ता ...	११,२७७	८,१६१	१९,४३८
मद्रास ...	१,७३२	१,२६८	३,०००
कुल	१५,८६८	१४,०१७	२९,८८५

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) बम्बई : ५४,५०५
कलकत्ता : ५२,४५६
मद्रास : १३,९९४

कुल १,२०,९५५

भारी पानी का उत्पादन

†४९०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी में भारी पानी का उत्पादन करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक उत्पादन करने की आशा है;

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पत्र पहुंचाना

†४९१. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाँसवाड़ा जिला के गढ़ी से भेजे गये पत्र सागवाड़ा में सात दिन बाद पहुंचाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि गढ़ी से भेजे गये पत्र सागवाड़ा में सात दिन बाद पहुंचाये जाते हैं । दोपहर २–३० बजे तक गढ़ी में डाली गयी चिट्ठियां उसी दिन शाम को ६ बजे सागवाड़ा पहुंच जाती हैं, और दूसरे दिन ही १२-३० बजे तक डाक-घर में पहुंचा दी जाती हैं, और वे डाकियों के द्वारा १ बजे तक सम्बन्धित व्यक्तियों को पहुंचा दी जाती हैं । सागवाड़ा में पत्र शीघ्र गति से पहुंचाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, और फिर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

टेलीफोन और तार के कनेक्शन

†४९२. **श्री ब० कु० दास**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर जिले में कन्टाई और खड़गपुर के बीच टेलीफोन और तार का कोई सीधा सम्पर्क नहीं हैं, और उसके परिणामस्वरूप कन्टाई से कलकत्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को टेलीफोन तथा तार के द्वारा सन्देश भेजने में जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं। कन्टाई और खड़गपुर के बीच तार का सीधा सम्पर्क है। जहां तक टेलीफोन का सम्बन्ध है, कन्टाई का खड़गपुर से बालसोर एक्सचेंज के द्वारा सम्पर्क है। संभव है कि कन्टाई से तार अथवा टेलीफोन के द्वारा भेजे जानेवाले सन्देशों के पहुंचने में कभी-कभी थोड़ी-सी देर लग जाती हो, परन्तु कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगी है।

(ख) तार के लिये तो कन्टाई और खड़गपुर के बीच एक सीधा सम्पर्क है। शीघ्र ही खड़गपुर कलकत्ता से टेलीप्रिन्टर के द्वारा सम्पर्क स्थापित कर लेगा, और उससे सन्देश भेजने में और भी कम देर लगेगी। पिछले ४० दिनों में कन्टाई से टेलीफोन के द्वारा भेजे जाने के लिये केवल चार ही सन्देश दरज़ किये गये हैं। ये सन्देश मिदनापुर के लिये थे। इसलिये इस समय खड़गपुर के लिये एक सीधा सम्पर्क स्थापित करना न्यायोचित नहीं है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी

†४९३. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के ब्योरे क्या हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतन-क्रम निम्नलिखित हैं :—

क-बोर्ड द्वारा निर्धारित संवर्ग तथा वेतन-क्रम

श्रेणी	अभिधान	वेतन-क्रम
द्वितीय श्रेणी (अघोषित)	अधीक्षक, संगठन कर्ता, सम्पर्क पदाधिकारी आदि	२००–२५–३०० दक्षता रोक १०–४००
तृतीय श्रेणी	सहायक, लेखा लिपिक आदि	१००–१०–२०० दक्षता रोक १०–३००
,,	लिपिक, लिपिक टाईपिस्ट, आदि	५५–१०–१०५ दक्षता रोक १०–१५५
चतुर्थ श्रेणी	चपरासी	४०–२–६०

वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर स्थानीय प्रतिकरात्मक भत्ते भी ले सकते हैं, परन्तु इस शर्त पर कि स्थानीय प्रतिकरात्मक भत्तों सहित उनका कुल वेतन ४०० रुपये प्रतिमास से अधिक न हो :

नियुक्ति का स्थान	प्रतिकरात्मक स्थानीय भत्ते की राशि
१. १,००,००० की जनसंख्या वाले नगर	२० रुपये
२. बम्बई, पूना, अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता	४० रुपये

ख—केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रम, जिन्हें बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है :

श्रेणी	अभिधान	वेतन-क्रम
१	२	३
प्रथम श्रेणी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतन-क्रम के अनुसार वेतन+ भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों

†मूल अंग्रेजी में।

१	२	३
		को ३००/-/- रुपये प्रतिमास का विशेष अतिरिक्त वेतन भी मिलता है । (अन्य के लिये ११००-५०-१३००-६०-१६००-१००-१९००)
प्रथम श्रेणी	निदेशक	६००-४०-१०००-१०००-१०५० १०५०-११००-११००-११५० =
प्रथम श्रेणी	उपनिदेशक (गवेषणा संस्था)	६००-४०-८००-५०-११५०-+ २०० रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन
,,	विभागीय प्रमुख	६००-४०-८००-५०-११५०
,,	गन्ने के गुड़ सम्बन्धी सहायक मलाहकार	३५०-३५०-३८०-३८०-३०-५९०-३०-७७०-३०-८५०
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	मुख्य लेखा पदाधिकारी	५००-३५-८५०
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	वरिष्ठ गवेषणा पदाधिकारी संचालक आदि	५००-३०-८००
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	कार्यालय सचिव (आर.आई.वर्धा)	४२०-२०-५००
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	सहायक लेखा पदाधिकारी	३५०-२५-६५०
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	वरिष्ठ यंत्र-इंजीनियर सहायक निदेशक आदि (अम्बर चरखा कार्यक्रम)	३५०-२५-५००-३०-८००
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	सहायक निदेशक	३२५-२५-५०० दक्षता रोक-३०-५९०
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	उप-सहायक लेखा अधिकारी	३२५-२५-५००-दक्षता रोक-३०-५९०
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	सम्पादक	३२५-२५-५५०-दक्षता रोक-३०-७००
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	गवेषणा अधिकारी	२७५-२५-५००-दक्षता रोक-१०-६५०-दक्षता रोक-३०-८००
द्वितीय श्रेणी (घोषित)	इंजीनियर	३५०-३५०-३०-३८०-३८०--४१०
द्वितीय श्रेणी (अघोषित)	कनिष्ठ यंत्र-इंजीनियर	२२०-१५-४००-दक्षता रोक-२०-४५०
द्वितीय श्रेणी (अघोषित)	सहायक	२२०-१५-४००-दक्षता रोक -२०-५००-दक्षता रोक -२५-६५०
द्वितीय श्रेणी	लेखापाल	२२०-१५-३८०-दक्षता-रोक २०-५००
द्वितीय श्रेणी (अघोषित)	कनिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारी	२५०-१५-४००-दक्षता रोक-२०-५००

१	२	३
द्वितीय श्रेणी (अघोषित)	वरिष्ठ आर्थिक खोजकर्ता	२५०–१०–५००
तृतीय श्रेणी–	लायब्रेरियन, वरिष्ठ	१६०–१०–३००–१५–४५०
–तदैव–	प्रयोगशाला अधीक्षक	१६०–१०–३००
–तदैव–	कनिष्ठ आर्थिक खोजकर्ता	१६०–१०–३३०
–तदैव–	यंत्र सम्बन्धी ड्राईंग के पदाधिकारी	१५०–७–१८५–दक्षता रोक–८–२२५
–तदैव–	विद्युत् कार	१००–८–१४०–१०–२००–दक्षता –रोक–१०–३००
–तदैव–	ड्राफ्टमैन	१००–५–१२५–६–१५५–दक्षता –रोक–६–१८५
–तदैव–	स्टोर कीपर	८०–५–१२०–दक्षता रोक–८–२००–१०/२–२२०
–तदैव–	अर्हता प्राप्त मैकेनिक्स	६०–५/२–७५–३–१०५
–तदैव–	दक्षता प्राप्त मिस्तरी	५०–५/२–७५–३–१०५
–तदैव–	मोटर चालक	६०–५/२–७५
–तदैव–	निम्न विभाग के लिपिक	५५–३–८५–दक्षता रोक–४–१२५–५–१३०
चतुर्थ श्रेणी	चपरासी	३०–१/२–३५

उपरोक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार सामान्य भत्ते लेने के अधिकारी हैं।

प्रलेखीय चलचित्र

†४९४. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५६ से लेकर आज तक कुल कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये हैं ;

(ख) वे चलचित्र किन-किन विषयों पर हैं; और

(ग) वे किन-किन भाषाओं में तैयार किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) २०

(ख) और (ग). प्रलेखीय चलचित्रों के नाम, विषय, और भाषायें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६**]

निष्काम्य सम्पत्तियां

†४९५. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९५६ से लेकर अक्तूबर, १९५६ के अन्त तक राज्यवार कुल कितनी निष्काम्य सम्पत्तियां नीलाम की गयी हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ६१३–३४

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
६३२	संश्लेषित तेल संयंत्र...	६१३–१४
६३३	केन्द्रीय रेशम बोर्ड ...	६१४–१५
६३४	कपड़े पर उत्पादन शुल्क	६१५–१६
६३५	छाड़ बेट ...	६१६–१७
६३६	अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम...	६१७–१८
६३८	पुराना किला, दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति ...	६१८
६३९	भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७ ...	६१८–१९
६४२	प्रधान मंत्री के भाषण ...	६१९–२०
६४३	गुआ की मैंगनीज खानें ...	६२०–२२
६४४	तिब्बत और नेपाल के बीच यात्रा	६२२–२३
६४५	झांसी की रानी शताब्दी उत्सव	६२३–२४
६४६	दक्षिणी कोरिया का आरोप	६२४
६४७	लिगनाइट परियोजना नाईवेली...	६२४–२५
६५४	औद्योगिक आवास	६२५–२६
६५६	भारत का आयात और निर्यात व्यापार	६२६–२८
६५८	मद्रास निगम की प्रस्तावनायें ...	६२९–३०
६६१	निष्क्रांत सम्पत्ति	६३०–३१
६६३	राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की स्थापना	६३१–३३
६६५	उर्वरक कारखाने ...	६३३
६६६	दिल्ली में दुकानों का आवंटन ...	६३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ६३५–५१

तारांकित प्रश्न संख्या		
६३७	इंजीनियरों का प्रशिक्षण ...	६३५
६४१	बिहार में उच्च शक्ति विसंवाहक कारखाना	६३५
६४८	विदेशों में इंजीनियरों का प्रशिक्षण	६३६
६४९	वियत-नाम ...	६३६
६५०	मेगनेशियम निकालने का संयंत्र	६३६
६५१	मद्रास राज्य में गंदी बस्तियों को हटाना	६३७
६५२	लौह-मैंगनीज संयंत्र	६३७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६५५	नेपाल के प्रधान मंत्री का दौरा	६३७
६५७	किसानों के लिये बुलेटिन (समाचार)	६३७–३८
६५९	दक्षिण पटेल नगर	६३८
६६०	निर्यात संवर्धन परिषद	६३८
६६४	डी० डी० टी० का कारखाना ...	६३८
६६७	कपड़े का अभ्यंश ...	६३८–३९
६६८	पुनर्वेलन उद्योग सम्बन्धी समिति	६३९
६६९	मोटर साइकलों का निर्माण	६३९
६७०	व्यापार चिन्ह् जांच समिति ...	६३९–४०
६७१	अखबारी कागज के कारखाने	६४०
६७२	निष्क्राम्य सम्पत्तियां	६४०
६७३	प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति	६४०–४१
६७४	डाक तथा तार विभाग का संग्रहालय	६४१
६७५	डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना ...	६४१
६७६	स्नेहक तेल	६४१–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४७२	अफ़्रीका में भारतीय	६४२
४७३	काम दिलाऊ दफ्तर	६४२
४७४	अफगास्तिान के साथ व्यापार	६४२
४७५	बागान जांच समिति ...	६४२–४३
४७६	'सिलाई की मशीनों का निर्यात	६४३
४७७	काम दिलाऊ दफ्तर, बीकानेर	६४३
४७८	हरि चाय का बाजार	६४३
४७९	कच्चा कोक ...	६४४
४८०	संश्लिष्ट औषधियां	६४४
४८१	डाक के डिब्बे	६४४–४५
४८२	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पाद	६४५
४८३	रूस से हवाई जहाज खरीदना	६४६
४८४	राज्य व्यापार निगम	६४६
४८५	कुछ पदाधिकारियों को बिना किराये का निवास स्थान...	६४६
४८६	भारत-लंका विमान-करार ...	६४७
४८७	विदेशों से वाणिज्यिक लेन-देन	६४७
४८८	मंडी में सेंधा नमक की खानें	६४७
४८९	टेलीफोनों का लगाना	६४७–४८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
४९०	भारी पानी का उत्पादन	६४८
४९१	पत्र पहुंचाना	६४८
४९२	टेलीफोन और तार के कनेक्शन	६४८–४९
४९३	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी	६४९–५१
४९४	प्रलेखीय चलचित्र	६५१
४९५	निष्क्राम्य सम्पत्तियां	६५१

M13LSD—190—5-2-58—GIPF

खण्ड ९ — अंक १३
३० नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
राज्य-सभा से सन्देश ...	**५८५**
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	**५८६**
लोक-लेखा समिति—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन ...	५८६
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन सम्बन्धी विधेयक	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	५८६
बाल विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	५८६
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य	५८६–८७
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	५८७
सभा का कार्य ...	**५८७–८८**
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८८–६१२
श्री राघवाचारी ...	५८९–९०
श्रीमती उमा नेहरू	५९०–९२
श्री ले० जोगेश्वर सिंह	५९२–९३
श्री न० रा० मुनिस्वामी	५९३–९४
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५९४–९५
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह	५९५–९८
श्री जांगड़े ...	५९८–६००
श्रीमती मिनी माता	६००–०१
श्रीमती सुषमा सेन	६०१
श्री दातार ...	६०१–०२
खण्ड २ से २५ और १ ...	६०२–११
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६१२
श्री दातार	६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	६१२–१३
कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प	**६१३–२८**
श्री त० ब० विट्ठल राव	६१३–१५
श्री का० प्र० त्रिपाठी	६१५–१७
डा० जयसूर्य ...	६१७
श्री शि० ला० सक्सेना	६१८–१९

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पोठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान् मुझे राज्य-सभा के सचिव से ये तीन सन्देश प्राप्त हुए हैं :

(१) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने के लिये कहा गया है कि लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में पारित राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक १९५६ को राज्य-सभा ने २७ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

(२) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने के लिये कहा गया है कि लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में पारित अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने २९ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

(३) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने के लिये कहा गया है कि लोक-सभा द्वारा १६ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में पारित उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने २७ नवम्बर, १९५६ को अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

†मूल अंग्रेजी में ।

M42LSD—1

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७५५ की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०–५१०/५६]**

लोक-लेखा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : विनियोग लेखे (असैनिक) १९५२–५३ में सम्मिलित स्वीकृत अनुदानों और पारित विनियोगों से अधिक हुए व्यय पर मैं लोक-लेखा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन सम्बन्धी विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन*

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं क विनियमन और अनुज्ञप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

बाल विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन*

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : भाग 'ग' राज्यों में उपेक्षित और अपचारी बालकों की देखभाल, रक्षा, पालन-पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को जिस रूप में राज्य-सभा ने पारित किया है उस पर मैं प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन*

†**श्री कासलीवाल** (कोटा–झालावाड़) : विद्युत् (संभरण), अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*दिनांक ३०-११-५६ के भारत क सूचना पत्र असाधारण भाग २—खण्ड २ में प्रकाशित ।

साक्ष्य

श्री कासलीवाल : विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में प्रवर समति के सामने दी गई साक्षी की एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं ।

भारतीय तार संशोधन विधेयक*

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

भारतीय तार अधिनियम, १८८५ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६ को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की अवधि में इस सभा के सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं ।

जो कार्य आज की कार्य सूची में से पूरा नहीं किया जा सका है उसे सर्वप्रथम निबटाया जायेगा । आशा है कि इसमें केरल राज्य तथा केन्द्रीय बिक्रीकर विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा निर्गमित उद्घोषणा पर भी विचार करना सम्मिलित होगा ।

इसके बाद इन विधेयकों को प्रस्तुत किया जायेगा :

१. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में बाट तथा माप मान विधेयक, १९५६ ।

२. मार्ग परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ।

३. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ।

४. भारतीय सांख्यकी संस्था विधेयक ।

एक या दो विधेयक इस सूची में और जोड़े जा सकते हैं । इस स्थिति में मैं अगले सोमवार को कार्य के क्रम में उनके स्थान के सम्बन्ध में एक घोषणा करूंगा ।

२७ सितम्बर, १९५४ को जनगांव और रघुनाथपल्ली के बीच एक गर्डर पुल पर ३१९ डाउन एक्सप्रैस के पटरी पर से उतरने के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से सम्बन्धित श्री फीरोज गांधी के प्रस्ताव पर बुधवार, ५ दिसम्बर को ३ बजे म० प० वाद-विवाद होगा ।

मैं इस अवसर पर सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि आज साढ़े चार बजे वित्त मंत्री एक वक्तव्य देंगे । इसके लिये मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ।

†**श्री ति० सु० अ० चेटिट्यार** (तिरुपुर) : किस पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*दिनांक ३०-११-५६ के भारत के सूचना पत्र असाधारण भाग २—खण्ड २ में प्रकाशित, पृष्ठ १०३१–३५ ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : किसी वित्तीय मामले पर । इसे पहले घोषित नहीं किया जा सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका सम्बन्ध किससे होगा यह बताना सरकार के लिये इस समय सम्भव नहीं है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : आप भली प्रकार समझ ही सकते हैं कि बात किस प्रकार की है ।

इसका यह अर्थ होगा कि सरकारी कार्य आज दो बजे समाप्त हो जाना चाहिये और उस समय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये ताकि साढ़े चार बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो सके और यह वक्तव्य दिया जा सके ।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला रायबरेली–पूर्व) : जनगांव–रघुनाथ-पल्ली प्रतिवेदन पर ५ दिसम्बर को विचार किया जायेगा । निरीक्षक का प्रतिवेदन यद्यपि १९५४ में प्रकाशित किया गया था तथापि अभी तक उसे सभा-पटल पर नहीं रखा गया है । इसे पटल पर रखना चाहिये ।

†**श्री पुन्नूस** (आलप्पि) : इसे परिचालित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि इसे पटल पर नहीं रखा गया है तो अवश्य ही रखना चाहिये ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इसे रख दिया जायेगा ।

†**श्री फीरोज गांधी** : दो प्रतिवेदन हैं । एक पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन है और दूसरा निरीक्षक का । हम चाहते हैं कि दोनों प्रतिवेदन पटल पर रखे जाने चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार को बता दिया गया है और किस प्रतिवेदन को पटल पर रखना है वह इस बात पर विचार करेगी । परन्तु जिस बात पर वाद-विवाद किया जाना है उसे वाद-विवाद से पूर्व अवश्य ही पटल पर रखना चाहिये ।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : पुस्तकालय में एक भी प्रति प्राप्य नहीं है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : एक प्रति थी, जो मैंने ले ली है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ४-३० से ५ म० प० तक विशेष सरकारी कार्य होगा इसलिये गैर-सरकारी कार्य २ बजे प्रारम्भ होगा ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : केरल राज्य की उद्घोषणा के सम्बन्ध में माननीय संसद्-कार्य मंत्री ने समय नहीं बताया है । हम जानना चाहते हैं कि कितना समय दिया जायेगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : पांच घंटे के समय की पहले ही घोषणा की जा चुकी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसकी घोषणा की जा चुकी है और सभा द्वारा इसे अनुमोदित भी किया गया है ।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक––समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब अनैतिक पण्य-दमन विधेयक के विचार करने के प्रस्ताव पर जिसे २९ नवम्बर, १९५६ को श्री दातार ने प्रस्तुत किया था आगे चर्चा आरम्भ करेगी । श्री राघवाचारी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री राघवाचारी** (पेन्नुकोंडा) : मैं कल इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था। इस विधेयक का शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि इसका आशय यह बीमारी समाज से दूर करना नहीं बल्कि अनैतिक पण्य-दमन करना ही है। मैं कह रहा था कि इस प्रकार यह बीमारी अन्दर-अन्दर रहेगी, नष्ट नहीं होगी।

मैंने इस विधेयक के उपबन्धों को ध्यान से देखा है। विधेयक बनाने वालों ने अपराधियों के लिये प्रत्येक प्रकार की सम्भव सजायें इसमें रखी हैं। किन्तु यह मामला ऐसा है कि ये सब बातें असफल हो सकती हैं। हमें सोचना यह चाहिये कि इस रोग के वास्तविक कारण क्या हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि यह काम आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण होता है। मैं इस बात से सहमत हूं किन्तु मैं समझता हूं कि यह बीमारी नगरों में ही है गांवों में नहीं है।

शहरों में यह बीमारी बढ़ी, और बहुत ज्यादा बढ़ी। पहले तो इसके लिये शहरों में भी विशेष मुहल्ला या बाजार होता था किन्तु आबादी बढ़ने के साथ-साथ यह चीज गली मुहल्लों में भी फैल गई। इसलिये सबसे अच्छा उपचार यही है कि इसको हम हर पहलू से बुरा समझें।

इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में मेरा विचार यह है कि वह कड़े हैं और दण्ड जो रखे गये हैं वह भी सख्त हैं।

एक बात इन उपबन्धों में यह अच्छी है कि अधिकतर मामलों के बारे में न्यायालयों को स्वविवेक से काम करने की शक्ति दी गई है। न्यायालय अभियुक्तों को अच्छे आचरण की जमानत आदि लेकर छोड़ सकते हैं। इससे कुछ कठोरता कम होती है। मुझे आशा है कि न्यायालय भी कठोर दण्ड देने क बजाय नरमी से काम लेंगे।

इस विधेयक के उपबन्ध ऐसे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करे और फंस जाये तो बाद में उसका सारा जीवन ही नष्ट हो सकता है और समाज में उसके लिये कोई स्थान नहीं रहेगा। दूसरा उपबन्ध यह है कि ऐसे लोगों को रक्षित गृहों में ले जाया जायेगा। इसमें भय की बात यह है कि यदि ऐसे सभी लोगों को एक स्थान पर रखा जाये तो उनका सुधार नहीं हो सकेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि नगरों में ऐसे कई-कई गृह होने चाहियें।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक विशेष पुलिस अधिकारी सब काम करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि साधारण सिपाही इन लोगों को अपने नियंत्रण में रखेंगे। उन्हें इस बीमारी को दूर करने में कोई रुचि नहीं होती बल्कि यह हो सकता है कि ये लोग खुद ही ऐसी संस्थाओं से अनुचित लाभ उठायें। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि महिला पुलिस इस काम को करे। यह ठीक है कि सरकार को पुलिस के काम में अनुभव प्राप्त महिलायें अभी न मिलें। किन्तु इसका हल किया जा सकता है। वास्तव में उद्देश्य यह होना चाहिये कि अपराधियों को सुधारा जाये न कि यह कि उन्हें दण्ड दिया जाये।

हो सकता है कि यह बीमारी आर्थिक कारणों से हो हो—इसलिये उन गृहों में आई हुई महिलाओं को ऐसे कामों में प्रशिक्षण दिया जाये जिनसे उन्हें लाभ हो और वह बाद में जाकर अपना काम आरम्भ कर सकें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये लोगों को भी तैयार किया जाये। और हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिये। आधुनिक लोग पुरानी बातों का मूल्य नहीं जानते। वफादारी, पवित्रता, तथा सम्मान की भावना समाप्त सी हो रही है। दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक तरीके भी इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस कारण वफादारी तथा पवित्रता की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री राघवाचारी]

यह मामला एक या दो दिन में हल होने वाला नहीं है। इन संस्थाओं को ठीक ढंग से चलाने के लिये भी यह आवश्यक है कि इन्हें स्त्रियां ही चलायें। अन्यथा जिस बीमारी को रोकने के लिये यह संस्थायें बनाई जायेंगी यह बीमारी वहां से ही बढ़ेगी।

मैं इस उपबन्ध के विरुद्ध हूं कि पुलिस अधिकारी बिना अधिपत्र के तलाशी लें। इसके पक्ष में कहा गया है कि शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये यह किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है--- क्योंकि यह अपराध तो तभी होता है जब कोई व्यक्ति अभ्यस्त हो। इस कारण बिना अधिपत्र तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे यह कि सार्वजनिक स्थानों के २०० गज के बीच गिरफ्तारी की जा सकती है। इससे लोगों का दमन भी हो सकता है।

मैं चाहता हूं कि जमानत तथा अपना पता बताने के बारे में सब बातें भी हटा दी जायें। इनसे ये लोग जनसाधारण की नजरों में गिर जायेंगे और उनका सुधार न हो सकेगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत से सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। सभी इसका समर्थन करते हैं। इसे २ बजे तक समाप्त करना है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सामान्य चर्चा १ बजे तक समाप्त होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हां।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : जो इसका विरोध करते हैं उन्हें ५ मिनट तो दिये ही जायें।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : जो प्रवर समिति में थे उन्हें अवसर न दिया जाये—दूसरों को दिया जाये।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। इस बिल को हमने सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में अच्छी तरह से देखा, और हर पहलू को देखकर हमने इसको सुधारा और उसके बाद खुशी का दिन है कि कुछ अर्से के बाद यह इस हाउस के सामने आया है। मुझे यकीन है कि जब यह बिल यहां पर पास होगा तो उससे समाज को बहुत लाभ होगा। हालांकि मुख्तलिफ दलीलें भी मैंने सुनीं, लेकिन मैं देखती हूं कि सब लोग इस बिल की सपोर्ट में हैं। यह बिल प्रास्टिट्यूशन (वेश्यावृत्ति) को खत्म करने के लिये नहीं मालूम देता है, लेकिन इस बिल के जरिये से प्रास्टिट्यूशन और **ट्रैफिक इन वीमन ऐंड गर्ल्स** (स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य के) साधनों से उनको खत्म करने के लिये हम जरूर खड़े हुए हैं। मगर फिर भी हमारी नियत यही है कि हमारे देश से प्रास्टिट्यूशन खत्म हो जाये।

असल बात तो यह है कि जब तक आप समाज में उलट फेर नहीं करेंगे तब तक प्रास्टिट्यूशन की जो खराबी है वह खत्म नहीं हो सकती है। जब तक स्त्री और पुरुष एक ही लेवेल पर नहीं होंगे, जब तक इस देश में स्त्री की इज्जत उतनी नहीं होगी जितनी पुरुष की होती है तब तक इस प्रास्टिट्यूशन का खत्म होना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूं कि जो यह ट्रफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स हम बन्द करने जा रहे हैं उसमें मुमकिन है कि नतीजा यह हो कि प्रास्टिट्यूशन हमारे समाने न दिखलाई पड़े, और अन्दर चला जाये, और एक नासूर की तरह से मुल्क में इधर-उधर फूटता दिखाई पड़े। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि हम इसके लिये कदम न उठायें। हमने तो विचार कर लिया है कि हमको इसको बिल्कुल

†मूल अंग्रेजी में।

खत्म करना है। बात यह है कि जब हम प्रास्टिट्यूशन को देखते हैं तो समझते हैं कि असल में यह अमीरों की बीमारी है, रईसों की बीमारी है, और यह आज से ही नहीं है बल्कि सदियों से, युगों से चली आ रही है। उसके बाद हमारे अन्दर यह ख्याल आता है कि हम किस तरह से इसको रोकें। रोकने का ढंग हमें एक ही दिखाई देता है, और वह यह है कि समाज को बदला जाये। इन छोटे-छोटे रिफार्म्स (सुधारों) से काम नहीं चलेगा, आपको समाज में उलट फेर करना होगा, तभी आप इस बात को रोक सकते हैं। इसके सम्बन्ध में हमारे सामने यह बात आती है कि जो स्त्री सदा से पूजनीय कहलाती है, इस देश में जो आदरणीय कहलाती है, आज उस स्त्री की यह इज्जत है कि वह इस तरह से बरती जाती है। मैं तो सरकार से यह कहूंगी कि जब आज सरकार इस प्रथा को खत्म करने के लिये खड़ी है तो पहली चीज उसको यह करनी होगी कि वह देखे कि आखिर स्त्री क्यों इतनी गिरी। उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सरकार को बदलनी चाहिये। सरकार को वर्क हाउसेज, और नर्सरी होम्स ऐसी चीजें चलानी चाहियें ताकि औरतों को काम मिल सके। औरतों की इज्जत हो और वह आगे बढ़ें। यह तभी होगा जब उनकी आर्थिक स्थिति को आप बदलेंगे। उनकी दशा को बदलने के साथ-साथ जो समाज सेवक या वर्कर्स देश में इसके लिये काम करेंगे उनकी पूरी मदद आपको करनी होगी। जब तक इस काम के लिये सोशल वर्कर्स आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता, जब तक आप स्त्रियों के लिये वर्क हाउसेज नहीं बनायेंगे तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने सुना था कि वृन्दावन में स्त्रियां बेची जाती हैं। मैं खुद वृन्दावन गई और वहां जाकर देखा कि एक जगह एक कैपिट-लिस्ट (पूंजीपति) मारवाड़ी है। उसने एक बड़ा भारी हाल बनवाया है। जब स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, नौजवान विधवाओं को लाकर वह वहां छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना जन्म यहां बिताओं, भगवान का नाम लो और यहां रहो। उस मारवाड़ी कैपिटलिस्ट ने क्या किया है कि उन स्त्रियों को उस हाल में बिठाता है और वह स्त्रियां वहां पर "हरे राम" और "हरे कृष्ण" का भजन करती हैं। खरीदार वहां आते हैं। वे लोग उनको वहां पर पसन्द करते हैं और वहां पर वे बिकती हैं। मैंने खुद इस चीज की जांच की है और उन स्त्रियों से भी मैंने बात की है। उसी के आधार पर मैं इस चीज को आपके सामने रख रही हूं। इस तरह की चीजें होती देख कर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस तरह का नजारा बहुत ही दुखदायी नजारा होता है। वहां पर हमारे कैपिटलिस्ट भाई उनको खरीदते हैं और कैपिटलिस्ट भाई ही बेचते हैं। इस तरह से स्त्रियों की बेइज्जती होते देखकर सचमुच ही बहुत दुःख होता है।

इस तरह की और भी कई मिसालें हैं और अगर मैं उनको बयान करने लगूं तो काफी समय इसी में व्यतीत हो जायेगा। मेरी अपनी स्पष्ट राय यह है कि हमको कानून को सख्ती से अमल में लाना चाहिये। मेरी राय यह भी है कि हमको किसी भी चीज पर परदा नहीं डालना चाहिये और जो बात हो उसे साफ-साफ कहना चाहिये और जो असलियत है उसे समाज के सामने आना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह जो प्रथा है यह प्राचीन काल में भी थी और आज भी हमारी आंखों के तले, हमारी नाक के तले यह चीज हो रही है। हम बड़े-बड़े रईसों को, बड़े-बड़े अफसरों को, बड़े-बड़े लीडरों को इस कर्म को करते हुए देख रहे हैं। हम अपने एम० पी० (संसद्-सदस्य) भाइयों को भी इस काम को करते हुए देख रहे हैं। इसकी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। लाज और शर्म के मारे हम इन सब चीजों को बयान नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा बस चलता तो मैं आपको बताऊं कि हम खुद जाकर पुलिसमैन का काम करके उनको गिरफ्तार कर लेतीं।

यहां पर कल चीन की चर्चा हुई। मैं भी चीन गई थी। वहां पर जाकर मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की है। चीन में न मुझे कोई प्रास्टीट्यूट दिखाई दी और न ही कोई फकीर जिसको मैंने हाथ फैलाये हुए देखा हो। वहां पर जिस वक्त सरकार ने यह सोचा कि प्रास्टीट्यूशन बन्द होना चाहिये, उसी वक्त उसने वर्किंग होम्स बना दिये, नर्सरीज बना दीं, और ऐजुकेशनल इंस्टीट्यशंस में

[श्रीमती उमा नेहरू]

और दूसरी जगहों पर इनको काम पर लगा दिया । जिन औरतों ने जरा सा भी ढीठपना किया या जो पुरानी मुजरिम थीं, उनको जेल भेज दिया । वहां पर उनको मारेलिटी की शिक्षा दी । इस तरह से वहां पर सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है । यह बात कहना कि वहां पर यह चीज ऊपर से खत्म हुई है और अन्दर कहीं पर है, यह मैं समझती हूं कि ठीक नहीं है । चीन के प्रधान मंत्री जो आजकल यहां हैं, उन्होंने भी मुझे यही बताया था । चीन की औरतों से भी मेरी बातचीत हुई है । उन्होंने मुझे कहा अगर चीन की कोई भी औरत प्रास्टीट्यूशन करेगी, तो यह चीन के लिये एक जलालत की बात होगी । एक बात और है । वहां पर स्त्रियों की डिगनिटी (गरिमा) बहुत ज्यादा है । मैंने जब उनसे यह सवाल किया कि क्या कारण है कि चीन की औरतें इधर-उधर बहुत कम दिखाई देती हैं तो उन्होंने जबाब दिया कि चीन में स्त्रियों का अपना एक स्थान है, उनकी अपनी इज्जत है । वहां पर स्त्रियों को इस बात का ज्ञान हो गया है कि उनकी अपनी इज्जत है । उन्होंने कहा कि हम अपने पतियों से अगर कहीं से कोई बुलावा आता है और उसमें मिसिज़ को भी बुलाया जाता है तो नहीं जाती हैं । हम मिस्टर और मिसेज़ के फेर में नहीं पड़ती हैं । अगर हमको कोई बुलाता है तो हमारी जो इंडिविजुएलिटी (व्यक्तित्व) है, उस पर ही हम जाती हैं, किसी की पत्नी होकर हम नहीं जाती हैं । जब स्त्रियों में यह ज्ञान होगा, जब उनकी इस तरह से इज्जत होनी शुरू हो जायेगी तो प्रास्टीट्यूशन आप से आप खत्म हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : पति को भी मना कर दिया जायेगा कि वह पति होकर न जाये ।

श्रीमती उमा नेहरू : पति और पत्नी में कोई भेद नहीं है । पति का हाथ हमेशा ही ऊपर रहता है और पत्नी का नीचे ।

अन्त में मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि जितने भी सोशल बिल्स (सामाजिक विधेयक) हमारे सामने आये हैं और जो अभी तक पास नहीं हुए हैं, उन सबको वह इसी सैशन (सत्र) में पास करवा दें । मैं यह भी चाहती हूं कि सरकार पूरी ताकत के साथ इन कानूनों को अमल में लाए । सरकार जो पुलिस इन कानूनों को अमल मे लाने के लिये मुकर्रर करे, चाहे वह स्त्री पुलिस हो या पुरुष पुलिस, उस पुलिस को आपको खास किस्म की शिक्षा देनी होगी, पुलिस को आपको खास तौर से इस काम के लिये ट्रेंड करना होगा । उस पुलिस की हमको इस काम के लिये जरूरत नहीं है जो चोरों और डाकुओं को पकड़ती है । मेरा ख्याल है कि सरकार इस ओर खास तौर से ध्यान देगी ।

मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं कि उनके हाथों से यह बिल पास होगा । हम जो स्त्रियां हैं वे तो कोशिश करेंगी ही कि यह जो कलंक का टीका है वह देश के माथे पर न रहे लेकिन सरकार को भी इसको मिटाने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : श्रीमान् मुख्य बात यह है कि हमें इन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखना चाहिये । शहरों में वेश्यायें अधिकतर अविकसित क्षेत्र में ही होती हैं । माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के हालात जानते हैं । जहां तक आदिम जाति क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां लोग आपस में खुल्लम-खुल्ला मिलते-जुलते हैं । वहां पर शहरों आदि के तथाकथित सभ्य लोग जाते हैं और वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं । गरीबी के कारण वह लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं । पुलिस भी अधिक ध्यान नहीं देती । पहाड़ों में यह काम स्वतन्त्रता से होता है । दूत और जार लोग इन भोले लोगों से अनुचित लाभ उठाते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक हम आदिम जाति क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करते इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता ।

इन सब बातों का कारण यह है कि मुझे आदिम जाति क्षेत्रों की स्थिति का ज्ञान है । मैं वहां घूमा हूं । वहां की स्त्रियां भी सुन्दर होती हैं । देश के पूर्वी तथा उत्तरी भाग में इन लोगों की आबादी ज्यादा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : क्या लोग वहां न जायें ?

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : लोग वहां जाकर अपराध करते हैं। हां कुछ लोग वहां उद्धार का काम करने भी जाते हैं। ऐसे लोगों का वहां जाना ठीक है। किन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं--जैसा कि श्रीमती उमा नेहरू ने बताया कि मारवाड़ी सेठ वहां जाकर खराबियां करते हैं। ये लोग वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं।

कुछ बेकार लोग वहां जाकर दलालों का काम करते हैं और धन कमाते हैं।

मैंने देश के पूर्वी भागों में यह देखा है कि असहाय विस्थापित स्त्रियों के गृह भी अड्डे बने हुए हैं।

इसलिये इसके निवारण के लिये यह आवश्यक है कि लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाये। आर्थिक स्थिति ठीक करने के साथ हमें नैतिक स्तर भी ऊंचा करना होगा। केवल इस विधेयक के पारित करने से ही हम सफल न हो सकेंगे। हमें इन भोले लोगों को समझाना चाहिये कि उन्हें क्या-क्या हानियां इससे होती हैं।

उसके बाद रक्षित गृहों का मामला है। इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। हमें यह मामला रक्षित गृहों पर ही नहीं छोड़ना चाहिये। देश में वेश्याओं के बहुत बाजार हैं। लोग वहां आजादी से जा सकते हैं। हमें उन हजारों वेश्याओं के लिये किसी वृत्ति का उपबन्ध अवश्य करना चाहिये। यह मामला राज्य सरकारों को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। यह गृह भी राज्य सरकारों को ही चलाने चाहियें।

यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मैं यह सुझाव देता हूं कि हमें बीमारी की जड़ पकड़नी चाहिये और लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा करना चाहिये। इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें पर्याप्त रकम निश्चित करनी चाहिये। अन्यथा यह योजना सफल न होगी और यह विधेयक कागज की एक पुर्जा होकर रह जायेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : विधेयक का शीर्षक है "स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन"। इसमें कहीं भी "अनैतिक पण्य" की व्याख्या नहीं की गई है।

यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि देश की स्त्रियां संतुष्ट हो जायें। दूसरे १९५० से सरकार ने इसी विषय सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का समर्थन भी किया है।

जहां तक इसे लागू करने का सम्बन्ध है, मुझे इस बात में सन्देह है कि हम प्रयोजन में सफल हो सकेंगे। इस विधेयक में कई उपबन्ध तो भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के हैं। दूसरे यह उपबन्ध कि अपना पता बताया जाये और बिना अधिपत्र के तलाशी ली जा सके, ये सब आजकल के समय के अनुकूल नहीं हैं। जहां तक अच्छे आचरण के उपबन्ध का सम्बन्ध है—उसके बारे में मेरा विचार यह है कि वह भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेगा।

विधेयक का प्रारूप अच्छा नहीं हुआ है। जब तक इसका प्रारूप ठीक ढंग से तैयार नहीं किया जा सकता तब तक इसे वापस ले लेना ही ठीक है।

मैं इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का समर्थन करता हूं किन्तु जैसा कि यह अब है उस स्थिति में मैं समझता हूं कि इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग वास्तव में यह काम करते हैं उन्हें दण्ड नहीं दिया जाता। ये छोड़ दिये जाते हैं, परन्तु जो व्यक्ति बीच में होते हैं उनको दण्ड दिया जाता है। मैं केवल यह कहूंगा कि देश की वर्तमान दशा में यह उपबन्ध उपयोगी नहीं होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

इससे हमें वास्तविक अपराधियों को दण्ड देने का प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा हम यह नहीं कह सकते कि यह स्त्री अथवा लड़की निर्दोष है। इन शब्दों में मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : कई सदस्यों ने यह ठीक ही कहा है कि हम समस्या को बड़े सीमित क्षेत्र में हल करने की चेष्टा कर रहे हैं।

[श्री राघवाचारी पीठासीन हुए]

मेरे मित्र श्री जोगेश्वर सिंह ने ठीक ही बताया कि इस बुराई का मूल कारण निर्धनता है और जब तक ऐसी स्त्रियों को, उनके पालन-पोषण के लिये उचित धन दिलाने वाले काम नहीं दिलाये जाते तब तक वे दूसरों के हाथ का खिलौना ही बनी रहेंगी। विधेयक के सीमित होने पर भी मैं इसका समर्थन इसलिये करती हूं क्योंकि इसका एक पहलू तो यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति कानून से बच नहीं पायेगा। प्रवर समिति में भी यह कठिनाई प्रस्तुत थी कि इस कानन से बचन की चेष्टा को सिद्ध किस प्रकार किया जाये। इसी कारण उच्च न्यायालय को अपराधियों को छोड़ देना पड़ता है।

कई सदस्यों ने कहा कि एक कठिनाई यह भी है कि इन खण्डों का गलत प्रयोग न किया जाये। हम पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी स्त्री के घर में जाने और उसे दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने की आज्ञा देने की शक्ति देते हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार मैं विधेयक के अन्य मूलभूत सिद्धान्तों से सहमत होते हुए यह कहना चाहती हूं कि विधि इतनी कठोर होनी चाहिये जिससे इससे बचने वालों को पकड़ा जा सके। पुलिस ही स्त्रियों के पण्य को रोक सकती है परन्तु सामाजिक तथा नैतिक आचार सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि उसे ऐसे मामलों का पता चला है कि स्त्रियों को पुलिस अफसरों को प्रसन्न करने के लिये अपना शरीर बेचना पड़ा। इस भ्रष्टाचार को सभी जानते हैं। इसलिये इस कार्य के लिये नियुक्त विशेष पुलिस दल में पूर्णतः परिवर्तन होने चाहियें।

सभा में उचित ही कहा गया कि वेश्याओं का बहिष्कार न करके हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये। तथा यह जिम्मेदारी विशेष पुलिस के प्रशिक्षण पर ही है वह इस कार्य को उचित रूप से करें। यह कठिन कार्य है परन्तु यह कार्य करने पर ही विधेयक को लागू करने से लाभ हो सकता है।

प्रवर समिति में भी मैंने कहा था और मैं सभा को भी यह बता देना चाहती हूं कि इस कार्य में हमें स्त्रियों को लगाना चाहिये। विशेष पुलिस दल में महिला पुलिस लगानी चाहिये तथा यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का काम है कि महिला पुलिस दल को प्रशिक्षित करें।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संरक्षण गृहों का है। हमने विधेयक में यही महत्वपूर्ण व्यवस्था रखाई है कि इन संरक्षण गृहों का प्रबन्ध पूर्णतया स्त्रियों के हाथों में रहे। यदि आप सामाजिक तथा नैतिक आचार सम्बन्धी मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पढ़ें तो यह पता चलेगा कि इन आश्रमों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। प्रतिवेदन में दिया गया है कि :

> "आश्रमों को प्रबन्ध समिति का एक पुरुष अधीक्षक होता है जो आश्रम के अन्दर रहता है तथा जब इच्छा हो तभी स्त्रियों की कोठरियों में चला जाता है। सभी स्त्रियों के सामने ही वह एक के बाद एक का इतिहास बताने लगता है।"

इसी प्रकार समिति ने बताया है कि आश्रमों में ये लोग किस प्रकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिये जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा ये बुराइयों के घर बने रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं श्री जोगेश्वर सिंह के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि इन संरक्षण गृहों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र न खोले जायें। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। राज्य सरकारों को ऐसी संस्थाओं को सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिये। हमारे देश में स्त्रियों के लिये कोई व्यवसाय नहीं है। इसलिये हमें इन संस्थाओं में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने चाहियें जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक रह सकें।

यदि हम उचित रूप से कार्यवाही करें तो यह सामाजिक बुराई दूर हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्रियों की सहायता प्राप्त पुलिस दल को इनको निकालने का काम सौंपना चाहिये तथा इन गृहों में पुनर्वास इस प्रकार हो जिससे यह आत्म निर्भर हो सकें।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर) : सभापति महोदय, यह विधेयक जो कल से इस सदन के सामने विचारार्थ है स्वागत योग्य है और अब शीघ्र ही इस पर धारा वार विचार प्रारम्भ होकर यह पास हो जायेगा। मेरा तो यह विचार है कि इस प्रकार का विधान आज से बहुत समय पहले पास हो जाना चाहिये था, खैर, जितनी देरी हो गई वह तो हो गई अब इसे हमको जल्द से जल्द पास कर देना चाहिये। लेकिन हमें इसको पास करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि खाली इस कानून को पास कर देने भर से हमारा उद्देश्य सिद्ध होने वाला नहीं है और इसका विशेष लाभ स्त्रियों को कैसे होने वाला नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहती हूं और मेरा अनुरोध है कि सरकार उन पर विचार करके उन पर अमल करने का प्रयत्न करे। यह कुप्रथा और कलंक हमारे देश और समाज से तभी मिट सकता है जब केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को इस काम में हर प्रकार से आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता दे और इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों के ऊपर केन्द्रीय सरकार का पूरा नियंत्रण रहना चाहिये वरना यह कुप्रथा मिटना मुश्किल है।

यहां पर जो यह विचार प्रकट किया गया है कि यह कुप्रथा हमारे यहां आदि काल से चलती आई है, मैं ऐसा नहीं मानती। आदि काल में भगवान ने जो सृष्टि की रचना की और प्राणी मात्र की रचना की तो वह सब के भले के उद्देश्य को लेकर ही की थी और कोई कुत्सित भावनायें मानव में नहीं थीं लेकिन आगे चल कर मानव में बुरे भावों का उदय हुआ और अपने स्वार्थवश उसने बुरी-बुरी किस्म की प्रथाओं को जन्म दिया है जिसके कि कारण आज हमारी ऐसी शोचनीय अवस्था हो रही है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि सरकार पहले गुप्त रूप से जितने भी देश में इस प्रकार के अनैतिक अड्डे हैं जहां कि इस तरह का शर्मनाक व्यापार चलता है उनका पता लगाये और व्यभिचार के स्थानों का पता लगाने के बाद एक दम से एक वक्त में उन सब स्थानों पर छापा मारे और उनको खत्म कर दे। मैं समझती हूं कि यह तरीका अपनाने से सरकार को इस काम में अधिक सफलता मिलेगी और इस अनैतिक काम को रोकना भी ज्यादा आसान होगा।

मैं चाहती हूं कि इस जुर्म के अपराधियों को अधिक से अधिक दण्ड दिया जाय, स्त्रियों को नहीं बल्कि मेरा अभिप्राय: उन लोगों से है जो स्त्रियों से इस प्रकार का पेशा करवाते हैं या अड्डे वगैरह चलाते हैं और वहां फांस-फांस कर स्त्रियों को लाकर रखते हैं और उन्हें इस नीच कर्म के लिये बाध्य करते हैं।

मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि कहां तो हम इस कुप्रथा को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकार उन वेश्यालयों से इनकम-टैक्स (आय-कर) ले रही है जिससे बजाय हतोत्साहित होने के वे लोग इस काम को करने के लिये उत्साहित होते हैं। इस पाप की कमाई का अंश सरकारी कोष में नहीं जाना चाहिये और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये, यह बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिये।

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

एक मेरा निवेदन यह भी है कि इस काम को करने के लिये और खोजबीन करने के लिये पुलिस अफसरों में पुलिस में और मजिस्ट्रेट के स्थान में महिलायें होनी चाहियें और महिलाओं के जिम्मे इस काम को देना चाहिये और इस काम के वास्ते समस्त विभाग ही स्त्रियों का हो जाना चाहिये क्योंकि स्त्रियां इस काम को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं और स्त्रियों के जिम्मे यह काम रहने से बहुत कम करप्शन (भ्रष्टाचार) की सम्भावना रहती है। मैं चाहूंगी कि इस खोजबीन का काम करने के लिये पुलिस अफसर, पुलिसमैन और मजिस्ट्रेट्स् ऊपर से नीचे तक सब महिलायें रखी जायें। मैं इस बात से तो इंकार नहीं करती कि स्त्रियों के द्वारा इस काम में करप्शन की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्त्रियां भी ऐसी हों जो कन्याओं को लाने व बेचने आदि का काम करती हों लेकिन तो भी स्त्रियों के द्वारा यह काम कराने से करप्शन की बहुत कम सम्भावना रहती है। पुरुष केवल चौकीदारी और पहरे का काम करने के लिये भर्ती किये जायें। मेरा विश्वास है कि अगर इस विभाग में सारी स्त्रियां रक्खी जायें तो इस कुरीति को रोकने में काफी कामयाबी मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि जहां आज हमारे द्वारा हरिजन भाइयों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उनको सवर्ण हिन्दू गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बड़े हर्ष का विषय है कि काफी मात्रा में हम उसमें सफल भी हुए हैं, उसी तरह क्यों न हम इन वेश्यालयों से अपनी बहनों का उद्धार करके उनको हरिजनों के समान अपने बराबर स्थान देने का प्रयत्न करें। जरूरत आज इस बात की है कि हम अपनी उन अभागी वेश्या बहनों के दिल में यह विश्वास पैदा करें कि हम उन्हें अछूत और हीन नहीं समझते और वे भी हमारी तरह मनुष्य हैं और हमारी तरह संसार में सिर उठाकर रिस्पैक्टफुली (सम्मानपूर्वक) अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। मैं समझती हूं कि अगर हम ऐसा कर सकें और उन अभागी बहनों को अपने बराबर बैठा सकें तो हम बहुत बड़ी हद तक अपने इस सद्-उद्देश्य के प्रयत्न में सफल हो सकेंगे और अपने देश और समाज के ऊपर जो यह कलंक है उसको मिटा सकने में समर्थ हो सकेंगे और अपने देश से इन वेश्यालयों को खत्म कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त वेश्याओं के जो बालक होते हैं उनको भी हमें समाज में मिलाना है क्योंकि अगर वेश्याओं के बालक-बालिकायें समाज में नहीं मिलाये जायेंगे तो उनकी बालिकायें आगे जाकर वेश्यायें बनेंगी और उनके लड़के पिम्प बन कर इस तरह के अनैतिक काम में शरीक होंगे और पापपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। हमें उन वेश्याओं और उनके बालक-बालिकाओं को यह विश्वास दिलाना है कि वे कोई दूसरे नहीं हैं बल्कि हमारी तरह इंसान हैं और उनका उद्धार करने के लिये हम अग्रसर हैं ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, हमें उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिये।

एक हमारे भाई ने हमें बतलाया कि हमारे देश में यह कुप्रथा इसलिये मौजूद है क्योंकि हमारे देश में निर्धनता है और चूंकि यहां के लोगों के पास खाने-पीने को कुछ नहीं है इसलिये यह कुप्रथा हमारे देश में फैली हुई है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वह ऐसे कुकृत्य की ओर अग्रसर होगा। मेरे विचार में यह हमारी मानसिक कमजोरी है और पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभाव के कारण हमारे संस्कार गलत होते जा रहे हैं जिसके कि कारण हमारा इस तरह पतन हो रहा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारे देश की माताओं को क्लबों और दूसरी इसी तरह की ऐक्टिविटीज (कार्यों) से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे अपन बच्चों की देखभाल कर सकें और उनका चरित्र अच्छा बना सकें और उनमें संस्कार डालें कि वे गलत राह पर जाने से रुक सकें। आज मातायें अपने बच्चों को सबेरे से दाइयों के जिम्मे करके ब्रिज, ताश इत्यादि खेलने निकल जाती हैं जिसका कि परिणाम यह होता है कि बच्चों के जैसे संस्कार बनने चाहियें वैसे नहीं बन पाते और वे गलत रास्तों परं सहज में ही बहक जाते हैं। इस वास्ते मैं समझती हूं कि हर एक देशवासी का और माताओं का पहला यह कर्त्तव्य है कि हम अपने बच्चों को कम से कम

जब तक कि वे ६, ७ वर्ष के न हो जायें और स्कूल में जाने लायक न हो जायें तब तक दाइयों के जिम्मे उनको न छोड़ें और हम खुद अपना स्वार्थ त्याग कर उनकी खबरगीरी रक्खें । मैं आशा करती हूं कि हमारी मातायें मेरे इस अनुरोध पर अवश्य ध्यान देंगी ।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि हमारे जो महिला आश्रम चलते हैं उन पर भी हमें निगरानी रखनी है और यह देखना है कि वे ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं और वहां पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है । मैं अपने ही प्रदेश के बारे में जानती हूं कि वहां कुछ ऐसे आश्रम हैं जो कि छिपे तौर पर वेश्यालय बने हुए हैं और हमें देखना है कि वहां पर यह पाप कर्म न हों और मैं समझती हूं कि महिलाश्रमों के निरीक्षण के लिये महिला अफसर होनी चाहियें जिससे वे अच्छी तरह निरीक्षण कर सकें और ऐसे आश्रमों में किसी भी समय वे जा सकें और यह देख कर अपने मन में यह निश्चय कर सकें कि वे आश्रम ठीक प्रकार से चल रहे हैं । महिला अफसर को आश्रम के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होना चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं समझती हूं कि हमारी स्त्रियां जो इस पापपूर्ण कर्म की ओर प्रवृत्त होती हैं बहुत बड़ी हद तक उसकी जिम्मेदारी हमारे पुरुष समाज पर है और अगर वे इस बात के लिये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें जैसे भी हो इस बुराई को अपने देश और समाज से दूर करना है तो हमारे भाई लोग बहनों से पहले इस गंदे और घृणित काम को रोक सकने में कामयाब हो सकते हैं । भारतवर्ष से वेश्यालयों को बन्द कराने के लिये हम भाई-बहनों की समान जिम्मेदारी है और हमको दृढ़ निश्चय के साथ इस कलंक को अपने दामन से दूर करने के लिये जुट जाना चाहिये जिसमें भाइयों को विशेष प्रयत्न करना है । दूसरे देशों में भी वेश्यालयों को बन्द करने के प्रयत्न हो रहे हैं और कहीं-कहीं पर बहुत कुछ कामयाबी भी मिली है तब हम ही इस शुभ कार्य में किसी से पीछे क्यों रहें ।

मैं आपको बतलाऊं कि आज से दस साल पहले मेरे जिले और प्रदेश में वेश्याओं और बालिकाओं का निर्यात किस तरह से बन्द था और आज किस तरह से वह निर्यात बढ़ रहा है उसका कारण यह है कि उस समय एक कानून था जिससे कि निर्यात २ प्रतिशत भी नहीं हो पाता था लेकिन आज इस कानून के लागू न किये जाने से वह निर्यात बढ़ कर ७० प्रतिशत हो गया है । कन्याओं को निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में सन् १९२८ में मेरे जिले में यह कानून लागू किया गया था कि जो लड़कियां और औरतें ग्राम से बाहर जाती हैं उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यानी पांच-छः वर्ष की उम्र से लेकर पचास वर्ष की उम्र तक की कोई स्त्री एक जिले से दूसरे जिले में न जाये क्योंकि खेती वगैरह का काम बहुत काफी है उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । और अगर बाहर जाये भी तो किसी अधिकारी को बता कर जाये और उसे यह विश्वास दिला कर जाये कि किस कारण से बाहर जा रही है । वे यह विश्वास दिलाकर ही बाहर जा सकती थीं । उन्हें यह भी बताना होता था कि कितने महीने बाहर रहेंगी और वापस कब लौटेंगी । इस बात का समय निर्धारित कर दिया जाता था कि वह स्त्री और बच्ची बाहर कितने दिन रहेगी इस प्रकार से यदि स्त्रियों के निर्यात के स्थानों पर भी सीमा बांध दी जाये तो बहुत काम चल सकता है । ऐसे कई इलाके हैं जिनमें अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का अवैध निर्यात बहुत कम हो जायेगा । मैं आशा करती हूं कि सरकार यह प्रतिबन्ध लगायेगी और राज्य सरकारों को भी आदेश देगी कि ऐसा प्रतिबन्ध लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह मेरे जिले की ही बात है जहां से कन्याओं को बहुत बड़ी मात्रा में लाया जाता है । अतः इस प्रकार के प्रतिबन्ध के कारण वहां लड़कियों और औरतों का अवैध निर्यात बहुत ही कम होता था ।

इतना कह कर मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि स्त्री की सब से बड़ी स्वतन्त्रता वही है जो कि पुरुष स्त्री का सन्मान करता है, उसको आदर व प्रेम से रखता है । यह हमारे लिये सब से बड़ी स्वतन्त्रता है और पति तथा कुटुम्बीजनों द्वारा सम्मान को पाकर स्त्रियों को संतोष होता है । अतीत काल से पुरुष वर्ग हमारा आदर करता आया है, अभी भी स्त्री के लिये सब से बड़ी स्वतन्त्रता यही है

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

कि पुरुष उसका आदर करे, पुरुषों की आंखों में स्त्री की इज्जत होना स्त्री के लिये सब से बड़ी स्वतन्त्रता व संतोष की बात है।

†**सभापति महोदय :** कई खण्ड हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य खण्डों पर बोलें तथा पांच मिनट से अधिक न लें।

दो और सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। विधेयक २ बजे म० प० समाप्त होना चाहिये। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**श्री दातार** : मुझे केवल पांच मिनट लगेंगे ।

†**सभापति महोदय** : जो सदस्य बोलना चाहते हों उनसे मेरा निवेदन है कि वे खण्डों पर बोलें।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : कुछ नये सुझाव देने हैं जो खण्डवार चर्चा में नहीं दिये जा सकेंगे।

†**श्री अच्युतन** : जिन माननीय सदस्यों ने अपने नाम नहीं भेजे हैं उन्हें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : ठीक है परन्तु समय नहीं है।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : खण्डों पर भी कुछ समय लगेगा ।

†**सभापति महोदय** : वे केवल पांच मिनट तक बोलेंगे। श्री जांगड़े ।

श्री जांगड़े : सभापति महोदय, हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह विधेयक इस सदन में पारित होने के लिये आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों के अनुरूप यह विधेयक बन रहा है। हमारे देश में और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में राजभवनों और पूंजीपतियों के घरों में, उनके आवासों में यह धंधा चलता था। पर उसका नाम वेश्यावृत्ति नहीं था। नर्तनकृत्य या दूसरे नामों से वह पुकारा जाता था। आज वही रवैया, वही पद्धति, अनैतिक भ्रष्टाचार या वेश्यावृत्ति, जर्जर छप्परों, सघन शहरों की गन्दी बस्तियों में और अनाश्रित स्थानों में आ टपकी है और अक्सर यह देखने में आता है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वह हम गरीबों की विवशता का नाजायज फायदा उठाते हैं। खैर मैं विस्तृत रूप में न जा कर कुछ स्पष्ट बातें यहा रखना चाहता हूं।

इस विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे कुछ खामियां (कमियां) मालूम हुई हैं। एक खामी यह मालूम होती है कि चलते-फिरते बाजारों, मेलों या तीर्थ स्थानों में ऐसे तम्बू या शिविर लगाये जाते हैं जहां पर कि वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है और जिन मक्सदों (उद्देश्य) को लेकर बाजार, मेले या तीर्थ-स्थान रक्खे जाते हैं उनका दुरुपयोग होता है। इसलिये जो परिभाषा इसमें ब्राथेल हाउस (चकलों) की दी हुई है उसमें टेंट्स (शिविर) या मोबाइल टेंट्स (चलते-फिरते शिविर) के शब्द जोड़े जायें तो मतलब पूरा हो सकता है ।

क्लाज ७ और ८ में मैंने देखा कि जो औरतें इस कार्य को करती हैं उनके दण्ड की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही कम है। कहा गया है कि उन्हें या तो सजा दी जा सकती है या जुर्माना किया जा सकता है। यह जो शब्द रखे गये हैं वह बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि उस औरत को सजा दी ही जायेगी। हमने मुख्य प्राविधान में देखा, उसमें लिखा है : **"नाट लेस दैन वन इअर"** (एक वर्ष से कम नहीं) लेकिन अगर आप क्लाज ७ और ८ को देखें तो वहां पर पायेंगे कि किसी औरत को, जो कि इस धंधे को करती है या जो किसी

†मूल अंग्रेजी में ।

कोठे से या खिड़की से इशारों के द्वारा वेश्यावृत्ति को उकसाती है, दण्ड की जो प्रक्रिया है वह बहुत कम है। वहां पर कोई कम्पल्शन नहीं है, अनिवार्य दण्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि भले ही ऐसी औरत को एक या दो महीने का ही दण्ड दिया जाय, लेकिन आर्थिक दण्ड के बजाय सजा दी जाये। न्यूनतम अवधि उस औरत के लिये भी यहां पर निर्धारित की जाये। तभी जाकर यह विधेयक सफल हो सकता है। अभी तक मैंने सुना, मेरी बहनें माफ करेंगी कि मैं ऐसे शब्द कहता हूं, कि औरतों को विवश होकर वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि पुरुष जिन्दा है, पति जिन्दा है, पति विवश है और हजारों की संख्या में औरतें पुरुष के रहते हुए एक स्त्री के रूप में रहते हुए भी वेश्यावृत्ति का धंधा चलाती है। पति जिन्दा है, फिर भी तीन-चार साल के भीतर उसके तीन बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसको पता नहीं उसका पिता कौन है। अगर हम इस कानून द्वारा वेश्यावृत्ति को बन्द करना चाहते हैं तो इस तरफ से भी बन्द करें। मैंने माना कि पुरुष औरतों पर बहुत जुल्म और अत्याचार करते हैं। पर सदा यह चीज एक तरफा ही नहीं होती है। कहीं-कहीं अपवाद भी होता है। उसका इस विधेयक में समावेश होना चाहिये। मैं बता सकता हूं कि कई ऐसे-ऐसे शहर हैं जैसे कलकत्ता और बम्बई, जहां पर हजारों औरतें जाती हैं और पति की इच्छा के विरुद्ध, माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाती हैं, किसी का कहना नहीं मानतीं हैं। समाज का सुधार करने के लिये इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

मैंने पूरा अनुभव किया है कि वेश्यावृत्ति का एक कारण यह भी है कि समाज में जो विवाह-विच्छेद का बन्धन है वह बहुत ढीला है। उसका नाजायज फायदा उठा कर वेश्यावृत्ति की जाती है। मैं जानता हूं कि विवाह-विच्छेद का बन्धन जितना ढीला होगा उसका उतना ही नाजायज फायदा लोग उठा सकते हैं और वेश्यावृत्ति का यह भी एक प्रधान कारण है। आप लोग यकीन (विश्वास) करें या न करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है और किसी भी सदस्य को कंविंस (विश्वास) करा सकता हूं कि विवाह-विच्छेद का जो ढीला बन्धन है वह वेश्यावृत्ति का एक कारण है और इसके लिये हमारे मंत्री महोदय को ध्यान देना होगा। जब हिन्दू मैरेज ऐंड डाइवोर्स बिल पर बहस चल रही थी उस समय भी मैंने इसके बारे में कहा था, परन्तु उस समय उसका समावेश नहीं हो सका था। इसलिये जब यह विधेयक पारित हो उस समय इस चीज पर भी हमारे मंत्री महोदय ध्यान दें।

मैं यह भी देखता हूं कि बड़े-बड़े शहरों में जो सरमायेदार, कारखानेदार या मालगोदाम वाले और पूंजीपति हैं वह हमारी माताओं और बहनों को सिर्फ आधी रात के समय, ९ बजे से १२ बजे रात तक या १२ बजे रात से ४ बजे सवेरे तक ही काम पर लगाते हैं। दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि आधी रात के समय या १२ बजे रात से ३ बजे सवेरे तक कहीं कोई औरत काम पर बड़े कारखानों में, कोयला खदानों में या दूसरी जगहों में रक्खी जाती हों। यहां क्या होता है कि बताया यह जाता है कि औरत कारखाने में काम करती है, पर असलियत यह होती है कि पूंजीपति अवसर निकाल कर आधी रात के समय हमारी गरीब माताओं और बहनों को काम देने के बहाने से अपनी कामाग्नि की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार से वेश्यावृत्ति चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब यह विधेयक बने तो इसमें इस चीज का भी समावेश हो कि कोई भी औरत कहीं जाकर आधी रात के बाद या १२ बजे रात से लेकर ६ बजे सबेरे तक काम न करे। कहीं पर भी उसको इस तरह काम करने की अनुमति न दी जाये। इसको करने के बाद ही यह विधेयक ठीक तरह से पारित हो सकता है।

इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वैसे क्लाज (खण्ड) तो बहुत से हैं जिनमें खामियां (कमियां) हैं, लेकिन समय कम होने के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। यह कहा जाता है कि गरीबी के कारण ही यह वैश्यावृत्ति फैलती है। लेकिन फिल्म उद्योग में जो चलचित्रों के निर्माता हैं, उनके आवास गृहों में क्या देखते हैं। वहां से इस तरह की चीजें प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन परोक्ष रूप में हमारे सामने आ जाती

[श्री जांगड़े]

हैं। जो फिल्मों का निर्माण होता है उनमें भी कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जिनसे इस वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कई चलचित्र तो इतने अश्लील होते हैं कि उनकी अश्लीलता के कारण भी यह वेश्यावृत्ति बढ़ती है। सेंसर बोर्ड के जरिये अगर सरकार इस चीज को रोकने का भी प्रयत्न करे तो हमारा जो सामाजिक स्तर है वह ऊंचा हो सकता है।

जो उपाय मैंने बतलाये यदि उनको काम में लाया जाये और इनकी ओर ध्यान दिया जाये तो हमारा जो नैतिक स्तर है, वह संसार के सभी देशों से ऊंचा हो सकता है।

श्रीमती मिनीमाता (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, महिला अनैतिक बिल जो कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद आज इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसके लिये मैं श्रीमती राजमाता को और माननीय मंत्री जी को धन्यावाद देती हूं।

इस बिल को यहां पेश हुए देख कर मुझे खुशी हुई है। परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे इस चीज को देखकर दुःख भी हुआ है कि हमारी सरकार इस चीज को हमेशा के लिये खत्म नहीं कर रही है। मैं समझती हूं कि जितनी जल्दी इस चीज को खत्म कर दिया जाता उतना ही अच्छा होता। इस बिल में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान से २०० गज के अन्दर कोई वेश्यालय नहीं होना चाहिये। इसका क्या मैं यह अर्थ लगाऊं कि २०१ गज की दूरी पर वेश्यालय खोला जा सकता है ?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के बारे में है। मैं चाहती हूं कि किसी व्यक्तिगत संस्था को हमारी सरकार लाइसेंस देने की कोशिश न करे। पहले पहल कई स्थानों पर विधवा आश्रम खोले गये थे परन्तु हर तरह की कठिनाइयां उपस्थित हो जाने के कारण आज उनमें से एक भी आश्रम दिखाई नहीं दे रहा है। इस वास्ते मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि व्यक्तिगत लाइसेंस न देकर के छोटे से छोटे बचावगृह को भी सरकार अपनी देखरेख में रखे और प्रत्येक बचावगृह में उद्योगधंधे, चाहे वे छोटे-छोटे ही हों, चालू करे। अगर आपने वहां उद्योग धंधे नहीं चलाये तो वे बचावगृह स्वावलंबी नहीं बन सकेंगे। अगर ये बचावगृह स्वावलम्बी बन जायेंगे तो वहां पर रहने वालों का जो चरित्र है वह ठीक रह सकेगा और वे अपनी आत्मशक्ति को सबल बना सकेंगे। इससे उनके दिल में अनैतिक कार्यों के प्रति घृणा की भावना पैदा होगी और उनका चरित्र ऊंचा उठेगा।

मुख्य बात तो यह है कि समाज के अत्याचारों को और गरीबी और बेरोजगारी को जोकि गांवों में फैली हुई है उसे आप खत्म करें। इस चीज को देखकर बहुत ही दुख होता है। हम सभी लोग तथा सरकार भी गांव की उन्नति के लिये नारा लगाते हैं परन्तु दिनों दिन गांवों में बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है। मैं कुछ पहले देखती थी कि गांव की लंगड़ी और अंधी और निःसहाय महिलायें भी चक्की चला कर और धान कूट कर अपना अच्छी तरह से गुजर-बसर कर लेती थीं। परन्तु अब तो छोटे से छोटे गांव में भी छोटी-छोटी मशीनों की आवाज धक-धक करती है और गांव वालों को काम से वंचित कर धक्का मार कर बड़े-बड़े शहरों में भेज रही है। शहर में जा कर जो बहनें भगवान से जरा डरती हैं वे तो कठिन परिश्रम करके कमा कर खा लेती हैं परन्तु जो बहनें कठिन परिश्रम नहीं कर सकती हैं वे लाचारी की हालत में अनैतिक कार्यों में जुट जाती हैं। इनको इस काम को लाचारी में ही करने को बाध्य होना पड़ता है। जब वे इस काम को करने लग जाती हैं तो समाज उनको घृणा की दृष्टि से देखता है।

इस बिल में आपने वेश्याओं के लिये जिस जुर्म को करने के लिये सजा की व्यवस्था की है, वही सजा ऐसे अनैतिक कार्य करने वाले पुरुषों के लिये भी होनी चाहिये। अब तक ऐसा नहीं किया गया है। अगर आप कानून बना दें और साथ ही कानून की अवहेलना होने दें तो इससे क्या लाभ होगा। अगर आपने सब के लिये एक-सी सजा न रखी तो इसमें जातिवाद और सम्प्रदायवाद की बात भी उठ खड़ी हो सकती है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि आपने अस्पृश्यता निवारक कानून जो बनाया

है, उसके बारे में आज गांवों में कहा जा रहा है कि हम इसको मुर्दा बना कर ही दम लेंगे। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई कुछ देर तो इंतजार करो, अगर आपने अभी से इस तरह करना शुरू कर दिया तो कैसे काम चलेगा। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में इस कानून के होने की वजह से सात मर्डर केसिस (हत्याओं के मामले) हो चुके हैं। तो आप कानून तो बना देते हैं लेकिन उस पर अमल अच्छी तरह से नहीं होता है। आज कानूनों की कोई इज्जत नहीं करता है, कोई कद्र नहीं करता है। एक गांव है जिसका नाम जुरला है वहां पर हर एक आदमी ने तीन-तीन और चार-चार औरतें रखी हुई हैं। एक को वे घर में रख लेते हैं, खेती वगैरह का काम करने के लिये, एक को बम्बई भेज देते हैं और एक को कलकत्ता भेज देते हैं। हर साल मैं उस गांव में जाती हूं और आठ दिन या पन्द्रह दिन पहले उनके पास खबर भेज कर उनको बुलवा लेती हूं। मैं उनसे इस बात की कसम खिलवाती हूं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। एक बार तो मैंने वहां पर श्रीमद्भागवद्गीता का पाठ भी करवाया था। लेकिन जब हम वापस आ जाते हैं उसके बाद भी वे लोग उनको इस काम को करने के लिये मजबूर करते हैं।

खड़गपुर में हमने एक संस्था की स्थापना की थी और वहां पर हमने कोई ५० स्वयंसेवक भी रखे थे। वहां पर हमने कलकत्ता वगैरह से लाकर ३०० के करीब लड़कियों को रखा था। परन्तु समाज ने उनकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा, उनको नहीं अपनाया और वे बेचारी लाचार होकर वहां से चली गईं। तो मैं कहती हूं कि समाज को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह बचावगृहों में ऐसी बहनों को लाकर रखें और उन गृहों को स्वावलम्बी बनावें। साथ ही साथ मैं समाज से भी प्रार्थना करती हूं कि वह ऐसी देवियों को अपनावे। जब ऐसा होगा तभी उन बहनों का जो दुःख है वह दूर होगा, उसका निवारण होगा।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : हम सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं तथा आशा करते हैं कि यह इस सत्र में पारित हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। एक महिला पुलिस के सम्बन्ध में मेरा विचार है हमें इनको प्रशिक्षित कर के यह काम सौंप देना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : दण्डाधीश भी स्त्रियां होनी चाहियें।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : कुछ सदस्यों ने बताया कि चीन में इसको किस प्रकार हटाया गया। मैं अभी अभी चीन से आई हूं। वहां पर स्त्रियों ने मुझे बताया कि वहां लोकतंत्रवादी महिला संघ के सदस्य प्रत्येक जिले में जाते हैं तथा वहां प्रत्येक स्त्री से बातचीत करके उन्हें सामूहिक कार्यों में काम दिलाते हैं। इस प्रकार ये स्त्रियां और स्त्रियों से अलग रहती हैं। मेरा सुझाव है कि कुछ इस प्रकार के कार्य करें जिससे इन स्त्रियों को काम मिल जायें। इन शब्दों से मैं इसका समर्थन करती हूं।

†**श्री दातार** : मैं इस सभा के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन किया है। मैंने एक भी माननीय सदस्य को इस विधेयक के उपबन्ध के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना है।

कई सुझाव दिये गये। जहां तक महिला पुलिस की नियुक्ति का प्रश्न है, उन पर राज्य सरकारें यथासमय ध्यान देंगी। कुछ राज्यों में महिला दण्डाधिकारी अभी भी हैं। महिला पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रारम्भ भी की गयी है। यह बहुत सम्भव है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, अनेक राज्य सरकारों को महिला पुलिस पदाधिकारियों की आवश्यकता प्रतीत होगी और मुझे विश्वास है कि वे आवश्यक कार्यवाही करेंगी। अब भी अनेक जगहों पर महिला न्यायाधीश हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

एक यह आलोचना की गयी थी कि इस विधेयक के उपबन्ध इस अर्थ में असाधारण हैं कि न्यूनतम दण्ड रखा गया है और कुछ मामलों में उपबन्ध बहुत कठोर हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम इस विधेयक के उपबन्ध यथासम्भव कठोरता से लागू करना चाहते हैं क्योंकि वेश्यावृत्ति की बुराई से हमारी औरतों की शक्ति व्यर्थ नष्ट हो रही है और नैतिक स्तर गिर रहे हैं। एक मित्र ने कल कहा कि इसके लिये पाश्चात्य सभ्यता उत्तरदायी है। मैं तो कहूंगा कि न केवल पाश्चात्य सभ्यता बल्कि भारत की सामाजिक दशायें भी इसके लिये उत्तरदायी हैं। हमारे यहां पुरुषों के लिये एक मानक और स्त्रियों के लिये एक दूसरा मानक था। पुरुषों के सम्बन्ध में हम इस अनैतिक अपराध को सहन कर लेते हैं किन्तु स्त्रियों के मामले में हम उसी अपराध पर घोर आपत्ति करते हैं। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, हमारे यहां सामाजिक और आर्थिक दशाओं की असमानता भी है।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि यह अपराध नगरों में ही होता है। यह सच है कि यह अपराध अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में होता है किन्तु हमें यह भी समझना होगा कि ग्रामीण जीवन की दयनीय दशा के कारण ही औरतें शहरों में आती हैं। प्रतिवेदन में बताया गया है कि गांवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत ही खराब है। अतः जीवन में कुछ आनन्द, वैध या अवैध, प्राप्त करने की थोड़ी भी सम्भावना होने पर, वे यहां लायी जाती हैं और वे इस अपराधपूर्ण जीवन से आकृष्ट होती हैं; इसलिये आर्थिक दशाएं सुधरनी चाहियें और सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। मुझ हर्ष है कि नैतिकता के विभिन्न मानकों के स्थान पर महिलाओं में पूर्ण समानता का विचार जोर पकड़ रहा है। नयी सामाजिक विधियां पारित की जा रही हैं, जिससे स्त्रियों की दशाओं के विषय में असमानता दूर हो जाये। हम अनेक क्रियात्मक कार्यवाहियां भी कर रहे हैं। स्त्रियों के पुनर्वास क लिये, भारत के आर्थिक पुनर्वास के लिये हमने कई कार्यवाहियां की हैं। कई अधिनियम पारित किये गये हैं। अभी हाल ही में हमने हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक पारित किया है और इस प्रकार हम स्त्रियों को पुरुषों के साथ पूरी समानता के अधिकार दे रहे हैं। अतः पुरुषों और स्त्रियों को विभिन्न दशाओं के सम्बन्ध में सुरक्षित स्थान दिलाने के लिये सरकार ने ऐसी ही कुछ कार्यवाहियां की हैं।

जसा कि मैंने बताया, यह अपराध दूर करने के लिये, जो सदियों का पुराना है, बड़े कठोर नियम आवश्यक हैं। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जिस प्रकार स्वागत किया है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ९ मई, १९५० को न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अभिसमय के अनुसरण में स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(परिभाषायें)

†**सभापति महोदय** : खण्ड २ में केवल एक संशोधन संख्या २३। किन्तु प्रस्तावक श्री न० रा० मुनिस्वामी यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ३—(वेश्यागृह आदि चलाने के लिये दण्ड)

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने विचार कल ही प्रस्तुत कर चुका हूं। मुझे इस पर आपत्ति नहीं कि भारी दण्ड दिया जाये, किन्तु आपत्ति इस बात पर है कि क्या दण्डाधीश को इस बात के लिये बाध्य करना न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल नहीं होगा कि वह दो साल के कारावास का दण्ड अवश्य दे ?

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दातार** : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं और मैं उसके कारण पहले ही बता चुका हूं। उदाहरणार्थ, यदि अपराध सिद्ध होने की दशा में किसी व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है, तो उसे कम से कम न्यूनतम दण्ड अवश्य ही मिलेगा। दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिये न्यूनतम दण्ड रखा गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : मैं खण्ड ३ पर कुछ कहना चाहता हूं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य पहले उठते तो उन्हें अवसर मिल जाता। अब मैं इस खण्ड को सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४—(वेश्यावृत्ति की कमाई पर निर्वाह करने के लिये दण्ड)

†**सभापति महोदय** : क्या डा० रामा राव अपना संशोधन संख्या १५ का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

†**डा० रामा राव** : जी, नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक के निर्माताओं से इस बात में सहमत हूं कि इस अपराध के लिये दण्ड भयोत्पादक होना चाहिये और दण्ड के क्रम की पद्धति भी रखनी चाहिये।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

किन्तु मैं देखता हूं कि खण्ड में "knowingly" (जानबूझ कर) शब्द बड़ा घातक रखा गया है जिससे विधेयक का सम्पूर्ण प्रभाव समाप्त हो जायेगा। मैं नहीं समझ पाता कि वह शब्द क्यों रखा गया है और विधेयक को लागू कराने में उससे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा। दूसरी ओर, इस शब्द के कारण दोष सिद्धि और अधिक कठिन हो जायेगी क्योंकि अपराधी व्यक्तियों को कानून के चंगुल से बच निकलने के लिये काफी गुंजाइश मिल जायेगी। फिर वकील लोग अपनी वक्तृत्व कला के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि उस मनुष्य ने जान-बूझ कर नहीं किया और इस तरह की कई बातें पैदा हो जायेंगी और कई अपराधी छूट जायेंगे। अतः मेरा यह कहना है कि यह शब्द हटा दिया जाये।

†**श्री दातार** : वह शब्द जानबूझ कर रखा गया है। वह उन लोगों को बचाने के लिये रखा गया है जो वेश्यावृत्ति के कार्यों से अनभिज्ञ होते हैं। उदाहरणार्थ एक भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उसकी बहन बम्बई या दिल्ली जैसे शहर में रहती है। भाई का सच्चा विश्वास होता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

उसकी बहन वैध पेशा कर रही है और उस कमाई से वह ग्रामीण क्षेत्र में अपने भाई को सहायता पहुंचा रही है। अन्त में उसका अर्थ यह होता है कि बहन वेश्यावृत्ति करती है और वह अपने भाई की सहायता करती है। ज्यों ही भाई को मालूम हो जाता है कि उसकी बहन वेश्यावृत्ति से जीवन व्यतीत करती है, और उससे प्राप्त कमाई वह उसे भेज रही है, त्यों ही भाई का अपराध प्रारम्भ हो जाता है। अन्यथा उसका अपराध प्रारम्भ नहीं होता। अतः निर्दोष व्यक्ति को बचाने का न कि अपराधी व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न किया गया है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(वेश्यावृत्ति के लिये स्त्री या लड़की को प्राप्त करना, राजी करना या ले लेना)

†**डा० रामा राव** : मैं अपना संशोधन संख्या १६ नहीं रखूंगा।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३, ४, और ५ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन उस क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में हैं जो खण्ड ५, उपखण्ड (३) द्वारा निर्मित किये गये हैं। यह ठीक है कि क्षेत्राधिकार वहां उत्पन्न होता है जहां लड़की प्राप्त की जाती है, जहां उसे जाने के लिये राजी किया जाता है, जहां दूसरों के द्वारा ले जायी जाती है या जहां उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। या तो लड़की प्राप्त की जाती है या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अतः वह जगह क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगी। उपखण्ड (ख) में उस स्थान का उल्लेख है जहां वह गई हो। यह बिल्कुल निरर्थक है और निकाल दिया जाना चाहिये। हमने उस जगह क्षेत्राधिकार का उपबन्ध रखा है जहां प्रयत्न किया गया हो। मैं चाहता हूं कि उपखण्ड (ख) से ये शब्द "अथवा उसे लेने का प्रयत्न किया गया हो" निकाल दिये जायें।

अब न्यायालय का दो जगहों पर क्षेत्राधिकार होगा, एक तो वह जगह जहां लड़की को लिया जाता है और दूसरी वह जहां लड़की पहुंचती है। उसके बाद वह बीच में कई जगहों से होकर गुजर सकती है। यदि उपखण्ड (ख) से हम यह तर्क कर सकते हैं कि उन जगहों पर भी क्षेत्राधिकार होना चाहियें, तो हमें उसे स्पष्ट करना चाहिये। इसी कारण मैंने एक दूसरा खण्ड (ग) रखा है जिससे न्यायालय को शक्ति दी गयी है कि वह उन बीच के जगहों को भी क्षेत्राधिकार में ले ले।

इस खण्ड में, प्रयत्न को भी हस्तक्षेप अपराध बताया गया है किन्तु वह तर्क शुद्ध नहीं है। हमने लेने और प्राप्त करने के दोनों प्रयत्नों को अपराध बनाया है किन्तु राजी करने या उसे लिवा ले जाने के प्रयत्न को अपराध नहीं माना गया है। अतः वे प्रयत्न भी अपराध माने जाने चाहियें। मैं चाहता हूं कि यह खण्ड अधिक व्यापक बनाया जाये, बीच के जगहों पर न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया जाये और उपखण्ड ३ (ख) से निरर्थक शब्द निकाल दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री दातार** : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, वह प्रक्रिया का प्रश्न है कि विशिष्ट अपराध का अभियोग कहां चलाया जाये । उपखण्ड (क) के अधीन उसी स्थान पर अभियोग चलाया जायेगा, जहां से लड़की प्राप्त की जाती है या जहां उसे जाने के लिये राजी कराया जाता है । उप-खण्ड (ख) उस स्थान के सम्बन्ध में है जहां वह गयी हो या जहां उसे राजी करके ले जाया गया हो । अतः सभी सम्भव जगहों पर अभियोग की सुविधायें हों इस आशय से ये उपखण्ड रखे गये हैं ।

जहां तक दूसरी बात अर्थात् राजी करने के प्रयत्न का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि प्रयत्न शब्द का तभी उपयोग किया जाता है जब वास्तव में वह कार्य पूरा हो गया हो । अतः जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब प्रयत्न का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । किन्तु आग्रह करना एक स्वतः प्रयत्न है । आग्रह से कोई कार्य कराया जाता है । जब आग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसमें प्रयत्न का आशय भी ह और इसलिये आग्रह का प्रयत्न निरर्थक होगा ।

सभापति महोदय ने संशोधन संख्या १, २, ३, ४ और ५ सभा में मतदान के लिये रखे तथा वे अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७—(सार्वजनिक स्थानों में या उनके पास वेश्यावृत्ति)

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा यह निवेदन है कि "दो सौ गज की दूरी के अन्दर" शब्द निरर्थक हैं और उनसे इस खण्ड का सम्पूर्ण आशय व्यर्थ हो जाता है । सभा में बताया जा चुका है कि छात्रा-वास, शिक्षा संस्थाओं तथा धार्मिक पूजा के स्थानों का इस रोग से संरक्षण आवश्यक है । किन्तु २०० गज के बाद कुछ करना वैध बताया गया है । अतः मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि केवल निकट शब्द का ही प्रयोग करें ।

मैं नहीं समझ पाता कि 'knowingly' (जानबूझ कर) शब्द इस खण्ड में क्यों रखा गया है । यह ठीक है कि निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न दिया जाये किन्तु यदि इस शब्द का इतने बहुतायत से प्रयोग किया जायगा तो इस विधेयक से सम्बन्धित किसी अपराध की जिम्मेदारी किसी पर सिद्ध करना बहुत कठिन होगा । अतः मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस शब्द को निकाल दें । अन्त में मैं यह भी सुझाव दूंगा कि "२०० गज की दूरी के अन्दर" शब्द भी निकाल दिये जायें ।

†**सभापति महोदय** : श्री शर्मा न इस प्रकार का कोई संशोधन पुरःस्थापित नहीं किया है जो उन्होंने अब सभा के सम्मुख रखा है । अतः अब मैं खण्ड को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । यदि वह चाहें तो इसके विपक्ष मतदान कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[सभापति महोदय]

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११—(पते आदि की अधिसूचना)

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : मैं खण्ड का विरोध करना चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : मैं इसे सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । वह इसके विपक्ष में मतदान कर सकते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२—(अभ्यस्त अपराधियों से अच्छे आचरण की प्रत्याभूति)

†**श्री रघुवीर सहाय** (जिला इटावा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

इस संशोधन के द्वारा मैं खण्ड को सरल बना कर सारे मामले को न्यायालय की स्वेच्छा पर रखना चाहता हूं । यदि जिन शब्दों को हटाने के बारे में मैंने संशोधन रखा है, उन्हें बना रहने दिया गया तो जो दण्डाधीश इस अपराध की सुनवाई करगा उसे भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । उसके कार्य को सरल बनाने की दृष्टि से मैंने यह संशोधन पुरःस्थापित किया है । मैं समझता हूं कि यह तर्क माननीय मंत्री को पसन्द आयेगा ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दातार** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जहां कहीं ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति होती है उसे उन अपराधों को रोकने का उपबन्ध कहा जाता है और यह शब्दावली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० से ली गई है । यह उपबन्ध उसमें बहुत दिनों से हैं : अतः इससे यह बड़ी सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ लोग अभ्यस्त होने के कारण ऐसे कुछ कार्यों में रत हैं । इस कारण अच्छे व्यवहार के लिये प्रतिभूति का होना आवश्यक है । अतः इन शब्दों को हटा देना सम्भव नहीं है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : जी, हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३ और १४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १५—(अधिपत्य के बिना तलाशी)

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : मैं अपने संशोधन संख्या ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह बहुत संक्षेप में बोलें जिससे हम विधेयक को पारित कर सकें ।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : खण्ड १५ में हमने पुलिस अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति दी है । इसके लिये शर्त यह है कि जब कभी विशेष पुलिस अधिकारी के पास इस बात पर विश्वास करने के लिये उचित कारण हों कि किसी महिला अथवा लड़की के साथ ऐसा अपराध किया गया है जो इस विधि के अधीन दण्ड दिया जाने योग्य है तो पुलिस अधिकारी अविलम्ब ही उस स्थान में घुस सकता है और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

मेरे विचार से अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और पुलिस टेलीफोन आदि के द्वारा दण्डाधीश से सम्पर्क स्थापित कर सकती है । अतः मैं इस चीज से कोई लाभ नहीं समझता कि पुलिस अधिकारियों को वारंट के बिना तलाशी लेने की अनुमति दी जाय । इससे लोगों को परेशान किया जा सकता है और धमकी देकर रुपया वसूल किया जा सकता है । हमारी पुलिस इन सब चीजों से बरी नहीं है । इस सम्बन्ध में सामाजिक और नैतिक आचरण सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने बताया है कि जनता का शोषण नहीं होना चाहिये और पुलिस वाले वेश्याओं को बड़ा तंग करते हैं जिनसे पिंड छुड़ाने के लिये उन्हें पुलिस वालों की जेब गरम करनी पड़ती है । जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ता है ।

इस कारण इससे कोई भी लाभ नहीं होगा बल्कि जनता को वे और भी तंग ही करेंगे । इस प्रकार का उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले से ही मौजूद है । पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना तलाशी लेने की अनुमति देना बिल्कुल बेकार है ?

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार करे ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री दातार** : मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर प्रवर समिति ने बड़े विस्तारपूर्वक विचार किया था और उसने जैसा कि वह मूल रूप में विधेयक में रखा गया था, उसमें बहुत संशोधन कर दिये थे । अब इसमें एक सुधार सम्बन्धी व्यवस्था की गई है अर्थात् इस बारे में वारंट जाने से पूर्व पुलिस अधिकारी को अपने विश्वास के कारण लिखने पड़ेंगे । यह एक ऐसी परिस्थिति है जिससे इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार के सारे मामलों में बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे पक्ष के पास जाये बिना तत्काल कार्यवाही करनी पड़ती है । उदाहरण के लिये यदि पुलिस अधिकारी को किसी दण्डाधीश के पास जाना हो और दण्डाधीश के समक्ष सारी कार्यवाही प्रकट रूप से होनी है, तो सारा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा क्योंकि सारे अपराध करने वाले जितना चतुर हम उन्हें समझते हैं उससे अधिक चतुर

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री दातार]

होते हैं। इनके पुलिस और दण्डाधीश के सम्पर्क के अपने एजेंट होते हैं। इस कारण यदि इस सारी जानकारी का पता अपराधी को लग जाता है तो तलाशी का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा। वेश्या-वृत्ति को रोकने के लिये यह बड़ा महत्वपूर्ण उपबन्ध है।

†**सभापति महोदय :** इस खण्ड पर एक दूसरा संशोधन श्री राघवाचारी का है। चूंकि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, इस कारण मैं संशोधन संख्या ६ और ७ को मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ और ७ सभा के मतदान के लिये रखे गय तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १६ और १७

†**सभापति महोदय :** चूंकि श्री राघवाचारी खण्ड १७ पर अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं हैं, इस कारण मैं इन दोनों खण्डों को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ और १७ विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६ और १७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**सभापति महोदय :** अब दो बज चुके हैं। किन्तु मैं इस बारे में सभा का मत लेना चाहता हूं कि क्या हम पांच मिनट और देकर इस विधेयक को समाप्त कर सकते हैं।

†**श्री दातार :** जी, हां। हम इसे समाप्त कर सकते हैं।

खण्ड १८--(वेश्यागृहों को बंद करना और उन स्थानों से अपराधियों को हटाना)

†**डा० रामा राव :** मैं अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड १८ से दण्डाधीश को इस बात का आदेश देते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार प्राप्त है कि कोई मकान जिसे वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाली कर दिया जाये। यदि वह मकान अथवा वेश्यागृह किसी सार्वजनिक स्थान से दो सौ गज की दूरी पर स्थित है तो दण्डाधीश वह सूचना मकान अथवा वेश्यागृह के मालिक के नाम जारी नहीं करेगा। इसमें 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा बड़ी व्यापक है। इसमें दो सौ गज की दूरी की बात बड़ी विचित्र है, अतः मैं चाहता हूं कि कुछ शब्द निकाल दिये जाने चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री खू० चं० सोधिया** (सागर): मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खण्ड १८ (१) के अधीन कार्यवाही खण्ड १८ (२) और खण्ड ३ तथा ७ के अधीन कार्यवाही से सर्वथा भिन्न है। खण्ड १८ के उपखण्ड (२) के अनुसार मकान एक वर्ष के लिये किराये पर नहीं दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में भी अपील की व्यवस्था क्यों न कर दी जाये, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस अधिकारी को यह गलत सूचना भी मिल सकती है कि अमुक मकान का उपयोग वेश्यागृह के रूप में किया जा रहा है। इस कारण यदि उपखण्ड (१) के अधीन कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो बड़ी हानि होगी । मैं चाहूंगा केवल उपधारा (२) रहने दी जाये और अन्य शब्द जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं, हटा दिये जायें ।

†**सभापति महोदय :** इस बारे में सरकार का संशोधन संख्या २० है । श्री सोधिया की बात का यही उत्तर है ।

संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति २४ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that where a conviction under Section 3 or Section 7 is set aside on appeal on the ground that such house, room, place or any portion thereof is not being run or used as a brothel or is not being used by prostitutes for carrying on there trade, any order passed by the trial court under Sub-Section (1) shall also be set aside."

["परन्तु यदि इस आधार पर धारा ३ या धारा ७ के अधीन अपील करने पर दोष सिद्धि रद्द कर दी जाती है कि ऐसा कोई मकान, कमरा, स्थान अथवा उसके किसी अन्य भाग का उपयोग वेश्यागृह के रूप में, वेश्याओं द्वारा अपना व्यवसाय चलाने में नहीं किया जा रहा है, तो उप-धारा (१) के अधीन सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी रद्द हो जायेगा ।"]

मैं बताना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र का जो उद्देश्य है, वह इस संशोधन में आ जाता है । यह संशोधन आनुषंगिक भी है ।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** नहीं, वह इसमें नहीं आता है ।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** इस संशोधन में खण्ड १८ के उपखण्ड (१) के अधीन की गई कार्यवाहियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

†**श्री दातार :** चूंकि समय कम है इस कारण मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ और ११ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १२ में, पंक्ति, २४ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that where a conviction under Section 3 or Section 7 is set aside on appeal on the ground that such house, room, place or any portion thereof is not being run or used as a brothel or is not being used by prostitutes for carring on their trade, any order passed by the trial court under Sub-Section (1) shall also be set aside."

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[सभापति महोदय]

["परन्तु यदि इस धारा पर धारा ३ या धारा ७ के अधीन अपील करने पर दोष सिद्धि रद्द कर दी जाती है कि ऐसा कोई मकान, कमरा, स्थान अथवा उसके किसी अन्य भाग का उपयोग वेश्यागृह के रूप में वेश्याओं द्वारा अपना व्यवसाय चलाने में नहीं किया जा रहा है, तो उपधारा (१) के अधीन सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी रद्द हो जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १९ और २० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २१—(संरक्षण गृह)

†**श्रीमती जयश्री :** (बम्बई—उपनगर): मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करती हूं ।

मैंने अपना यह संशोधन स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो प्रवर समिति को सौंपा गया था । उस विधेयक में इसी प्रकार का खण्ड था कि यदि अनुज्ञा देने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि पहले आवेदन-पत्र न देने का पर्याप्त कारण है तो आवेदन करने पर अनुज्ञा पुनः जारी की जा सकती है ।

हो सकता है कि बहुत-सी अच्छी संस्थाओं के आवेदन किसी की गलती अथवा डाक की गड़बड़ी के कारण समय से न पहुंच सकें । और ऐसा होने से यदि उनकी अनुज्ञा पुनः जारी नहीं की जाती तो उन संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों का क्या होगा ? अतः मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

मैंने यह सुझाव दिया है कि अनुज्ञा 'उतने काल' के बजाय ऐसे काल के लिये पुनः जारी कर दी जाये जितने के लिये राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उचित समझे । 'उतने काल' का तात्पर्य एक वर्ष समझना चाहिये । कुछ अच्छी संस्थाओं के बारे में संतुष्ट होने पर सरकार इस काल को बढ़ा सकती है ।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाये ।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं । यह बड़ा युक्ति-युक्त संशोधन है क्योंकि हमें उस संरक्षण गृह से सम्बन्धित व्यक्तियों की रक्षा करनी है ।

†**श्रीमती जयश्री :** वह नियम के अधीन आ जायेगा ।

†**श्री दातार :** वह नियम के अधीन आ जाता है ।

क्या मैं उठाई गई बातों का उत्तर दे दूं ? जहां तक श्रीमती जयश्री द्वारा उठाई गई पहली बात का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां अनुज्ञा की आवश्यकता होती है, उन सभी मामलों में सामान्य काल तीस दिन रखा गया है । प्रवर समिति ने स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पण्य विधेयक पर पहले विचार किया था और उसने इस पर सहमति दे दी है। तत्पश्चात् कुछ कारणोंवश, जो में नहीं जानता, उन्होंने कहा कि स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञा विधेयक के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी काल साठ दिन होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि जहां तक सुरक्षा गृहों का सम्बन्ध है तीस दिन का समय पर्याप्त होगा और आवश्यकता इस बात की है कि तीस दिनों के अन्दर उन्हें आवेदन-पत्र दे देना चाहिये। आवेदन मौखिक, लिखित अथवा डाक के द्वारा दिया जा सकता है। तीस दिनों का समय बहुत काफी होगा।

जहां तक मेरे मित्र श्री खू० चं० सोधिया की बात का सम्बन्ध है वह भी इसी उपबन्ध में आ जाती हैं; इस प्रश्न पर नियम बनाते समय विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ और १३ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २२ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १ तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

विधेयक का नाम

†**डा० रामा राव :** मेरा संशोधन संख्या २२ यह है कि विधेयक के पूरे नाम में यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि यह विधेयक न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में पुरःस्थापित किया गया है।

एक सदस्य ने कहा कि यह विषय तो राज्यों की सूची में है परन्तु किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसरण में कोई विधि बनाई जा रही हो तो उसे केन्द्र भी बना सकता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या १ में ही यह विषय आ जाता है, इसलिये यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि "न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अभिसमय के अनुसरण में।"

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यदि इन शब्दों को हटा दिया जाये तो यह बात स्पष्ट नहीं होगी कि संसद् को इसका ज्ञान कैसे हुआ।

मेरा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद २५३ के अन्तर्गत संघीय सूची की प्रविष्टि १४ के अनुसार संसद् राज्यों के किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में विधि बना सकती है, परन्तु शर्त यह है कि यह विधि किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय या करार के अनुसरण में बनाई जा रही हो। इसलिये इस बात का उल्लेख काल नितान्त आवश्यक है। यदि यह उल्लेख न किया जाय कि यह विधेयक किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में लाया जा रहा है तो संसद् को ऐसा विधेयक पारित करने का कोई प्राधिकार नहीं होगा। इसलिये इस बात का उल्लेख आवश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†**सभापति महोदय** : अब हम गैर-सरकारी सदस्य के कार्य को लेंगे यह हमें २ बजे प्रारम्भ करना चाहिये था और अब सवा दो बजे हैं। हम चेष्टा करेंगे कि यह कमी पूरी की जाये जिससे कि वित्त मंत्री भी वक्तव्य दे सकें ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद—दक्षिण) : उसके लिये भी कुछ मिनट का समय बढ़ा देना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से बात करूंगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौसठवां प्रतिवेदन

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौसठवें प्रतिवेदन से, जो २८ नवम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

इस प्रतिवेदन में संकल्पों के लिये समय सीमा निर्धारित की गयी है ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौसठवें प्रतिवेदन स जो २८ नवम्बर १९५६, को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : इसका अर्थ यह है कि हमारे पास सवा दो घण्टे हैं। अब सवा दो बजे हैं। हम सवा चार बजे तक इस कार्य को करेंगे ।

श्री नम्बियार द्वारा रखा जाने वाला प्रस्ताव श्री त० ब० विट्ठल राव रखेंगे ।

†**डा० रामा राव** : हमें समय नियत करने में सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिये । सभी सदस्य यह चाहते हैं कि हम ५ बजे म० प० तक इस पर विचार करें। इसलिये ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं बाद में घोषणा करूंगा।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रस्ताव

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि भारत में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये।"

मुझे इस बात की खुशी है कि इस संकल्प के प्रस्तुत करते समय हमारे उत्पादन मंत्री यहां उपस्थित हैं, जो हाल ही में बिहार का दौरा कर के लौटे हैं, जहां कुल कोयले का ५२ प्रतिशत निकाला जाता है। मुझे आशा है कि उन्होंने बिहार में कोयला खानों का भी दौरा किया होगा।

मैं सभा का ध्यान खनिज पदार्थों के विकास के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि खनिज पदार्थों के विकास के कार्यक्रम में कोयले को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। इसलिये मुझे इस बात पर अधिक जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं।

भारत में कोयले का खानों से निकालना १७७४ में आरम्भ हुआ। इसका अर्थ यह है कि भारत को इस काम का लगभग दो सौ साल का अनुभव है। पिछले वर्ष हमारे देश में कोयले का कुल उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख टन हुआ था। कोयले की ८५० खानें हैं, जिनमें ३ लाख ४० हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं। बिहार में ५२ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में २८ प्रतिशत, हैदराबाद में ४ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में १० प्रतिशत कोयला निकलता है। अनुमान है कि भारत की खानों में कई करोड़ टन कोयला है। एक अनुमान के अनुसार ६ अरब टन कोयला है। इन ८५० कोयला खानों में से लगभग २२३ में ५० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं जिन्हें दैनिक मजूरी मिलती है। २६० कोयला खानें ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक ५ हजार टन कोयला प्रतिवर्ष उत्पादित करती हैं और कुल ९ खानें ऐसी हैं जिनसे ३ लाख टन कोयला प्रतिवर्ष निकलता है। इनमें से ३७० लिमिटेड कम्पनियां और बाकी दूसरी हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि कोयला ठीक ढंग से निकाला जाये। परन्तु कुछ वर्ष से ही यह देख रहे हैं कि कोयला देश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से नहीं निकाला जा रहा बल्कि केवल मुनाफा कमाने की दृष्टि से निकाला जा रहा है। बिना किसी योजना के काम करने के कारण कई खानों में पानी भर आया है और कइयों में आग लगी हुई है। इसका अर्थ यह है कि देश के संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है। आमलाबाद की कोयले की खानों का भी यही हाल है। वहां भी विस्फोट के बाद एक वर्ष तक काम आरम्भ नहीं किया जा सका था। इन खानों से हमें सबसे अच्छी किस्म का कोयला मिलता था।

बिना किसी योजना के और अवैज्ञानिक ढंग से कार्य करने से देश को इसी प्रकार भारी क्षति उठानी पड़ती है। आज सार्वजनिक क्षेत्र में हम केवल आठ प्रतिशत कोयला निकालते हैं, और निजी क्षेत्र से हमें ९२ प्रतिशत कोयला मिलता है। यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा भी हो जाये, तो भी हम सार्वजनिक क्षेत्र में कुल उत्पादन का केवल २५ प्रतिशत कोयला ही निकालेंगे।

हमसे कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन को १,३०० लाख टन कर देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हम अभी कुल ३८० लाख टन कोयले का

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

उत्पादन करते हैं, जबकि अमरीका में ४,५६० लाख टन और रूस में ३,९१० लाख टन कोयला निकाला जाता है। इसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। देश के औद्योगीकरण के लिये आवश्यक है कि हम कोयले के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ६०० लाख टन कोयले के लक्ष्य से भी हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी।

कोयले के अतिरिक्त, हमारे देश में अन्य कोई ईंधन है भी नहीं। हमें ४० लाख टन तेल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे यहां कुल ४ लाख टन ही होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी तेल की आवश्यकता लगभग ७० लाख टन हो जायेगी, जबकि हम ३० करोड़ रुपया खर्च करके अधिक से अधिक ४० लाख टन तेल ही निकाल सकेंगे।

हमने हाल में, सितम्बर में पारित किये गये विधान द्वारा, खनन पट्टों में काफी रूपभेद कर दिया है। अब उसके क्षेत्र को ३० वर्ग मील तक सीमित कर दिया गया है। हमने एक समिति भी गठित की है, जिसका काम यह होगा कि वह ऐसे उपाय ढूंढें जिनसे कि कोयला का उत्पादन बढ़ाया जा सके और छोटे-छोटे समवायों को मिलाकर बड़ी इकाइयों में बदला जा सके। वह समिति हर वर्ष अपने प्रतिवेदन तैयार कर देती है, पर अभी तक हमें उसकी एक-दो सिफारिशें ही देखने को मिल सकी हैं। माननीय उत्पादन मंत्री कई बार घोषित कर चुके हैं गैर-चालू कोयला खानों को सरकारी अधिकार में ले लेने के सम्बन्ध में एक विधान पेश किया जायेगा, लेकिन अभी तक वह किया नहीं गया है।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : वह इसी सत्र में रखा जा रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्रसन्नता की बात है। मैं चाहता हूं कि कोयला खानों का भी शीघ्र ही एकीकरण कर दिया जाये।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रही हैं।

अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस भी कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण चाहती हैं। लेकिन, मंत्रालय ने अपनी नीति अन्तिम रूप से इसके भिन्न ही निश्चित की है। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोयला खानों से पिछले आठ वर्षों में कुल ८० लाख टन अधिक कोयला ही निकाला जा सका है। इसलिये, हम अतिरिक्त २२० लाख टन कोयले के लिये निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। पूरे गत वर्ष में वह कुल आठ लाख टन की ही वृद्धि कर सका है, इसलिये हम उससे ४५० लाख टन की वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। कोयला उद्योगपतियों का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि न होने का कारण उत्पादन मंत्रालय की योजनाओं की अस्पष्टता ही है।

हम सभा में बार-बार वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में पूछते रहे हैं। लेकिन अभी तक वे निर्धारित नहीं किये गये हैं। मंत्रालय ने अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की गई लक्ष्य पूर्ति का पता लगाया जा सके।

अभी तक मूल्य सम्बन्धी कोई नीति भी निश्चित नहीं हुई है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी घोषणा कब तक की जायेगी। उर्वरकों के सम्बन्ध में तो आपने मूल्य सम्बन्धी नीति की घोषणा करने में विलम्ब नहीं किया, लेकिन इस आधारभूत वस्तु के सम्बन्ध में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। उद्योगपतियों की ओर से भी यह शिकायत की गई है। इसके सम्बन्ध में कोई

---

†मूल अंग्रेजी में।

भी एक एकरूप नियंत्रण और एकरूप नीति के न होने के कारण ही कोई मूल्य सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं की जा सकी है ।

कोयला बोर्ड और कोयले के संरक्षण का विधान होते हुए भी, इसके सम्बन्ध में नित नयी बहसें उठ खड़ी होती हैं, और किसी को भी संतोष नहीं है ।

कोयला खानों के मजदूरों की मजूरी भी सभी औद्योगिक मजदूरों से कहीं कम है। युद्ध के पहले इंग्लैंड में भी यही हालत थी, लेकिन अब वहां उन्हें सभी औद्योगिक मजदूरों से अधिक मजूरी मिलती है। ३,४०,००० मजदूरों के लिये कुल ३०,००० मकानों की व्यवस्था की गई है। प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं के कारण ३३० मजदूर मरते हैं और ३,००० अपंगु अथवा अंगहीन हो जात हैं। योजनाओं की सफलता के लिये, मजदूरों की दशा को सुधारना भी आवश्यक है ।

प्रबन्धकों को प्रति माह १,००० से १,५०० रुपयों तक का वेतन मिलता है। निजी मालिकों की सेवा में उन्हें सदैव ही अपनी सुरक्षा का भय लगा रहता है। सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को करने में व्यय होता है और मालिक कभी भी किसी अतिरिक्त व्यय के लिये सहमत नहीं होते हैं, और यदि प्रबन्धक उस पर जोर देते हैं, तो उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ जा सकती है। वे भी चाहते हैं कि कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाये। वे चाहते हैं कि प्रबन्धक सरकारी नौकर हों ।

निजी क्षेत्र गत आठ वर्षों में केवल अस्सी लाख टन की उत्पादन में वृद्धि कर सका है। देश की उन्नति तभी हो सकती है जब कि हम इस उद्योग को विकसित करें, अपनी कोयला खानों को दक्षता और मितव्ययता से चलायें । यह तभी सम्भव है जबकि इसके लिये, एकराष्ट्रीय सहयोजित नीति अपनाई जाये और यह तभी हो सकता है जबकि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इसके बिना हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल नहीं बना सकेंगे ।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** (दरांग) : हम भी इस आधारभूत उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में विचार करते रहे हैं। मैंने बिहार में देखा है कि एक २० × ८ फीट के कमरे में २१ कोयला मजदूर रह रहे थे। उनमें से कुछ की पत्नियां भी उसी में रहती थीं। वहां का वातावरण भी कोयले के कणों और धुयें से भरा हुआ है। इस दशा को देखकर तो मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि कोयला खानों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये ।

प्रबन्धकों का कहना यह है कि मालिक लोग कोयला मजदूरों के लिये मकान बनाने और उनके कार्य की परिस्थितियों को सुधारने के लिये रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हैं। मालिक सोचते हैं कि यदि कोयला निकलना बन्द हो जायेगा, तो मजदूरों क मकान भी अनावश्यक हो जायेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसीलिये, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिय, क्योंकि सरकार उनके की जाने वाली मकानों की व्यवस्था को अस्थायी नहीं मानेगा। सरकार इस उद्योग को मजदूरों के लाभ के लिये चलायेगी, केवल मुनाफा कमाने के लिये ही नहीं । यह भी स्पष्ट ही है वह केवल मजदूरों के हितों के लिये ही इस उद्योग को नहीं चलायेगी, लेकिन वह यह ध्यान भी रखेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला खानों क क्षेत्र को विस्तृत करना आवश्यक है । मेरा विचार है कि इस उद्देश्य को पूरा करने में भी सब से बड़ी सहायता हमें राष्ट्रीयकरण से ही मिलेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री का० प्र० त्रिपाठी]

सरकार अपनी यह कठिनाई बता सकती है कि राष्ट्रीयकरण के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं ।

परन्तु मेरा विचार है कि राष्ट्रीयकरण किये जाने पर हमें आज से कहीं अधिक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे । राष्ट्रीयकरण करने पर हम वर्तमान छोटी और मझोली कोयला खानों को मिलाकर उनके प्रबन्ध का वैज्ञानिकन कर सकते हैं । अभी प्रत्येक छोटी-सी छोटी कोयला खान के प्रबन्ध पर लागत से अधिक खर्च भी होता है और उसमें कर्मचारी भी अधिक होते हैं । भारत के सभी उद्योगों के लिये प्रबन्ध व्यवस्था का वैज्ञानिकन अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिये, राष्ट्रीयकरण कर देने पर हमें अपेक्षाकृत कम प्रबन्धकों की आवश्यकता पड़ेगी । अतिरिक्त प्रबन्धकों को नयी कोयला खानों में लगाया जा सकता है । इसलिये, राष्ट्रीयकरण ही अधिक बुद्धिमानी की बात है ।

मज़दूरों के बारे में भी यही तर्क ठीक है । फिर, सरकार कह सकती है कि रुपया कहां से आयेगा, मालिकों को प्रतिकर भी तो देना पड़ेगा । सरकार कह सकती है कि वर्तमान निजी क्षेत्र को रहने दिया जाये और वह उपलब्ध धन से नयी खानों का खनन् आरम्भ करदे---अपना एक पृथक् सार्वजनिक क्षेत्र बनाये । मेरा सुझाव है कि मालिकों को पूरा प्रतिकर एक बार में ही नहीं दे देना चाहिये । उसकी अदायगी क्रमश: की जानी चाहिये । इससे कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से सरकार का दायित्व एकाएकी बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा । मालिकों को प्रतिकर के रूप में जो भी राशियां दी जायेंगी, वे उसका उपयोग अन्य उद्योगों के विकास के लिये करेंगे । इस प्रकार, उन उद्योगों को भी सहायता मिलेगी, जिनको सरकार अभी आरम्भ नहीं कर सकती है ।

इसलिये, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण में, सरकार को कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी । इंग्लैण्ड में कोयला उद्योग को ही सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था । वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में कोयला भी एक आधारभूत वस्तु है । यदि कोयले के उत्पादन, मूल्य और वितरण का वैज्ञानिकन नहीं किया जाता है, तो देश में अन्य तमाम उद्योगों का विस्तार भी रुक जायेगा । द्वितीय योजना की सफलता भी बहुत कुछ कोयले पर आधारित है, और कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकृत करके ही उसे अधिक शीघ्रता से सक्षम बनाया जा सकता है। यदि सरकार इसे आज नहीं करती है तो उसे कल करना पड़ेगा । इसलिये, सरकार को इसके सम्बन्ध में ठंडे दिमाग़ से विचार करना चाहिये । पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है । इस भारी कार्य को सम्भालने के लिये इस मंत्रालय को भी कुछ विस्तृत किया जाना चाहिये ।

निजी क्षेत्र का हित तो शीघ्रता से मिलने वाले मुनाफ़ों में ही है । वह राष्ट्रीयहित की परवाह नहीं करता है । राष्ट्रीयकरण होने पर, सरकार ऐसी योजना बना सकती है जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न होने दिया जाये ।

योजना आयोग की श्रम तालिका चाहती है कि कोयला खानों में कार्य करने वाले सभी मजदूरों की मजूरियों में एकरूपता हो । लेकिन, छोटी-छोटी कोयला खानों के मालिक सचमुच ही अधिक मजूरी नहीं दे सकते हैं और इसलिये मजूरी बढ़ाने से कोयले का मूल्य भी बढ़ जाता है और बढ़ी हुई मजूरी उपभोक्ता की जेब से जाती है । पर, बड़ी-बड़ी कोयला खानें बेशुमार मुनाफा कमा रही हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में लाये जाने पर, मजूरियों में एकरूपता स्थापित की जा सकती है । निजी क्षेत्र में रहने पर ऐसा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा किये बिना सरकार उन्हें मिलाकर बड़ी इकाइयां बनाने की कार्यवाही भी नहीं कर सकेगी । इसके लिये न तो कोई व्यवस्था होगी और न वैधानिक मंजूरी ।

सरकार को इसके सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये । हमें ईंधन के सम्बन्ध में अपनी नीति में एकरूपता लानी चाहिये । एक आयोजित अर्थ-व्यवस्था के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है । यदि हमारी ईंधन सम्बन्धी नीति में एकरूपता नहीं रहेगी, तो जिस भी ईंधन का मूल्य कम होगा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में ही अधिक औद्योगीकरण हो जायेगा । इससे प्रादेशिक विकास में असमानता आ जायेगी । हमारी सारी योजना ईंधन और शक्ति पर भी आधारित है । इसलिये, इन्हें देश के सभी भागों में एक समान मूल्य पर सुलभ बनाने के लिये, इन्हें सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये ।

माननीय मित्र ने कहा था कि सरकार का विचार था कि रेलवे केन्द्रों में कोयला एक समान मूल्य पर ही दिया जाये । यह इसीलिये नहीं किया जा सका है क्योंकि कोयला उद्योग निजी क्षेत्र में है । योजना की सफलता के लिये इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना ही पड़ेगा । यदि सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला, ईंधन और शक्ति—ये तीनों चीजें आ जायें, तो सरकार उन्हें सभी राज्यों, क्षेत्रों और प्रदेशों में समानता के साथ वितरित कर सकती है । तब विकास भी एक समान ही होगा और देश की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी। पूंजीवादी ढंग से देश का विकास बड़े ही असमान रूप में हुआ है । वह मुनाफ़े कमाने के लिये ही उपयुक्त है । समाजवादी प्रकार के समाज के विकास की दृष्टि से तो उद्योगों को देश भर में फैलाया जाना चाहिये और यह तभी होगा जब आप देश के ईंधन और शक्ति के ढांचे का राष्ट्रीयकरण कर दें । हमारी सभी योजनाओं का यही आधार है । हमें इसी से कार्य को आरम्भ करना पड़ेगा ।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : अब तक यह अनुभव हो चुका है कि हम अपने कोयले के संसाधनों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं । हमारे तरीके और मशीनरी सब पुराने ढंग के हैं । इसी कारण गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत कम कुशलता है । हम कोयला तो निकालते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि कोयले के चूरे से ईंटें किस प्रकार बनाई जा सकती हैं ।

जल-विद्युत् शक्ति पैदा करने की क्षमता तो देश में कम है, परन्तु मशीनरी खरीदने की लागत बहुत अधिक है । घटिया प्रकार के कोयले से ताप-विद्युत् शक्ति का भलीभांति उत्पादन किया जा सकता है । इसलिये जल-विद्युत् शक्ति पर अधिक जोर देना लाभदायक नहीं है ।

कोयले की बहुत अधिक मात्रा की रेलों द्वारा अनावश्यक रूप में खपत की जाती है । व्हिटकर प्रतिवेदन ने सुझाव दिया था कि घटिया किस्म के कोयले से खानों के बाहर ताप शक्ति पैदा की जानी चाहिये ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा घटिया किस्म के कोयले से कोक बनाया जा सकता है और कई प्रकार की उप-वस्तुयें तैयार की जा सकती हैं । सरकार को चाहिये कि इन चीजों को अपने हाथ में लेकर एक संयोजित योजना बनाये, ताकि कोयले का उत्पादन और उपयोग अधिक संतोषजनक रीति से हो सके ।

श्री विट्ठलराव ने बहुत छोटी-छोटी कोयला खानों का उल्लेख किया है, परन्तु उनका राष्ट्रीयकरण करना वांछनीय नहीं । कोई २९ खानें बहुत बड़ी हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको उन्नत किया जा सकता है । मुझे आशा है राष्ट्रीयकरण से कोयले का उत्पादन और उपयोग बहुत बढ़ जायेगा । ६० प्रतिशत कोयला और खेंचने की शक्ति रेलवे द्वारा कोयले को उठाने में ही खर्च हो जाती है । अब हमने १६३५ डब्ल्यू-पी० इंजनों आदि के लिये आर्डर दिये हैं और हमें ४० वर्ष तक उन इंजनों से काम लेकर अपना रुपया वसूल करना होगा । इससे हमारी विद्युतीकरण योजना पीछे रह जायगी । हमें जल-विद्युत् शक्ति जैसे बेकार विचारों को छोड़ कर ताप-विद्युत् शक्ति को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री शिं० ला० सक्सेना** (जिला गोरखपुर—उत्तर): सन् १९३१ में मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कांग्रेस ने कराची में संकल्प पारित किया था। अब श्री विट्ठलराव ने यह महत्वपूर्ण संकल्प रखा है। योजना में पट्टे की अवधि और उनके क्षेत्र कम किये गये हैं, परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं।

उन्नत देशों में कोयला उद्योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रूस, चीन, और इंगलिस्तान में कोयला खनिकों को काफ़ी अधिक मजूरी दी जाती है।

मेरे जिला गोरखपुर के बहुत से लोग कोयला खानों में काम करते हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और वे अपने परिवार के लिये १५ रुपये मासिक भी नहीं भेज पाते हैं। उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है।

अधिकतर खानों पर अंग्रेजों का अधिकार है और उन्होंने ये खानें अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं की थीं, अपितु अंग्रेजी सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से उन्हें ये खानें प्राप्त हुई थीं। ऐसी अवस्था में उन्हें पूर्ण प्रतिकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उनको ही कुछ प्रतिकर दिया जाना चाहिये जिन्होंने कोयला खानें अपने परिश्रम से प्राप्त की हैं या खरीदी हैं। परन्तु इस उद्योग को विदेशियों के हाथों में अधिक देर तक नहीं रहने देना चाहिये।

अन्य देशों में कोयला खानों क मजदूरों की अवस्था बहुत अच्छी है जबकि भारत में बहुत बुरी है। विदेशों में दुर्घटनायें भी बहुत कम होती हैं क्योंकि वे सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर बहुत खर्च करते हैं। भारत में खान मालिक इस आशंका से कि खानों का राष्ट्रीयकरण अवश्य होगा, सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। परिणामतः यहां दुर्घटनायें बहुत अधिक होती हैं।

अन्य देशों में कोयला खोदने, उठाने और उसके परिवहन के लिये आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु राष्ट्रीयकरण की आशंका से घबराये हुए भारत के गैर-सरकारी खान मालिक मशीनरी पर धन नहीं लगाते हैं।

इन सब दृष्टियों से आवश्यक है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। राष्ट्रीयकरण से नवीन मशीनरी खरीदने के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जा सकता है, और श्रमिकों के कष्टों में कमी होने के साथ-साथ सस्ते दामों पर कोयले का उत्पादन हो सकता है और अधिक मात्रा में हो सकता है। तीसरे सरकार सुरक्षा सम्बन्धी अधिक उपायों का प्रबन्ध कर सकती है, जिनको कि निजी मालिक कभी करने को तैयार नहीं होंगे।

राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार बहुत सी खानों को एक दूसरे में मिलाकर खर्च में कमी कर सकती है और सस्ता तथा अच्छा और पर्याप्त कोयला मिल सकता है।

इस समय सबसे अच्छा धातुकर्मिक रेलों में जलाने के काम आता है जब कि इसके कई और बेहतर उपयोग हो सकते हैं। राष्ट्रीयकरण के द्वारा यह निर्णय किया जा सकता है कि किस काम के लिये किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिये।

मैं डा० जयसूर्य से इस बात में सहमत नहीं कि ताप-विद्युत् के कारण जल-विद्युत् शक्ति पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिये। ताप शक्ति के होते हुए भी कोयले का महत्व कम नहीं हो सकता है। देश में कोयला बहुत है, इसलिये हमें इस उद्योग की प्रगति में कोई विलम्ब नहीं करना चाहिये।

हम हर बात में चीन से अपनी तुलना करते हैं, परन्तु चीन क मुकाबले में हमारा कोयले का उत्पादन एक-तिहाई है। विदेशी और निजी मालिकों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। केवल सरकार ही इस उद्योग को उन्नत कर सकती है। जहां तक प्रतिकर का प्रश्न है, तो उचित रूप से अधिकारी व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में।

को प्रतिकर दिया जा सकता है । जब जमीदारी का अर्जन किया जा सकता है तो इसका भी अर्जन किया जा सकता है । यदि हम शीघ्र ही इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो विदेशी हमारी खानों से अपने लिये लाभ कमाते रहेंगे और हम आर्थिक दासता में ही पड़े रहेंगे । अत: मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लाने वाले माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं । उनको बधाई है कि उनको इसको लाने का अवसर मिला । महात्मा जी के शब्दों में भारत के उन सब व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये जिनसे हम अपनी नित्य के उपयोग की चीज़ें पैदा करने वाली मशीनों का निर्माण करते हैं.।

आज दो प्रकार की वस्तुयें हैं । एक तो उपभोक्ता वस्तु और दूसरी वस्तु वह हैं जो इन चीजों को बनाने वाली हैं, जिनके जरिये से प्रोडक्शन (उत्पादन) होता है । इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में उन वस्तुओं को जिनके जरिये व्यवसाय के सामान पैदा किये जाते हैं, राष्ट्रीयकरण होना नितांत आवश्यक है । उनमें भी कोयले का प्रथम स्थान है । कोयला ऐसी वस्तु है जिसके जरिये हमारी सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं । अगर कोल न रहे तो जितने बड़े-बड़े कल कारखाने हैं शायद वह बन्द हो जायें । हमने छोटे-बड़े कारखानों को ले लिया, हमने आज लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) को नैशनलाइज (राष्ट्रीयकृत) किया, जमीदारी को ले लिया, तब कोल (कोयले) का जिस पर हमारे सारे व्यवसाय निर्भर हैं, अब तक राष्ट्रीकरण नहीं हो पाया यह बड़े खद की बात है हमारे लिये । जब कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पालिसी (औद्योगिक नीति) में भी है कि कोल का राष्ट्रीयकरण होगा और जितनी कोल माइन्स नई खोली जायेंगी वह सब राष्ट्र की होंगी तब इस पर ध्यान न देना उचित नहीं है । अभी मेरे पूर्व वक्ता ने काफी आंकड़े दिये और बताया कि कोल का राष्ट्रीयकरण न होने के कारण राष्ट्र के व्यवसाय में कितनी दिक्कतें पैदा होती हैं, किसी ने बिजली पैदा करने के बारे में बताया, किसी ने दूसरी चीज के बारे में बताया । मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोल ऐसा व्यवसाय है जिस पर हमारे भारत का जीवन निर्भर है । चाहे हम अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिये पूंजीवादियों पर निर्भर करें या अपनी राष्ट्रीय योजनाओं को चलाना चाहें, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं जब तक कोयले के खानें राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं हो जातीं । एक तरफ तो मुनाफे की वृत्ति होती है । दु:ख की बात है कि आज लोगों का ध्यान समष्टि की तरफ कम है, व्यक्ति की तरफ ज्यादा है । हर एक आदमी हर काम में देखना चाहता है कि इसमें उसका क्या लाभ है । राष्ट्र के लाभ जैसी कोई चीज उसके सामने नहीं है । सब अपना निजी लाभ देखते हैं । सबसे पहले लोगों को निजी लाभ के बजाय राष्ट्र के लाभ की ओर ध्यान देना चाहिये । आज कोयल की इडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण न होने के कारण हमारे बहुत से व्यवसायों को धक्का पहुंच सकता है क्योंकि आज व्यवसाय निजी लाभ की दृष्टि से चलाये जाते ह, राष्ट्र क लाभ की मनोवृत्ति से नहीं चलाये जाते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भूमि का तो, जो कि अन्न पैदा करने के लिये चार या पांच इंच खोदी जाती है, राष्ट्रीयकरण भले ही न कर सके हों, लेकिन हमने जमीदारी प्रथा को तोड़ दिया । जमीनों को तोड़ कर छोटे-छोटे आदमियों को दे दिया, जो आदमी जहां जोत में था उसको वहां काबिज बना दिया, लेकिन कोयला भीतर की जो चीज़ है, जो हम खानों के अन्दर पैदा करते हैं, उसके राष्ट्रीयकरण की योजना हम अभी तक नहीं लाये । हमने जमीदारों से जब जमीन ली तो उनको मुआवज़ा जरूर दिया, लकिन मुआवज़ा देने का जो ढंग था वह इस तरह का रहा कि मुआवज़ा पाने वाले को कुछ विशष मुआवज़ा नहीं मिला । उनकी अलग शिकायत है इस बारे में, लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा यह डर बना रहा करता है कि मुआवज़ा अधिक देना पड़ेगा । मुआवज़े के मामले में भी हमने देखा कि

[श्री सिंहासन सिंह]

गवर्नमेंट की दो पालिसियां (नीतियां) हैं। जमीदारों को मुआवज़ा देने के वक्त तो उसूल एक रहा और पूंजीपतियों को मुआवज़ा देने का उसूल दूसरा है। जब लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ तो उन को बाजार भाव से मुआवजा दिया गया। आज गवर्नमेंट को कोल के सम्बन्ध में भी वही डर हो सकता है। मेरे विचार में कोल के सम्बन्ध में अगर मुआवज़ा देना है तो संविधान के अनुसार मुआवज़े का उसूल वही हो सकता है जो कि जमीन के ऊपर पैदा करने वाले लोगों को हमने दिया है। कोयले की जमीदारी पूंजीपतियों से खरीद कर कोयले को कारखानेदारों को रुपया गवर्नमेंट को देना है। वैसे तो जो रुपया कारखानेदारों ने लगाया है उसका कई गुना तो वह कमा चुके होंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी उनको मुआवज़ा देना है तो उसी हिसाब से उन को दिया जा सकता है जिस हिसाब से जमीदारों को जमीन लेते वक्त आपने दिया था।

कोयले की खानों के सम्बन्ध में अभी हमारे भाई शिब्बन लाल जी ने बताया है कि बहुत से आदमी कोयला खानों में दब कर मर गये हैं। उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जमीदारी ऐबालिशन (उन्मूलन) के वास्ते यू० पी० असेम्बली में बिल पेश था उसके लागू होने में करीब पांच, छः साल लग गये। इस बीच में जमीदारों ने अपना रहा-सहा जंगल भी काट लिया क्योंकि जंगल तो उनके हाथ से निकलने वाले थे। एक तरफ हमारी सरकार जंगल लगाने की व्यवस्था करती थी, ताकि पानी बरसे, इधर सहयोग से पानी बहुत ज्यादा बरसा है और दूसरी तरफ जमीदार अपने बाग-बगीचे काट रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि जंगल उनके हाथ से निकल जायेंगे। वह उन जमीनों से भविष्य में अपना कोई लाभ नहीं देख रहे थे। वैसे ही कोल वाले हैं। इस सदन के सामने राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था है और उस पर बहस हो रही है, मैं भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोल रहा हूं तो जितने भी कोल क्षेत्र हैं उनके मालिकों के दिल में यह डर हो सकता है कि पता नहीं किस दिन उनके कारखाने का राष्ट्रीयकरण हो जाये और वह थोड़े-बहुत मुआवज़े के ही मुस्तहक रह जायें, इसलिये वह अपने खदानों में किसी कमी की रोक-थाम नहीं करते। इसके ऊपर मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के लोग कोयला कारखानों में काम कर रहे हैं। उनके लिये कोई जरिया माश घर पर नहीं है। वह करें भी क्या ? उनके लिये कोई और धंधा नहीं है इसलिये वह कोयला खानों में काम करने जाते हैं, वह एक वर्ष में ही काम करने के बाद टूटे हुए, मरे हुए घर लौटते हैं। जो आदमी वहां काम करने जाता है वह मरा हुआ ही समझा जाता है, लेकिन भूख क्या नहीं करवाती। अपनी आजीविका के लिये वह जाते हैं। लेकिन वहां पर उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। अभी कुछ थोड़े दिन से सरकार की तरफ से ऐसा प्रतीत होता था कि भर्ती कुछ कम हो गई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत से एजेंट मालिकों के आकर मजदूरों को भर्ती करते हैं, वह उनको ले जाने के लिये तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं, कम्बल देते हैं, जूते देते हैं, कपड़े देते हैं। लेकिन फिर भी जब वह वहां से एक साल बाद लौटते हैं तो बिल्कुल टूटे-फटे लौटते हैं, यहां तक कि उनको दुबारा जाने का मौका नहीं मिलता। वहां पर बिल्कुल रक्षा की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीयकरण हो जाने से कुछ सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह मज़दूरों की अधिक रक्षा करे, साथ ही मजदूरों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा, उनके पठन-पाठन का और जान की रक्षा का प्रबन्ध अधिक होगा। दो-तीन वर्षों में न जाने कितनी कोल माइन्स (खानें) धंस गईं। अभी सुना है कि कोल माइन के धंस जाने पर कई आदमी उसमें फंस गये और १५ दिन तक मछली खा कर जिन्दा रहे। लेकिन उनके निकालने की व्यवस्था में बड़ी ढील-ढाल रही। अगर उनको सरकार ले ले तो मजदूरों के कल्याण की भावना से वह काम करेगी क्योंकि उसके सामने पैसे का ख्याल ज्यादा नहीं रहेगा, मुनाफे का ख्याल ज्यादा नहीं रहेगा। कोल माइन ठीक तौर से चल, मजदूरों के जान की रक्षा हो, अधिक से अधिक माल कम से कम मुनाफे में खोदा जाये और अधिक से अधिक पैसा मजदूरों को दिया जाये इसकी व्यवस्था रहेगी।

अभी सरकार की योजना थी कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में मजदूरों को भी व्यवस्था में हिस्सा दिया जाये। लेकिन अभी तक कोई इन्तजाम उसका नहीं हुआ है। यह बहुत दूर की चीज है, लेकिन कोयला एक ऐसा विषय है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय उस पर ध्यान देंगे। इस विषय को अब अधिक दिन तक टाला न जाये क्योंकि वातावरण में और वायुमण्डल में कोयले के राष्ट्रीयकरण की चर्चा चलती रहेगी तो कोयला खानों के मालिकों के दिल में एक धक्का जरूर रहेगा और वह लोग अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें देर की तो यू० पी० के जंगलों का जो हाल हुआ, यानी वह बिल्कुल साफ कर दिये गये, वही कोयला खानों के बारे में भी होगा। मैंने कोलिअरीज (कोयला खदानों) को देखा तो नहीं है, लेकिन मजदूरों के अनुभवों से मैं यही समझता हूं। इसलिये मुझे महात्मा गांधी के शब्द तो नहीं याद हैं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है उन्होंने कहा था ऐसे व्यवसाय सब राष्ट्र के हों, किसी व्यक्ति के न रहें।

आज हम सोशलिस्ट पैटर्न अर्थात् समाजवादी ढांचे की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि पहले हमारे व्यवसाय ठीक हों। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उसकी ओर अग्रसर होने में, उसकी ओर आगे बढ़ने में यह सब चीज़े सार्थक हो सकती हैं। अगर इन चीज़ों को हमने सामने न रखा, उनको देर तक ठहरने दिया और वह ज्यों की त्यों चलती रहीं तो सामाजिक ढांचे को आगे बढ़ाने में बड़ी रुकावट पड़ेगी। समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ने के लिये, जिसकी भारत के लिये जरूरत है, यह आवश्यक है कि देश की कोल माइन्स जो हैं वह सारी राष्ट्र के हाथ में हों। कोयला जो है वह बड़ी शक्ति है, वह अग्नि है। अगर हमने अग्नि पर अधिकार कर लिया तो हमारा सब काम चल सकता है, लेकिन अगर वह दूसरों के हाथों में है, अगर सरकार दूसरों के सहारे चलती है, कम्पनी के ऊपर आश्रित होकर चलती है तो काम बिगड़ सकता है। इसलिये इस शक्ति को जिससे दूसरी शक्तियां पैदा होती हैं, राष्ट्र के हाथों से अलग रहने देना राष्ट्र के हित में नहीं है।

इसलिये मैं प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को करें। यह सदन तो अब खत्म हो रहा है, अगले सदन में गवर्नमेंट का पहला प्रस्ताव यह होना चाहिये कि कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता---उत्तर-पूर्व) : मैंने आसनसोल के अस्पताल में उन ११ कोयला खान मजदूरों को देखा जो १० दिन तक भूमि के नीचे दबे रहने के पश्चात् भी जीवित रहे थे। भूमि के नीचे काम करने वाले इन मजदूरों की वीरता सराहनीय है। इससे प्रेरित होकर मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कोयले के राष्ट्रीयकरण जैसे मामले में मंत्रिमण्डल की एक निश्चित नीति होनी चाहिये और उसकी सूचना सभा को मिलनी चाहिये। हमको समाजवादी ढंग का समाज बनाना है, उसके लिये निजी क्षेत्र के हाथों में अनिश्चित काल के लिये ऐसे प्रमुख उद्योगों को नहीं छोड़ा जा सकता। कोयला ऐसा उद्योग है जिस पर सरकार का यथाशीघ्र नियन्त्रण होना चाहिये। हमें इस विषय में अपनी नीति निजी क्षेत्र को बता देनी चाहिये।

हमारे कोयले के अधिकतर उत्पादन पर विदेशियों का नियन्त्रण है और बड़ी खानों में बड़ी गड़-बड़ी है तथा छोटी खान वालों का निर्वाह कठिनाई से होता है। ऐसी अवस्था में, हमें राष्ट्रहित की दृष्टि से शीघ्र ही इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना ही चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

गैर-सरकारी क्षेत्र यह तर्क देता है कि यदि उसे वह धन दिया जाये जो सरकार दूसरी योजना में इस कार्य पर खर्च करना चाहती है तो वह सरकार की अपेक्षा कम मूल्य पर और अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र पर नौकरशाही का प्रभुत्व रहा है। यदि सरकार वास्तव में समाजवादी ढांचा लाना चाहती है तो उसे इस निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राज्य की सेवा में भरती करना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य अपने आपको दूसरे व्यक्तियों जैसा देशभक्त होने का दावा करते हैं। जब ऐसी बात है तो उन्हें चाहिये कि सरकार को प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति दें और संगठन सम्बन्धी शक्ति या बल प्रदान करें। गैर-सरकारी लोगों से सहयोग प्राप्त करना सरकार के हाथ में है। सरकार को अपना निश्चय कर लेना चाहिये। १० या १५ वर्ष में हम कोयला उद्योग के नियन्त्रण से निजी क्षेत्र को कैसे निकाल सकते हैं, इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह समाजवादी ढांचे को लाने की दृष्टि से घोषणा करे कि वह क्या कार्रवाइयां करने वाली है। हमारा सुझाव यह है कि शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

श्री विट्ठलराव ने बताया है कि यदि राष्ट्रीयकरण न किया गया तो कोयले का उत्पादन गिर जायेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने ईंधन संसाधनों का विकास करें तो बहुत-सा विदेश विनिमय (विदेशी मुद्रा) बचा सकते हैं। राष्ट्रीयकरण निश्चय ही एक उत्तम हल है, जिसे हमें अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमारी खानों में काम करने वाले प्रबन्धकों और इंजीनियरों आदि को कोयला विकास के सम्बन्ध में बहुत लाभदायक सुझाव दे सकते हैं। चूंकि गैर-सरकारी मालिक उन योजनाओं पर खर्च नहीं करना चाहते, इसलिये वे चुप रहते हैं। समाज के लिये उनकी सेवायें प्राप्त की जानी चाहियें। फिर, मजदूर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। रूस और चीन में यही हुआ है। अब प्रबन्धकों आदि के सुझाव व्यर्थ जाते हैं क्योंकि गैर-सरकारी पूंजीपति विशेष खर्च करना नहीं चाहते।

सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की ओर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इंग्लैण्ड में भी यह प्रश्न उठा था कि राज्य को गैर-सरकारी पूंजीपतियों की अपेक्षा अधिक खर्च करना पड़ेगा। परन्तु वहां की सरकार ने समाज की भलाई के लिये अधिक खर्च करना स्वीकार किया और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। निश्चय ही यहां सरकार को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों और अन्य प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के लिये आगे आना चाहिये।

बहुत-सी छोटी-छोटी खानें हैं, जो बड़ी खानों से प्रतियोगिता नहीं कर सकतीं। उन्हें मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु जांच-पड़ताल के समाप्त होने तक यह कार्य रुका पड़ा है। सरकार को चाहिये कि वह आगे आयें और इन छोटे मालिकों के साथ मिलकर अन्तरिम समय के लिये राज्य एवं निजी खानों की व्यवस्था करे। सहकारी संगठनों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण होना चाहिये और सभा को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है।

खोज के सम्बन्ध में प्राकृतिक संसाधनों और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। अब इस खोज कार्य को विश्वविद्यालयों, भूतत्वीय संस्थाओं में किये जा रहे कार्य और उद्योग, और उत्पादन से सम्बद्ध करक राष्ट्रीय आधार पर किया जा सकता है। जब तक सरकार इसे हाथ में नहीं लेती है और सभी अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिये इसे कार्यान्वित नहीं करती है तब तक यह कार्य नहीं हो सकता।

अब ऐसा होता है कि खनिकों की थोड़ी-सी मजूरी बढ़ाने के लिये कोयले का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। जनसाधारण इसका विरोध करेगा। अतएव, यदि सरकार अधिकाधिक जनता के कल्याण

का ध्यान रखे तो वह कल्याण कार्यों के लिये ही उद्योग में हाथ डालेगी। यह उद्योग हमारे अन्य उद्योगों का आधार है। इसे अनिश्चित काल तक गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। कुछ खानों की स्थिति बहुत अव्यवस्थित है और उन्हें सरकार ले सकती है अथवा अपने निदेश के अधीन सहकारी रूप से संगठित कर सकती है। इस उद्योग का बहुत-सा भाग विदेशियों के अधीन है, हम इस का विकास करके विदेशी मुद्रा की बहुत बचत कर सकते हैं।

मैं यह आशा तो नहीं करता कि माननीय मंत्री कहेंगे कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय कर लिया है। परन्तु आज इस संकल्प को जो एकमत समर्थन मिला है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें यह बताना चाहिये कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह कहे कि समाजवादी समाज की स्थापना उसकी निश्चित योजना है। अतएव मैं श्री विट्ठलराव के संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): मैं कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे शिकायत है कि कोयले की उत्पादन के प्रति उपेक्षा की जा रही है। आसाम के कतिपय क्षेत्रों में कोयला बहुत निकलता है और अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये उनकी खोज किये जाने के सम्बन्ध में मैंने मंत्रालय से कहा था। परन्तु प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने कहा कि परिवहन की सुविधाओं के बिना वहां उत्पादन करने से क्या लाभ, जबकि वहां सैकड़ों लारियां नित्य प्रति आवश्यक वस्तुओं को इधर से उधर ले जा रही हैं। मंत्रालय के इस दृष्टिकोण पर आश्चर्य होता है।

मनीपुर के कुछ क्षेत्रों म अच्छी किस्म का कोयला मिला है परन्तु बहुत समय से उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि सरकार इन कोयला खानों को राष्ट्रीकृत नहीं करना चाहती है तो उत्पादन को बहुत हानि पहुंचेगी।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : गत वर्ष में इस विषय पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। उत्पादन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय अनेक सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। प्रश्न के घंटे में नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के लिये कई बार मांग की गई थी।

उत्पादन मंत्री ने गत बजट चर्चा में इस विषय के सम्बन्ध में सरकार की नीति की ब्योरेवार व्याख्या की। सरकार से बार-बार नीति को स्पष्ट करने की मांग करना समझ में नहीं आता है। सरकार की ओर से यह कई बार बता दिया गया है कि १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प और अब १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में उस नीति का स्पष्ट उपबन्ध है जिसका इस विषय में अनुसरण किया जा रहा है। १९४६ में जब से अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार ने इस देश का शासन अपने हाथ में लिया था, यह प्रश्न सरकार के समक्ष रहा है। तब से बहुत-सी समितियां नियुक्त की गई हैं। उन्होंने प्रतिवेदन दिये और यदि इन कुछ वर्षों में नीति का जो विकास शनैः-शनैः हुआ है उसका यदि अध्ययन किया जाये तो यह मालूम हो जायेगा कि हम उस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं जो माननीय सदस्यों के ध्यान में है। तथापि साम्यवादी दल के उपनेता ने संकल्प की जो व्याख्या की है उसके परिणामस्वरूप मेरा काम अधिक सुगम हो गया है। जिस रूप में इस संकल्प को श्री विट्ठलराव ने प्रस्तुत किया है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं, परन्तु यदि उनकी इच्छा वही है, जो उनके उपनेता ने बताई है, कि १०, १५ अथवा २० वर्ष की अवधि में हमें इस योग्य होना चाहिये कि इस मूल उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर सकें, तो मैं कह सकता हूं कि हम इसी उद्देश्य के लिये कार्य कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सतीश चन्द्र]

सन् १९४६ में सरकार ने निश्चय किया था कि समूचे कोयला उद्योग का संचालन और स्वामित्व राज्य के हाथ में होना व्यवहार्य नहीं है। उस समय यही निश्चय किया गया था। तो भी राज्य के स्वामित्व तथा संचालन को कुछ स्थितियों में बढ़ाया जा सका। यह स्थिति १९४६ में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व थी। तत्पश्चात् माननीय सदस्यों को उस नीति में उत्तरोत्तर विकास होता दिखाई देगा, जब कि सन् १९४८ के संकल्प में यह घोषणा की गई थी कि सिवाय इसके कि जहां राज्य स्वयं यह समझे कि ऐसे नियन्त्रण और विनियमन सहित, जो केन्द्रीय सरकार निहित करना चाहे, गैर-सरकारी उपक्रम का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक है, तो सभी नये उपक्रमों की स्थापना के लिये केवल राज्य ही उत्तर-दायी होगा। सरकार ने निश्चय किया वर्तमान उपक्रमों को १० वर्ष तक विकसित होने दिया जाये और इस कालावधि में उनके दक्षतापूर्ण संचालन और क्रमिक उत्तरोत्तर विस्तार के लिये सभी सुविधायें दी जानी थीं।

एक साल बाद इस नीति का पुनरीक्षण किया गया। यह निश्चय किया गया कि यदि नये उपक्रमों के संचालन का अधिकार खोज अनुज्ञप्तियों अथवा खनन पट्टों के अनुसार किसी भी ऐसे दल को पहले ही दिया जा चुका हो, तो उस दल को उपक्रमों के विकास की अनुज्ञा होगी परन्तु सरकार विशेष कारणों से उसे ले सकती थी। जिन क्षेत्रों में ये अधिकार नहीं थे, वहां प्रत्येक मामले का उसके गुण दोषों के अनुसार यह निर्णय किया जाना था कि उस उपक्रम विशेष का विकास राज्य करे अथवा गैर-सरकारी उद्योगपति करें।

सन् १९५६ के नीति संकल्प में कहा गया है कि कोयला उद्योग के सभी नये एकक, सिवाय उनके जिनकी स्थापना गैर-सरकारी उद्योग के लिये पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है, राज्य द्वारा स्थापित किये जायेंगे। इसमें गैर-सरकारी उद्योगपतियों के वर्तमान एककों का विस्तार अथवा ऐसे नये एककों के गैर-सरकारी उपक्रमों का जिनमें राष्ट्रीयहित है सम्मिलित हैं, सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना की प्रतिवादित नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इसमें केवल पूर्व संकल्प की व्याख्या की गई है। परन्तु यदि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा जाये, तो सम्भवतः यह स्पष्ट हो जायेगा कि नीति में परिवर्तन किया गया है और भविष्य के लिये नीति यह होगी कि सिवाय बाहरी क्षेत्रों की छोटी-मोटी खानों के अतिरिक्त, तथा उन मामलों के अतिरिक्त जहां कि वर्तमान खानों के समीपस्थ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, गैर-सरकारी उद्योग को नई कोयला खानों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह वर्तमान नीति है।

जैसा कि प्रस्तावक को विदित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में उत्पादन लक्ष्य ६०० लाख टन है। २२० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन में से, लगभग १२० लाख टन का सरकारी उद्योग द्वारा और १०० लाख टन का गैर-सरकारी उद्योग द्वारा उत्पादन किया जाना है। प्रस्तावक ने अपने आंकड़ें और अपना मामला इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि उससे गलत धारणा बन सकती है। तथ्य यह है कि सरकारी क्षेत्र में पांच वर्ष की कालावधि में उत्पादन चार गुना हो जाना है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा है कुछ बर्तमान कोयला खानें २०० वर्षों से चली आ रही हैं। यदि १०० वर्ष की कालावधि में सरकारी उद्योग ३० लाख टन कोयले का उत्पादन बढ़ा सका तो पांच वर्ष की कालावधि में १२० लाख टन उत्पादन बढ़ाना कोई साधारण सफलता नहीं होगी। पता नहीं कि इस लक्ष्य के विषय में उन्हें संदेह क्यों है। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो योजनायें बनाई गई हैं, और जो खोदने और खोजने का कार्य हुआ है या किया जा रहा है उसके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करना सम्भव होगा।

मैं सभा को केवल विश्वास दिला सकता हूं कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रश्न बहुत ही साधारण है। हम अन्तिम लक्ष्य के विषय में स्थूल रूप

से सहमत हैं तथापि उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना केवल इस कारण सम्भव नहीं हो सका है कि सरकार के धन सम्बन्धी और प्राविधिक कर्मचारीवृन्द सम्बन्धी संसाधन जिन्हें वह कोयला उद्योग में लगा सकती है, सीमित है । प्रश्न यह है कि ऐसी पुरानी और निकम्मी खानों के जो कि अभी चल रही हैं राष्ट्रीयकरण पर व्यय करना क्या उपयुक्त होगा अथवा नई खानों के विकास और अतिरिक्त कोयला उत्पादन पर व्यय करना अधिक लाभप्रद होगा ।

इस समय इन खानों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रशासनकुशल और प्राविधिक कर्मचारियों के पाने की वास्तविक कठिनाई है । निजी कोयला उद्योग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खानों को अच्छी प्रकार से चलाने का अच्छा अनुभव है, और मेरी इच्छा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति भी इन व्यक्तियों की प्रतिक्रिया वैसी ही है जैसी कि विरोधी पक्ष के माननीय उपनेता चाहते हैं । परन्तु यह अनुभव किया गया कि बहुत से कारणों से सरकारी क्षेत्रों में उनकी सेवा का उपयोग नहीं उठाया जा सकेगा कोयले का उत्पादन बढ़ाने में उनकी सेवाओं का लाभ न उठाना भी एक बड़ी भारी हानि होगी । इसलिये शायद अच्छा यही होगा कि उनको जहां वह है वहीं रहने दिया जाये और नई खानों के विकास के लिये कुछ और व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया जाये । कोयला उद्योग के विकास का विनियमन और नियन्त्रण काफी सीमा तक सरकार ही करती है । निजी क्षेत्र को इस बात के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जाता है कि वह जो चाहें करें । सभी प्रकार के नियन्त्रण हैं । वास्तव में, उत्पादन, मूल्य और वितरण, सभी नियन्त्रित हैं । आज केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना किसी नये क्षेत्र में कोयले की खान का पता लगाने का कार्य करने के लिये भूमि पट्टे पर नहीं दी जा सकती है । किसी भी कोयला खान में नया काम शुरू करने के लिये कोयला बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । नये कोयला उपक्रम केवल उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने पर ही प्रारम्भ किये जा सकते हैं । फिर कोयला खानों के निरीक्षण किये जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों तथा उत्तम श्रेणी के कोयले के परीक्षण के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं ।

एक मित्र ने पूछा कि धातुकर्मिक कोयले का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है । वास्तव में हम इस धातुकर्मिक कोयले का उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते हैं । आज जितना भी धातुकर्मिक कोयला निकाला जा रहा है उसका उन कामों के लिये जिनमें उनका प्रयोग किया जाना चाहिये प्रयोग नहीं किया जा रहा है । विचार यह है कि धीरे-धीरे यह सारे का सारा कोयला नये इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन आरम्भ करते ही उनकी ओर लगा दिया जाये । धातुकर्मिक कोयले के कुछ वर्तमान उपभोक्ताओं को घटिया प्रकार का कोयला दिया जाये । यह हमारे हित में नहीं है । धातुकर्मिक कोयले को अविवेकता से निकाला जाये ।

खानों को सुरक्षित और कोयले की परीक्षण के लिये निजी कोयला खानों के मालिकों पर खान अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । कोयला की खानों में भविष्य निधि कल्याणकारी बातों की व्यवस्था की गयी है । एक टन पर छः आना उपकर है । यह उपकर कोयले के सम्पूर्ण उत्पादन पर लागू होता है । उसका बड़ा भाग मजदूरों के लिये मकान बनाने पर खर्च किया जाता है । धीरे-धीरे कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये और अधिक मकान बनाना सम्भव हो सकेगा ।

सरकार निजी कोयला उद्योग का कैसे नियन्त्रण कर रही है, इसके कुछ उदाहरण हैं । हमने एक ही बात नहीं की है, वह यह कि हमने उनके सम्बन्ध में स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं और उनका प्रबन्ध अपने हाथों में नहीं लिया है । जिन कोयला खानों में पहले से काम हो रहा है, क्योंकि हमने, उनको अपने हाथों में लेने की अपेक्षा अधिक उत्पादन पर जोर देना ठीक समझा है जैसा कि मैंने कहा, उनमें से कुछ खानें इतनी बेकार और पुरानी पड़ गई हैं कि उन्हें लेना ठीक नहीं है । जो भी हमारे पास सीमित

[श्री सतीश चन्द्र]

संसाधन हैं उनका यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिये । अतः सरकार और प्रस्तावक के दृष्टिकोण में केवल थोड़ा-सा फर्क है । समस्या केवल यह है कि हम इस मामले को किस प्रकार से करें । यदि सरकार ने इन वर्तमान खानों को अर्जित करने का प्रयत्न किया होता तो अतिरिक्त उत्पादन का काम रुक गया होता और ऐसा करना देश के आर्थिक विकास के लिये, अच्छा नहीं होता ।

बहुत माननीय सदस्यों ने छोटी और बेकार कोयला की खानों का उल्लेख किया है । सदन को पता ही है कि बड़ी-बड़ी कोयला खानों के बीच पड़ी छोटी खानों की समस्याओं का अध्ययन करने और समस्या को सुलझाने के लिये सुझाव देने के हेतु एक समिति नियुक्त की गयी थी । उस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस सदन की आंक समिति के भूतपूर्व सभापति इस समिति के सभापति थे । उक्त समिति ने बड़ी लाभदायक रिपोर्ट दी है और महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं । कुछ ही सप्ताह हुए यह हमें मिली है और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । मुझे आशा है कि यह बात छोटी खानों में मालिकों के हित में होगी यदि उनसे बड़े एककों में स्वयं ही सम्मिलित होने के लिये कहा जाये । यदि यह सम्भव नहीं हो सका तो इस कार्य के लिये इस सभा में कोई विधान लाया जायेगा ताकि छोटी-छोटी खानें मिलकर आज की अपेक्षा बड़ी इकाइयां बन कर अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकें । इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की गयी है । इसका परीक्षण किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही कोई निर्णय हो जायेगा ।

डा० जयसूर्य ने कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं । बात यह नहीं है कि इन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने कई बार कोयले के प्रयोग और रासायनिक उद्योगों के विकास के प्रश्न पर चर्चा की है । हाल ही में एक परिषद् कोयला की स्थापना की गयी है और जिसमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् को प्रतिनिधित्व दिया गया है । योजना आयोग के डा० जे० सी० घोष और कुछ व्यक्ति, जिन्हें कोयला उद्योग का ज्ञान है, इसके सदस्य हैं । परिषद् इसका अध्ययन करेगी कि किस प्रकार हम अपने कोयले का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं नये उद्योगों को और तारकोल शुद्ध करने की प्रक्रियाओं को विकसित कर सकते हैं । आज ही प्रातः मैं संश्लेषित पैट्रोल के उत्पादन के लिये घटिया प्रकार के कोयले के काम में लाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था ।

सभा को मालूम है कि बड़े-बड़े ताप-विद्युत् केन्द्र हाल ही में स्थापित किये गये हैं । उदाहरणतः बोकारो ताप-विद्युत् केन्द्र एक बड़े ताप-विद्युत् केन्द्र को लिगनाइट परियोजना में सम्मिलित किया गया है; अतः जहां कहीं भी विद्युत् शक्ति की कमी हो और कोयले और लिगनाइट का बिजली पैदा करने के लिये प्रयोग किया जा सकता हो तो उस कोयले अथवा लिगनाइट को वहीं पर उपयोग में लाने का विचार है ताकि वहां विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये विद्युत् पैदा की जा सके । इस सम्बन्ध में कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य से इस मामले में सहमत नहीं हूं कि हमने अपनी जल विद्युत् शक्ति की ओर कम ध्यान दिया है । यह मामला मुझ से सम्बन्धित भी नहीं है । परन्तु हमने अपनी बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं में बिजली पैदा करने के लिये अपने जल के साधनों का यथासम्भव उपयोग करने का प्रयत्न किया है और इससे औद्योगिक उन्नति हुई है । माननीय सदस्य डा० जयसूर्य को पता है कि नदी घाटी योजनायें एक प्रयोजनीय योजनायें नहीं हैं । उनमें बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई और दूसरी बातें आ जाती हैं । इन जल विद्युत् केन्द्रों से हमें बहुत सस्ती विद्युत् प्राप्त हुई है । यह कल्पना करना कठिन है कि ताप विद्युत् केन्द्रों से और सस्ती बिजली प्राप्त हो सकती है, भले ही कोयला खानों के मध्य में विद्युत् केन्द्र स्थापित कर दिये जायें ।

कोयला खानों में काम करने वाले मज़दूरों की मजूरियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। सदन को पता है, कि कुछ मास पहले ही, एक औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट द्वारा मजूदूरों की मजूरियां औसत रूप से कोई ४० प्रतिशत बढ़ा दी थी—कुछ अपवाद भी हो सकते हैं—और कुछ संघों ने जिनसे माननीय प्रस्तावक सम्भवत: सम्बद्ध हों, एक अपील दायर की है। पंचाट को कार्यान्वित कर भी दिया गया है। तथापि मामला न्यायाधीन है; उस अपील पर अपीलीय न्यायाधिकरण विचार कर रहा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कोयला खानों के आर्थिक ढांचे, कोयला खोदने की लागत, लिये जाने वाले मूल्य खदानों द्वारा अर्जित किये जा रहे लाभ का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और तब अपना पंचाट दिया है। परन्तु इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य पंचाट से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो जिन संघों से उनका सम्बन्ध है, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मत पर जोर देने का अवसर अभी भी प्राप्त है। यह ठीक नहीं है कि अभी ही की गई भारी वेतन वृद्धि के तुरन्त बाद ही इस प्रश्न को इस सभा में पुन: उठाया जाये और वह भी उस समय जब कि विशेषत: कुछ श्रमिक संघों के आवेदन पर इस मामले पर पुन: विचार किया जा रहा है। मेरा कहना है कि हाल ही में मजूरियों में ४० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड़ा) : कितने का ४० प्रतिशत ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है। यदि किसी व्यक्ति को प्रति मास ५० रुपये मिलते थे तो अब उसे ७० रुपये मिलेंगे। यह काफ़ी अधिक वृद्धि है और कुछ क्षेत्रों में तो यह वृद्धि और भी अधिक होगी। बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में ४० प्रतिशत की वृद्धि की गई है। दूसरे क्षेत्रों में जहां मजूरियां इससे भी कम थीं वहां तो वृद्धि का अनुपात और भी अधिक होगा क्योंकि सारे देश में अब मजूरियां एक समान कर दी गई हैं। अत: मेरे विचार में अब कुछ देर के लिये अर्थात द्वितीय योजना के अन्त तक इस मामले को उठा रखना चाहिये। इसे बाद में उठाया जा सकता है। सरकार श्रमिकों को आवास और कल्याण सम्बन्धी सुविधायें देने के मामले में बहुत उत्सुक है परन्तु यह तरक्की सीमित संसाधनों और देश की सामान्य श्रम स्थिति के अनुसार ही की जा सकती है।

जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में रूस और अमेरिका से भारत की तुलना करने का कोई लाभ नहीं है।

श्री शि० ला० सक्सेना : और चीन में ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे समक्ष कोई तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं परन्तु अनेक मामलों में हम तुलनात्मक रूप से चाहे चीन से अच्छे ही हैं इसके अलावा हमें अभी देश की सामान्य औद्योगिक स्थिति का विचार करके ही अपने ढंग से सोच-विचार करना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि २०, २५ अथवा ३० वर्ष के पश्चात् यह देश संसार के किसी भी प्रगतिशील देश के साथ खड़ा हो सकेगा। रूस संसार के अन्य उन्नतिशील देशों के बराबर ४० साल में आ पाया है मैं इन आंकड़ों की रूस और चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में हुई प्रगति से तुलना करने को तैयार हूं।

अन्त में मुझे फिर वही कहना है जो कि मैंने आरम्भ में कहा था, कि सरकार यथासम्भव अधिक से अधिक नियन्त्रण इस उद्योग पर रखना चाहती है और रख रही है। यह एक महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग है। हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख संकल्प पर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने किया है, परन्तु अभी हाल ही में उनका समग्र रूप से राष्ट्रीयकरण करना कोई व्यवहार्य प्रस्थापना नहीं है। समस्त समस्या पर वस्तुरूपता से विचार करते हुए यही निर्णय किया गया है कि सरकार को

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री सतीश चन्द्र]

नये क्षेत्र ढूंढना चाहिये और पुरानी खानों को काम करने दिया जाये और उन्हें समीपवर्ती क्षेत्रों में कार्य बढ़ा करके उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। वर्तमान परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम नीति है। मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस प्रकार की चर्चा के कारण हमारा ध्यान इस ओर गया है और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, चाहे हमारे लिये तुरन्त उसको प्राप्त करना सम्भव न हो, कार्य करने में सहायता मिली है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संकल्प का समर्थन किया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। केवल माननीय उपमंत्री ने विरोध किया है। मैं इस संकल्प द्वारा केवल कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की कार्यवाही कराना चाहता हूं परन्तु मेरी इच्छा यह है कि राष्ट्रीयकरण अभी और तुरन्त किया जाये।

†**श्री क० च० रेड्डी** : कृपया अपने संकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय उपमंत्री ने गलत समझा है। मैंने यह नहीं कहा कि सरकार उन सभी गैर-सरकारी खानों को पूरी तरह ले ले जिनसे उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४५० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष मिलने की आशा है। उन खानों की व्यवस्था करने से हमारी औद्योगीकरण सम्बन्धी योजनायें सफल होंगी।

दूसरे, श्रमिक कल्याण निधि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ६ आने प्रति टन के उपकर में से केवल ०–१–४ पाई प्रति टन गृह-निर्माण पर व्यय किया जाता है।

कोयला परिषद् में केवल सरकारी कर्मचारी और उद्योगपति हैं और अन्य खान इंजीनियरों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसके फलस्वरूप सरकार को कोयला खान उद्योग के सम्बन्ध में ठीक परामर्श नहीं मिलता है। इस समय कोयला उद्योग में २२–२३ करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी विनियोजित नहीं है और यदि सरकार २० वर्ष की किस्तों में उपयुक्त प्रतिकर देकर खानों को ले ले तो अधिक धनराशि नहीं देनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद—दक्षिण): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा को यह राय है कि सरकार देश के ऐसे राजनैतिक पीड़ितों क बच्चों को छात्रवृत्तियां दे जिन क पास अपने बच्चों की शिक्षा के लिये पर्याप्त साधन नहीं ह।"

यह संकल्प वैसे तो उसी दिन प्रस्तुत होना चाहिये था जब देश को स्वतन्त्रता मिली थी किन्तु दुःख की बात है कि ऐसा न हो सका।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : न होने से देर में होना अच्छा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मुझे विश्वास है कि सभा इसका एकमत से अनुमोदन करेगी। हम में से बहुत लोगों ने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया है। हमें पता है कि बहुत से लोग जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया आज कष्ट सहन कर रहे हैं। उनक पास कोई आय के साधन नहीं हैं। बहुत से पीड़ित अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दिला सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरा आशय यह है कि १९०५ से १९४२ तक जिन लोगों ने आन्दोलनों में भाग लिया उन्हें इस प्रकार की सहायता दी जाये और उनके इस समय के राजनैतिक सम्बन्धों का ध्यान न रखा जाये । यह सहायता केवल उन्हीं लोगों को दी जाये, जिनके पास आय के कोई साधन इस समय नहीं है । मुझे बहुत से ऐसे लोगों का पता है जिन्होंने गोलियां खाई हैं बहुत से शहीदों का मुझे पता है--किन्तु आज उन हतात्माओं के परिवारों की दशा दयनीय है ।

इसलिये हमारी राष्ट्रीय सरकार को चाहिये कि सरकार उन अभागे बच्चों की सहायता करे । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे लोग निराश हो जायेंगे ।

यह कहा जा सकता है कि गांधी जी ने उस समय कहा था कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वालों को यह नहीं सोचना चाहिये कि बाद में उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं । किन्तु अब स्थिति बदल गई है । हमारे देश का नाम ऊंचा हो गया है । इसलिये हमें अपने देशभक्तों के बच्चों को कम से कम शिक्षा की सुविधायें देकर उन लोगों का सम्मान करना चाहिये ।

कहा जा सकता है कि राज्य सरकारें उन लोगों को कुछ सुविधायें दे रही हैं । किन्तु इसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं । यह बात बड़ी लज्जाजनक है ।

यह भी कहा जाता है कि दोष राजनैतिक पीड़ितों का खुद ही है । मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं । यह बात ठीक नहीं है कि हम इस कारण से उन लोगों की सहायता न करें कि उन्हें राज्य सरकारों से सहायता मिल रही है । यों तो राज्य सरकारें भी कई काम करती हैं और केन्द्र भी वही करता है । किन्तु सरकार को पीड़ितों के लिये इसे स्वीकार करना चाहिये ।

जिन लोगों ने उन शहीदों को फांसियां दिलवाई वही लोग आज बड़ी-बड़ी जगहों पर हैं । सरकार उन्हीं के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्तियां दे रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप को अधिक समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्रीमान्, संकल्प के संशोधन प्रस्तुत हुए समझे जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक संशोधन कैसे प्रस्तुत समझे जा सकते हैं ।

अब हम दूसरे विषय पर आते हैं ।

आर्थिक स्थिति तथा कराधान प्रस्ताव

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं क्योंकि मैं दो विधेयक सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति लेना चाहता हूं ।

साधारणतया विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले भाषण की आवश्यकता नहीं होती । वे विधेयक, जैसा कि शीर्षों से स्पष्ट है--वित्त विधेयक हैं । यद्यपि इन्हें पृथकतया प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वास्तव में इनमें प्रस्ताव एक दूसरे से सम्बन्धित ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

गत सितम्बर में योजना पर वाद-विवाद के समय देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई थी। उस समय मुख्य परिणाम मैंने यह निकाला था कि यद्यपि उस समय सामान्य मुद्रा-स्फीति के लक्षण नहीं थे, किन्तु कई पहलू ऐसे थे जिन पर इसका बहुत दबाव था। वर्तमान स्थिति को भी ठीक इसी तरह समझा जा सकता है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में यह दबाव और बढ़ जाये क्योंकि योजना का काम जोर पकड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी कुछ पता नहीं है।

सितम्बर से आठ सप्ताह तक थोक मूल्यों का देशनांक यथास्थिति रहा किन्तु गत दो सप्ताहों में दस अंकों की वृद्धि इसमें हुई है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कीमतें बढ़ेंगी अथवा उसी स्तर के आस-पास रहेंगी, जिसके पास वे पिछले दो या तीन महीनों में रही हैं। यह सब कुछ तो फसल पर निर्भर करता है और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर। यह स्पष्ट है कि मूल्यों की स्थिति को देखना पड़ेगा और इस बात के लिये प्रयास करना पड़गा कि वर्तमान सम्भरण पर मांग का दबाव ज्यादा न बढ़े। अब मुद्रा लोगों के पास पिछले बारह महीने के मुकाबले में १४७ करोड़ रुपया ज्यादा है और शेष बैंक ऋण की मात्रा गत वर्ष के अनुपात में १६३ करोड़ रुपया अधिक है। इस मन्दी के समय में पहले के मुकाबले में रुपये की मात्रा अधिक तेजी से कम हुई किन्तु कमी का बड़ा कारण यह है कि हम निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक कर रहे हैं। धन की मांग बढ़ती रही है और बैंकों पर पूर्ण दबाव पड़ा हुआ है। सरकार इस बात के देखने के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील है कि व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकतायें विदेशी मुद्रा की कमी के कारण न रुकें। कीमतों की स्थिति की दृष्टि में, इस लिये यह आवश्यक है कि बैंकों का ऋण अग्रसर करना सीमित ही रखा जाये। ये मुद्रा प्रबन्ध के मामले हैं, इसलिये इस पर अभी जोर देना आवश्यक नहीं है।

आर्थिक स्थिति का एक पहलू और है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वह विदेशी मुद्रा का प्रश्न है। मार्च १९५६ के अन्त से रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा रिजर्व में ७४६ करोड़ रुपये थे जो घट कर ५४३ करोड़ रुपये रह गये हैं, अर्थात् २०० करोड़ से भी ज्यादा की कमी हुई है। यद्यपि यह कमी योजना पूर्त्ति की आवश्यकताओं के लिये आयात हुए सामान के कारण ही हुई है और कोई आयोजित सामान नहीं मंगाया गया—किन्तु यह स्पष्ट है कि इसी हिसाब से कमी और अधिक सहन नहीं की जा सकती। अब हमारे पास विदेशी मुद्रा के उतने ही रिजर्व है जितना कम से कम हमें रखना चाहिये। मैं सभा को तथा जनता को यह बताना चाहता हूं कि अब विदेशी मुद्रा को बढ़ाने तथा इसे रखने के लिये बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता है। मेरे विचार में देश में मूल्यों की तुलना में इस मामले पर अधिक ध्यान देना चाहिये यद्यपि वह मामला भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं हमारे अनुमान से ज्यादा होती जा रही हैं और यह आवश्यक होगा कि हम आयात में कमी करें, तथा निर्यात अधिक करें और इसके साथ-साथ विदेशों से भी सहायता के साधन प्राप्त करने के लिये पूरी-पूरी कार्यवाही करें।

इससे मुझे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का ध्यान आता है, जो कि पिछले कुछ समय में खराब हो गई है। सभा को इन सब स्थितियों का ज्ञान है। जो कार्यवाही स्वेज नहर को खुला रखने के लिये की गई उससे नहर बन्द हो गई है। अधिक आशावादी अनुमान लगाने पर भी यह कहा जा सकता है कि अभी नहर खुलने के लिये कम से कम ३ से ६ मास का समय और लगेगा। नहर साफ करने का काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि इसके चालू होने में कम से कम अभी एक वर्ष और लगेगा। उस क्षेत्र में लड़ाई होने से पहले भी नौवहन की कमी होने लग गई थी और अब यह बहुत बढ़ गई है। निस्संदेह नौवहन की कमी उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो विश्वव्यापी कमी हो जायगी। हम ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं कि उपलब्ध नौस्थान में

हमारी प्राथमिकता वस्तुएं आयें। जहाजों के आने में भी निस्संदेह देर लगेगी और भाड़े तथा बीमे के भार भी बढ़ गये हैं। यदि नहर अधिक समय के लिये बन्द न रही तो हम इन अस्थायी कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और योजना पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु इस अवस्था में आशावादी अथवा निराशावादी निष्कर्ष निकालना उचित न होगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आगामी कुछ महीनों में हमें न केवल अपनी आन्तरिक स्थिति अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा।

अब मैं कराधान की समस्या के बारे में कहूंगा। कराधान की नीति इस समय दो मुख्य बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित करनी है; (क) योजना की आवश्यकतायें तथा (ख) सामान्य आर्थिक स्थिति। जहां तक पहली बात का प्रश्न है स्थिति का उल्लेख संक्षेप में ही करना पर्याप्त होगा। इस योजना में वित्तीय कार्य बड़े भारी स्तर पर होगा जितना कि पहले कभी नहीं हुआ है। योजना आयोग ने पांच साल की अवधि में ८५० करोड़ रुपये अतिरिक्त कराधान द्वारा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। अब यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में रखे गये विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योजना में निर्धारित किये गये ४,८०० करोड़ रुपये के कुल व्यय से ४०० या ५०० करोड़ अधिक होंगे। इसका कुछ कारण तो यह है कि योजना में वित्तीय उपबन्ध अपर्याप्त थे, और कुछ इस कारण से कि देश में तथा विदेशों में चीजें महंगी हुई हैं। कीमतें बढ़ी हैं—इस समय देशनांक ४३० है और मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिये यह कार्यवाही करना आवश्यक है कि लोगों के पास जो अतिरिक्त क्रय शक्ति है, उसे समाप्त किया जाये। अतिरिक्त क्रय शक्ति का प्रमाण यह है कि खाद्यान्नों, कपड़े, इस्पात तथा सीमेंट की मांग तेजी से बढ़ती रहती है। एक तरह से, तरीके के अनुसार ही नयी मांगों का बनाना विकासोन्मुख योजना का सार है। अविकसित अर्थ-व्यवस्था में अपर्याप्त मांग होती है तथा रुपया लगाने के अवसर अपर्याप्त होते हैं और उत्पादन भी अपर्याप्त होता है। उत्पादन तथा मांग की साथ-साथ बढ़ोत्तरी के द्वारा इस रुझान को रोकना पड़ेगा। जब मांग सम्भरण की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती जाती है तब मुद्रा-स्फीति का खतरा आ जाता है। योजना अवधि की आर्थिक नीति का एक उद्देश्य सामान्य उपभोग की वस्तुओं, विशेषतया खाद्य और कपड़े का उत्पादन बढ़ाना है; तथा दूसरा उद्देश्य उपयुक्त कर-नीति द्वारा क्रय शक्ति का विनियमन करना है जिससे यह निश्चय किया जा सके कि आर्थिक स्थिरता के अनुसार विकास हो।

संसद् के गत सत्र में कपड़े की कमी पर तथा कमी के कारण उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ उठाने पर नियंत्रण रखने के विचार से कपड़े पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाना पड़ा। अब प्रत्यक्ष करों को बढ़ाने का समय आ गया है, जिससे एक ओर तो जिन वस्तुओं को खरीदने में प्राथमिकता न दी जाये उन वस्तुओं को खरीदने पर नियंत्रण रखा जाये तथा दूसरी ओर आय तथा सम्पत्ति की असमानता को ठीक किया जाये। अब किये जा रहे प्रस्तावों के यही दो उद्देश्य हैं।

भारतीय कर-पद्धति अब निश्चित हो चुकी है। इससे सरकारी कोष में, राष्ट्रीय आय का निश्चित भाग नहीं आता है। जिस प्रकार का विकास कार्यक्रम हम प्रारम्भ कर रहे हैं, उसके सफल होने के लिये कर-प्रणाली को अधिक नम्र बनाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष करों की दरें, इतनी बढ़ चुकी हैं कि जिनको और बढ़ा कर धन नहीं दिया जा सकता है। अब यह आवश्यक है कि पूंजी लाभ, जिसको अब तक आय-कर में स्थान नहीं दिया गया था, पर कर लगाकर पूर्ण किया जा सकता है। पूंजीगत लाभ से आर्थिक असमानतायें बढ़ती हैं। इसलिये यह समझना ठीक नहीं कि पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगना चाहिये। अधिकांश देशों की कर-पद्धति में यह एक त्रुटि है जो कि समय पर उनको दूर करनी पड़ेगी। हमारे जैसी विकासमान अर्थ-व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि हम इस सम्बन्ध

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

में शीघ्र कार्यवाही करें क्योंकि यह निश्चित है कि हमारे कार्यक्रमों को लागू होने से ऐसी अवस्था आ जाये कि यदि ऐसा न किया गया तो आस्तियों की कीमतें बढ़ जायें । पूंजीगत लाभ के रूप में प्राप्त इस आय का एक अंश राज-कोष में आना ही चाहिये ।

दूसरे, विनियोजन के संसाधनों को बढ़ाने की समस्या पर भी सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के दृष्टिकोण से विचार करना होगा । सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की वित्तीय व्यवस्था के लिये सरकारी बचत बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति के लिये उसमें भी बचत बढ़ानी होगी । व्यक्तिगत बचत निस्संदेह महत्वपूर्ण है, परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये आवश्यक अधिक विनियोजन व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता । औद्योगिक उन्नति वाले पश्चिमी योरप के देशों में निगम की बचत पर अधिक ध्यान दिया जाता है । इन दोनों में गैर-सरकारी उपक्रमों को पूंजी, उद्योग द्वारा की गई बचत स और अन्य औद्योगिक वित्त संस्थाओं से प्राप्त होती है । हमें उद्योगों के विकास के लियें निधि प्राप्ति के लिये ऐसी ही संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना होगा । सभा में बार-बार लाभांश के परिसीमन, अतिरिक्त, लाभ कर लगाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाते हैं । ये सभी तरीके प्रयुक्त किये जा चुके हैं परन्तु कोई अधिक सफलता नहीं मिली । गत आय-व्ययक में लाभांशों पर एक कर लगाया गया था, इसी दिशा में और कठोर कदम उठाया जा रहा है । विधि द्वारा लाभांशों का परिसीमन कर देने की अपेक्षा यह कार्यवाही ठीक है । यह प्रशासनिक दृष्टि से भी ठीक है क्योंकि समवाय अथवा निगम-कर का दायित्व पूरा करने के बाद अपने स्वविवेक से लाभांश नीति का निर्माण कर सकते हैं

लाभ को भी उद्योग में लगा देने से समवायों के पास अधिक रक्षित धन हो जायेगा । यदि योजना की विनियोजन नीतियों के लिये इस रक्षित धन का उपयोग में लाया जाना बड़ा महत्व-पूर्ण है । सम्बन्धित उद्योग अथवा एकक के आधुनिकीकरण अथवा वृद्धि के लिये इस रक्षित धन के उपयोग में बाधा डालना ठीक नहीं होगा । इसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये तथा योजना में किये गये विकास के समान उन्नति करने के लिये शेष रक्षित धन का अन्य वस्तुओं में विनियोजन के लिये सभी सुविधायें देनी चाहिये ।

मैं पहले बता चुका हूं कि गत कुछ वर्षों में हमारे रक्षित पौंड धन में कमी हो रही है । यद्यपि यह कमी हमारे विकास कार्यक्रम के लिये अर्थ-व्यवस्था में बढ़ोतरी की द्योतक है और यह समझना ठीक नहीं है कि स्थिति खराब है । साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि अपने विदेशी विनिमय संसाधनों के विकास और परिरक्षण के प्रयत्न करें । इस कार्यक्रम में हम निर्यात बढ़ायेंगे परन्तु मैं इस समय इस पर कुछ नहीं कहूंगा । दूसरे हम आयात पर नियन्त्रण लगायेंगे । जिन प्रस्तावों को अब मैं बताना चाहता हूं उससे आयात नियंत्रण में सुविधा मिलेगी । आयात पर कठोर नीति लगाने से सम्भरण कम हो जायेगा तथा अधिकतम मूल्य हो जायेंगे । इन परिस्थितियों में यदि वस्तुओं के जहाज से उतरने के मूल्य तथा उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में अधिक अन्तर रहेगा तो और व्यापारी को अधिक लाभ होगा । प्रस्तावित आय-कर शुल्कों से इस लाभ का कुछ अंश सरकार को मिलेगा । मैं इस समय यह बतला देना चाहता हूं कि यह वस्तुयें, विलास की वस्तुयें हैं तथा इन पर आयात शुल्क बढ़ा देने से जनता पर खास असर नहीं होगा ।

अब मैं प्रस्तावों को ब्योरेवार बताता हूं । मैंने माननीय सदस्यों में दो ज्ञापन परिचालित किये हैं, जिनमें विधेयक में दिये उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है । परन्तु मैं संक्षेप में उनके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । सर्व प्रथम प्रत्यक्ष करने के सम्बन्ध में, मेरा पहला प्रस्ताव है, १ अप्रैल १९५६ से पूंजीगत लाभ पर कर लगाना । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पूंजीगत लाभ पर कर

लगाना हमारे वर्तमान आय-कर अधिनियम में आता है। परन्तु यह थोड़ी अवधि के लिये लगाया गया था अर्थात् १ अप्रैल, १९४६ से ३१ मार्च, १९४८ की अवधि के लिये लगाया गया था। इस विधेयक में मैंने वर्तमान उपबन्धों को बदल दिया है।

"पूंजीगत लाभ" की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु कुछ वर्तमान विमुक्तियां वापस ले ली जायेंगी। अनिवार्य अर्जन पर सम्पत्ति का हस्तान्तरण, भागीदारी समाप्त होने पर आस्तियों के वितरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ अथवा समवायों के परिसमापन, करदाता द्वारा सात वर्ष तक रखी जाने वाली निवास स्थान की सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत, लाभ पर कर लगेगा।

वर्तमान विधि के अनुसार १५,००० रुपये तक के व्यक्तिगत पूंजी लाभ पर कर नहीं लगता था। यह अब ५,००० रुपये कर दिया गया है, परन्तु कम आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को एक अतिरिक्त रियायत दी जायेगी ? वह यह है कि पूंजीगत लाभ-कर नहीं लगेगा यदि पूंजीगत लाभ समेत कुल आय १०,००० रुपये से अधिक न हो। मैं छोटे तथा मध्यम आकार वाले मकानों की बिक्री से लाभ उठाने वाले छोटी आय वाले व्यक्तियों को भी कुछ रियायत देने का विचार कर रहा हूं। वर्तमान विधि के अनुसार, खण्डहरों के आधार पर पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाता है। परन्तु इसका, व्यक्ति विशेष की अन्य आय से सम्बन्ध नहीं है। अब यह विचार है कि करदाता की अन्य कर योग्य आय पर लागू आय-कर के दर पर ही पूंजीगत लाभ-कर लिया जायेगा। केवल इसमें उस वर्ष के पूंजीगत लाभ का एक तिहाई जोड़ दिया जायेगा। समवायों के लिये कर की दरें, आय कर की दरें ही रहेंगी।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि करदाता को यह विकल्प है कि वह अपने लाभ का अनुमान मूल मूल्य के आधार पर लगवाये अथवा १ जनवरी, १९५४ के मूल्य के आधार पर।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि जो समवाय प्रदत्त पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा करते हैं, उनके द्वारा दिये जाने वाले अधिकर की दरें बढ़ा दी जायें। चालू वित्तीय वर्ष में ६ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत के बीच तथा १० प्रतिशत से अधिक लाभांशों की घोषणा के सम्बन्ध में अधिकर क्रमशः एक रुपये में २ आने तथा ३ आने हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष १९५७–५८ में ६ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत के बीच लाभांशों पर २ आने प्रति रुपया, १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत लाभांशों पर चार आन प्रति रुपया तथा १८ प्रतिशत से अधिक लाभाशों पर ६ आने प्रति रुपया अधिकर की दरें की जायें।

मेरा तीसरा प्रस्ताव प्रत्यक्ष करारोपण नहीं है परन्तु समवायों के अवक्षयण तथा उनकी अन्य रक्षित निधियों पर उचित नियंत्रण के सम्बन्ध में है। यह नियंत्रण इसलिये आवश्यक हो जाता है क्योंकि लाभों पर करके समवायों से संसाधन बढ़ जायेंगे। इस समय लाभ आंकने में, विकास छूट तथा अवक्षयण भत्ते इसमें से कम कर दिये जाते हैं। वे कटौतियां, भवनों, संयंत्रों, मशीनों तथा व्यापार में प्रयोग में की जाने वाली अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में है। और इनकी अनुमति इस बात को ध्यान में रखते हुए दी जाती है कि पूंजीगत माल के अर्जन की अधिक लागत आती है, इन आस्तियों के प्रयोग पर टूट-फूट होती है और इस बात की जरूरत है कि उपक्रमों को समय-समय पर अपनी आस्तियां फिर बनाने के योग्य बनाने के लिये रक्षित निधियां रखने की अनुमति हो। देश के औद्योगिक विकास के हितों के लिये यह आवश्यक है कि कर, न लगाये गये रक्षित धन का उपयोग, उत्पादन कार्यों के लिये ही होना चाहिये और किसी प्रयोजन के लिये नहीं। हम एक बार लाभ के वितरण को निरूत्साहित करने की नीति स्वीकार करते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह भी प्रबन्ध करें कि यह एकत्रित लाभ योजना के अनुसार औद्योगिक

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

विकास की प्रगति के लिये प्रयोग में लाये जायें। मेरा प्रस्ताव है कि समवायों के सम्बन्ध में अवक्षयण भत्ते तथा विकास छूट भी आय की गणना में जोड़ दी जानी चाहिये। जब तक कि एक निश्चित धनराशि जिसका निश्चय सरकार करे, प्रत्येक वर्ष ३० जून से पूर्व, भारत के रक्षित बैंक अथवा सरकार में जमा न करें। जमा की गई धनराशि, कर देने के पश्चात् तथा एक लाख रुपये के लाभांशों के वितरण के पश्चात् प्राप्य वर्तमान लाभ का कुछ प्रतिशत अंश तथा अंशतः पुराने एकत्रित किये गये लाभ तथा रक्षित धन, जो व्यापार में निश्चित आस्तियों के रूप में नहीं दिये गये हैं, का भाग होगी। विधेयक में यह व्यवस्था है कि वह राशि वर्तमान लाभ में से अधिकतम ७५ प्रतिशत तथा पुराने एकत्रित लाभ तथा रक्षित धन में से २५ प्रतिशत होगी। परन्तु इस समय मेरा विचार वर्तमान लाभ का ५० प्रतिशत निश्चित करने का है। निक्षेपों पर सूद लगेगा तथा समवाय की प्रार्थना पर पूर्णतः अथवा अंशतः इसको वापस ले सकेगी यदि सरकार संतुष्ट हो जाये कि समवाय यह धन, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिये व्यापार में लगायेगा। इस मामले में सरकार से परामर्श करने के लिये एक रैफरियों (निर्णायक) का बोर्ड बनाया जायेगा। हमारा विचार यह है कि इन निक्षेपों का अधिक अंश, योजना में वर्णित उद्योगों के विकास के लिये उपयोग में लाया जाये, इस प्रकार जो अवशिष्ट राशि प्रति वर्ष एकत्रित होती रहेगी, योजना के संसाधनों में सम्मिलित कर ली जायेगी।

मेरा अन्तिम प्रस्ताव उन समवायों से है जो समवाय अधिनियम की धारा २३क के अन्तर्गत आती हैं। इस समय ऐसा उपर्युक्त समवाय जो विनियोजन न करता हो और जो कम से कम ६० प्रतिशत लाभांश अपने अंशधारियों में वितरित न करता हो उसको चार आने प्रति रुपये की दर से अवितरित लाभ पर अतिरिक्त अधिकर देना पड़ता है, जबकि एक विनियोजन समवाय ऐसी स्थिति में एक रुपये में आठ आन अधिकर देता है। लाभांशों पर अधिकर की बढ़ाई गई दरों के आधार पर, ऐसा अनुभव किया गया कि पूंजी न लगाने वाले समवाय के लिये चार आने की दर बहुत कम है इसलिये इस प्रकार के मामलों में अतिरिक्त अधिकर की दर चार आने से छः आने बढ़ा देनी चाहिये। परन्तु औद्योगिक समवायों को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि बढ़ौत्तरी तथा विकास के लिये उन्हें लाभ भी रखने दिये जायें। मेरा प्रस्ताव है कि धारा २३क के औद्योगिक समवाय के लिये न्यूनतम वितरण ६० प्रतिशत से ५० प्रतिशत कर दिया जाये। औद्योगिक संस्थाओं में इस उपबन्ध की क्रियान्विति में ऐसे समवायों को छट देने की व्यवस्था जो धारा २३क के अन्तर्गत आते हैं, जारी रखी जायेगी।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चनी गई वस्तुओं पर आयात शुल्क उचित मात्रा में बढ़ोत्तरी करने का विचार है। ये मोटे तौर पर तीन वर्गों में आते हैं।

एक तो इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग करते हैं। ऐसी वस्तुओं में उल्लेखनीय वस्तु शराब है जिस पर शुल्क २५ प्रतिशत स ५० प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है जिससे प्रतिवर्ष ७० लाख रुपये की आय होगी। मोटर साइकलों, स्कूटरों और घड़ियों पर अधिक शुल्क लगाने से ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष आय होने का अनुमान है।

दूसरी प्रकार की वस्तुएं तारकोल स बनने वाले रंग पदार्थ और कुछ प्रकार की मशीनें हैं जिन पर एक तो आजकल कम शुल्क लिया जा रहा है और दूसरे जिनका देश में उत्पादन काफी आगे बढ़ चुका है। इस पर अधिक कर कुछ तो विधेयक में परिवर्तन करके और कुछ उन रियायतों को वापिस लेकर लगाये जायेंग जो आजकल अधिसूचना द्वारा दी जाती हैं।

यद्यपि उपभोग वस्तुओं के मूल्यों पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा, फिर भी आशा है कि लगभग १८० लाख रुपये की वार्षिक आय होगी।

अन्त में, मेरा प्रस्ताव है कि कृत्रिम रेशम पर आयात शुल्क बढ़ाया जाये । सूती कपड़े की कमी के कारण कृत्रिम रेशम उद्योग की स्थिति इधर बहुत अच्छी रही है । कृत्रिम रेशम के कपड़े के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और महीन तथा बहुत महीन कपड़े के साथ किसी हद तक उसकी स्पर्धा होने के कारण उस पर वर्तमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा कर लगाया जा सकता है । पहले कृत्रिम रेशम उद्योग में कुछ चढ़ती-गिरती दशाओं के कारण मैं यह वांछनीय समझता हूं कि जबकि तट कर दर किसी अधिकतम स्तर तक होना चाहिये सरकार को अधिसूचना द्वारा समय-समय पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी दर निर्धारित करना चाहिये । मैंने ३ रुपये फी पौंड आयात तट कर का प्रस्ताव रखा है, किन्तु अभी वास्तविक दर १ रुपया ४ आने से २ रुपये प्रति पौंड (डेनायर्स के अनुसार) तक चढ़ता उतरता रहेगा । मैं आशा करता हूं कि इन करों से १६० लाख रुपये सालाना मिलेंगे ।

देशी कृत्रिम रेशम के सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रख कर मैं उत्पादन शुल्क की दिशा में उतने ही परिवर्तन का सुझाव दे रहा हूं । आयातित देशी कृत्रिम रेशम के सूत पर ऊंचे कर द्वारा संरक्षण और बढ़ती हुई मांग के कारण देशी कृत्रिम रेशम के उत्पादक काफी मुनाफा कमाते रहे हैं । मैंने उत्पादन शुल्क १ रुपया ८ आने प्रति पौंड की उच्चतम दर का प्रस्ताव रखा है जो अधिसूचना द्वारा डेनायर्स के अनुसार ४ आने और ८ आने प्रति पौंड तक नीचे लाया जा रहा है । इन प्रभावी दरों से सामान्यतया वह संरक्षण भी जारी रहता है जो आयातित उत्पादन के विरुद्ध देशी उत्पादकों को प्राप्त है । मुझे आशा है कि इन दरों से ७० लाख रुपये सालाना आय होगी ।

अधिसूचना द्वारा, रेशे और रेशे के सूत पर २ आने प्रति पौंड का उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

मैंने भारत में बनी कीमती मोटर गाड़ियों पर प्रति गाड़ी ३,००० रुपये का उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है । यह शुल्क ट्रकों और छोटी मोटर गाड़ियों पर नहीं लगेगा और आशा है कि उससे लगभग ८० लाख रुपये वार्षिक आय होगी । जिस हद तक कि बड़ी गाड़ियों का उत्पादन कम होगा, हम विदेशी विनिमय अधिक-अधिक उपयोगी वस्तुओं पर खर्च करेंगे ।

यह अनुमान लगाना कुछ कठिन है कि सीमा शुल्क से वास्तविक आय कितनी होगी । वर्तमान आयात के आधार पर वह करीब ९ करोड़ रुपये वार्षिक होनी चाहिये । चूंकि अब आयात में काफी कमी होने की सम्भावना है, पूरे साल में करीब ६ करोड़ रुपये वास्तविक अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा है ।

इस प्रकार आय-कर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क प्रस्थापनाओं से लगभग १६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और योजना अवधि में ६४ करोड़ रुपये की आय होगी ।

आगे हुंडियों पर मुद्रांक शुल्क भी काफी बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है ? सभा को मालूम होगा कि मुद्रांक अधिनियम में निर्धारित कुछ खण्ड-दर हैं, जो हुंडियां लिखने के बाद एक वर्ष के अन्दर देय हुंडियों के मामले में, १ हजार रुपये पर १५ आने तक हैं । १९४० में एक अधिसूचना द्वारा इन खण्ड-दरों की जगह २ आने प्रति हजार रुपये का एक-सा दर रख दिया गया । अब यह प्रस्ताव है कि संविहित दर ऐसी हुंडियों के लिये और कम अवधि की हुंडियों के लिये अनुपातिक कमी के साथ १० रुपये प्रति हजार रुपये तक बढ़ाया जाये । इन्हें उच्चतम दर बनाने का विचार है और मेरा इस समय उद्देश्य यह है कि इनके आधे दरों पर काम किया जाये । यह शुल्क वृद्धि एक वित्तीय उपाय है । इस वृद्धि से राज्य सरकारों को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा । अतः केन्द्रीय राजस्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सम्बन्धी प्रस्थापनायें तुरत लागू होंगी । प्रत्यक्ष कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें वर्तमान मुनाफों के विषय में है किन्तु उन पर अगले वित्तीय वर्ष में ही कर लगाया जा सकता है । मुद्रांक शुल्क में परिवर्तन, विधि पारित हो जाने पर लागू होंगे ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अब मेरी प्रस्थापनायें समाप्त होती हैं। इन पर केवल तुरत आय की दृष्टि से नहीं बल्कि योजना अवधि के लिये वित्तीय साधनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये। करीब ८०० करोड़ रुपये योजना व्यय करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस वर्ष ४०० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। यदि मूल्यों का और अधिक बढ़ना तथा अधिक मजूरी और अधिक लागत के कारण बढ़ते हुए दबाव से नयी कठिनाइयों को रोकना हो तो अब से आग घाटे की अर्थ-व्यवस्था को सीमाओं के अन्दर ही रखना होगा। कुछ उपर्युक्त उपायों से पूरी आय धीरे-धीरे ही प्राप्त होगी। अतः इसका यह अर्थ है कि जितनी ही जल्दी काम शुरू किया जायेगा, विनियोजन बढ़ाने की दृष्टि से वह उतना ही अधिक अच्छा होगा, जो विनियोजन न केवल दूसरी योजना अवधि बल्कि आगामी कई योजना अवधियों में होगा।

अन्त में मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विनियोजन के लिये यह बहुत आवश्यक है कि बचत यथासंभव अधिक बढ़ायी जाये। यह सरल काम नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जबकि कम विकसित अर्थ-व्यवस्था को विदेशों से प्राप्त साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, वह सहायता इस बात पर भी निर्भर होती है कि हम मुद्रास्फीति का दबाव कम करने और समाज की बचतों का योजना के लिये उपयोग करने का कितना प्रयत्न करते हैं। हमारी सारी आशायें योजना पर केन्द्रित हैं और हमें अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिये। कई लोगों ने यह सुझाव दिया है कि आवश्यक खर्च में बढ़ती और बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए हमें अपनी योजना में परिवर्तन करने चाहियें। मैं समझता हूं कि इस तरह के सुझाव निराशावादी सुझाव हैं और वे बिल्कुल निराधार हैं। अभी योजना का पहला ही वर्ष है और यद्यपि बहुत बड़े-बड़े और कठिन काम हमने अपने उपर ले लिये हैं फिर भी योजना को कार्यान्वित करने की हमारी क्षमता के बारे में निराशावादी होने का कोई कारण नहीं दीखता। न ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में, इस दशा में, ऐसी कोई बात दिखायी देती है कि हम योजना में परिवर्तन करें। मेरा विश्वास है कि आज जबकि देश को सबसे अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने के सिवा और कुछ सोचना नहीं चाहिये, इस प्रकार के संदेह व्यक्त कर वे गलती करते हैं। यह योजना एक चनौती है जिसे सभी साधनों और शक्ति से पूरा करना ही होगा।

वित्त (संख्या २)* विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरें बढ़ाने या उनमें परिवर्तन करने और भारत में पैदा की गयी या तैयार की गयी कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने और हुंडियों पर मुद्रांक शुल्क बढ़ाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरें बढ़ाने या उनमें परिवर्तन करने और भारत में पैदा की गयी या तैयार की गयी कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगान और हुंडियों पर मुद्रांक शुल्क बढ़ाने वाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के गजट, असाधारण भाग २, विभाग २ दिनांक ३०-११-५६ में प्रकाशित।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं विधेयक* पुर:स्थापित करता हूं ।

वित्त (संख्या ३) विधेयक**

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूंजी लाभ पर कर लगाने और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिये तथा वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये समवायों पर अतिरिक्त कर की दर निर्धारित करने के लिये भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पूंजी लाभ पर कर लगाने और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिये तथा वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये समवायों पर अतिरिक्त कर की दर निर्धारित करने के लिये भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं विधेयक* पुर:स्थापित करता हूं ।

इसके पश्चा् लोक-सभा सोमवार ३ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

**भारत के गजट, असाधारण, भाग २, विभाग २ में ३०-११-५६ को प्रकाशित ।

पृष्ठ

राज्य-सभा से सन्देश ... ५८५

सचिव ने सूचना दी कि उन्हें राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(३) कि लोक-सभा द्वारा १६ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ५८६

इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये ५८६–८७

(१) श्री रामचन्द्र रेड्डी ने स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

(२) श्री रामचन्द्र रेड्डी ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बाल विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

(३) श्री कासलीवाल ने विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया और प्रवर समिति के समक्ष दी गई साक्षी की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी ।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ५८७, ६३६–३७

(१) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

(२) वित्त (संख्या २) विधेयक

(३) वित्त (संख्या ३) विधेयक

पृष्ठ

पारित किये गये विधेयक ... ५८८–६१२

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य-दमन विधेयक पर आगे और विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया ।

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ६१२–१३

चौसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत हुआ ६१३–२८

श्री त० ब० विट्ठव राव ने भारतीय कोयला खानों में राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । संकल्प पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ६२९–३७

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने देश की आर्थिक अवस्था और कराधान की कुछ प्रस्थापनाओं के बारे में वक्तव्य दिया ।

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६ की कार्यवाही—

केरल के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में संकल्प पर चर्चा ।

M42LSD—190—1-3-58—GIPF.